Monday, 07 December, 1964

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

(दसवां सत्र
Tenth Session)

Chamber Fumigated.

सत्यमेव जयते

Conservation Unit
27-5-92
Fumigated
On 14.12.83
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11—]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 16, सोमवार, 7 दिसम्बर, 1964/16 अग्रहायण, 1886(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
376	केन्द्रीय कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति	1465–67
377	भारतीय बन्दियों की रिहाई	1467–69
378	अखबारी कागज सम्बन्धी नीति	1469–71
379	निर्वाह व्यय देशनांक	1471–73
380	समाचारपत्रों के कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड	1474–75
381	बर्मा से प्रत्यावर्तित व्यक्ति	1475–79
382	माउन्टेन डिवीजन	1479–82
384	चलचित्र वित्त निगम	1483–85
387	सेना के जवानों को उनकी जमीन वापस दिलाना	1485–86
388	जंजीबार में भारतीय	1486–87

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
383	भारतीय वायु सेना के लिये अमरीकी लडाकू विभाग	1487–88
385	इलायची बागानों में निम्मतम मजूरी	1448
386	रेडियो काश्मीर	1488
389	लंका के भारतीयों के बारे में किये गये करार की क्रियान्विति	1488–89
390	हैदराबाद सरकार का धन	1489
391	नागा विद्रोही	1489–90
392	विदेश से शस्त्र सहायता	1490
393	रिजर्व में रखे गये सैनिको को सेवा का लाभ	1490
394	कर्नल भट्टाचार्य की रिहाई	1491
396	चीन का अणुबम विस्फोट	1491
397	मारमागोआ बन्दरगाह में हड़ताल	1492

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 16, *Monday, December* 7, 1964/*Agrahayana* 16, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
376	Central Programme Advisory Committee .	1465–67
377	Release of Indian Prisoners . . .	1467–69
378	Newsprint Policy . . .	1469–71
379	Cost of Living Index	1471–73
380	Wage Board for Newspaper Employees .	1474–75
381	Repatriates from Burma . .	1475–79
382	Mountain Divisons	1479–82
384	Film Finance Corporation . .	1483–85
387	Resumption of land by service land owners .	1485–86
388	Indians in Zanzibar .	1486–87

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Questions Nos.		
383	U. S. Fighters for I.A.F. . . .	1487–88
385	Minimum Wages in Cardamom Estates .	1488
386	Radio Kashmir	1488
389	Implementation of Agreement on Indians in Ceylon . .	1488–89
390	Hyderabad Government Funds	1489
391	Naga Hostiles	1489–90
392	Arms Aid from Abroad	1490
393	Benefit of Service to Reservists	1490
394	Release of Col. Bhattacharya	1491
396	Chinese Explosion	1491
397	Strike at Marmagao Harbour	1492

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
398	विदेश सचिव द्वारा इंटरव्यू	1492-93
399	पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना	1493
400	भाषाई समाचारपत्रों को मान्यता	1493-94
401	कोहिमा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बीच का क्षेत्र	1494

अतारांकित प्रश्न संख्या		
1016	मद्रास के लिये ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज	1494
1017	टेलीविजन सेटों का निर्माण	1495
1018	प्रादेशिक विवाद सुलझाने के लिये बल-प्रयोग	1495
1019	प्रतिरक्षा उत्पादन	1495-96
1020	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये आवास सुविधाएं	1496
1021	मोजम्बीक से आये भारतीय	1496-97
1022	नेफा पर चीन का दावा	1497
1023	अम्बाला के निकट विमान दुर्घटना	1497-98
1024	विदेशों से सैनिक सहायता	1498
1025	ग्रामीण कार्यक्रम	1498-99
1026	पादरी माइकल स्काट	1499
1027	भारतीय सूचना सेवा	1499
1028	शस्त्रास्त्र अनुसंधान प्रयोगशाला, चंदीगढ़	1499
1029	डाक तथा तार विभाग के फार्मों का अनुवाद	1500
1030	नागालैंड के लिये रेडियो ट्रांसमीटर	1500
1031	जापानी सहयोग से "एयर कम्प्रेशरों" का निर्माण	1500-01
1032	राष्ट्रीय छात्र सेना दल	1501
1033	प्रादेशिक सेना	1501
1034	डाक तथा तार सुविधायें	1501-02
1035	चमड़ा और प्लास्टिक श्रमिकों के लिये मजूरी बोर्ड	1502
1036	पंजाब में पंचायत समितियो के कार्यालयों में टेलिफोन	1502-03
1037	कपड़ा मिलों में श्रम कल्याण पदाधिकारी	1503
1038	सेना के कर्मचारियों का वेतन, राशन और वर्दिओं का स्तर	1503
1039	श्री डांगे की मास्को यात्रा	1503-04
1040	भारत इलैक्ट्रानिक्स	1504
1041	जम्मू और काश्मीर में श्रम विधियों का लागू होना	1504
1042	भारतीय वायु सेना का विस्तार	1505
1043	तिब्बत में मिसाइल अड्डा	1505

Starred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
398	Interview by Foreign Secretary	1492–93
399	Firing by Pakistanis	1493
400	Accreditation of Language Newspapers	1493–94
401	Area between Kohima and International Boundry	1494
Unstarred Question Nos.		
1016	Trunk Automatic Exchange for Madras	1494
1017	Manufacture of Television Sets	1495
1018	Use of Force for setting Territorial disputes	1495
1019	Defence Production	1495–96
1020	Housing Facilities for P. & T. Employees	1496
1021	Mozambique Indian Repatriates	1496–97
1022	Chinese Claim on NEFA	1497
1023	Air Crash Near Ambala	1497–98
1024	Military Aid from Abroad	1498
1025	Rural Programmes	1498–99
1026	Rev. Michael Scott	1499
1027	Indian Information Service	1499
1028	Armament Research Laboratory, Chandigarh	1499
1029	Translation of P. & T. Forms	1500
1030	Radio Transmitter for Nagaland	1500
1031	Manufacture of Air Compressors with Japanese collaboration	1500–01
1032	N. C. C.	1501
1033	Territorial Army	1501
1034	P. & T. Facilities	1501–02
1035	Wage Board for Leather and Plastic Workers	1502
1036	Telephones in Panchavat Samities Offices, Punjab	1502–03
1037	Labour Welfare Officers in Textile Mills	1503
1038	Scales of Pay, Rations and Uniforms to Army Personnel	1503
1039	Shri Dange's visit to Moscow	1503–04
1040	Bharat Electronics	1504
1041	Extension of Labour Laws to J. & K.	1504
1042	Expansion of I.A.F.	1505
1043	Missile Base in Tibet	1505

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
.	. . . . . .	
1044	एम० एफ० 24 जेट विमानों के लिये इंजन	1505–6
1045	अखबारी कागज	1506
1046	ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी	1506
1047	सेना कार्यों के लिये भूमि अर्जन	1507
1048	भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम	1507
1049	विसकोस रेयन उद्योग समिति	1507–08
1050	अफ्रीकी देशों में भारतीय	1508–09
1051	रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत महिलायें	1509
1052	उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	1510
1053	उत्तर प्रदेश में अधिसूचित तथा भरे गये रिक्त स्थान	1510
1054	उत्तर प्रदेश में रेडिओ सैट	1510–11
1055	पूर्वी अफ्रीका से आने वाले व्यक्ति	1511
1056	जवानों के लिये खाद्यपदार्थों का परिक्षण	1511–12
1057	कोयला खानों में हड़ताल	1512
1058	स्कूल के अध्यापकों द्वारा डाक का काम किया जाना	1512
1059	न्यूनतम मजूरी अधिनियम	1513
1060	आयुध कारखानों के उत्पादन लक्ष्य	1513
1061	महानिदेशालय, डाक और तार विभाग तथा दिल्ली टेलिफोन डिस्ट्रिक्ट में योजना निदेशालय	1513–14
1062	श्रेणी तीन के डाक और तार कर्मचारियों के लिये रिहाइश	1514–15
1063	भूतपूर्व सैनिकों के लिये विशेष पेंशन	1515
1064	वियतनाम गणतन्त्र में बाढ़	1515
1065	हिन्दुस्तान एयरक्राफट लिमिटेड की कम लागत वाली यात्री कार	1515
1066	कोयला खनिकों के लिये कल्याण योजना	1516
1067	भूतपूर्व प्रधान मंत्री का इच्छा पत्र	1516
1068	महासभा के अधिवेशन की कार्यावली	1516
1069	डाक और तार कर्मचारियों के लिये चिकित्सीय सुविधाएं	1516–17
1070	थानों के लिये टेलीफोन	1517
1072	भूत आकाशवाणी केन्द्र	1517–18
1073	चीन का विरोध पत्र	1518
1074	आकाशवाणी में इंजीनियरिंग कर्मचारी	1518
1075	डाक और तार क्वार्टरों के लिये रेल्वे की भूमि	1518–19

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1044	Engine for H. F.-24 Jet	1505–06
1045	Newsprint	1506
1046	Indian Immigrants in U. K.	1506
1047	Acquisition of Land for Military Purposes	1507
1048	Rules re : Posting of Indian Armed Forces Personnel	1507
1049	Viscose Rayon Industry Committee	1507–08
1050	Indians in African Countries	1508–09
1051	Women registered in Employment Exchanges	1509
1052	S.C. and S.T. Candidates Registered in Employment Exchanges in U.P.	1510
1053	Vacancies Notified and Filled up in U.P.	1510
1054	Radio Sets for U. P.	1510–11
1055	Migrants from East Africa	1511
1056	Preservation of Foodstuffs for Jawans	511–12
1057	Strike in Coal Mines	512
1058	Handling of Postal work by School Teachers	1512
1059	Minimum Wages Act	1513
1060	Production Targets of Ordnance Factories	1513
1061	Planning Directorate in the D.G.P. & T. and Delhi Telephone District	1513–14
1062	Accommodation for Class III & PT Employees	1514–15
1063	Special Pension to Ex-Servicemen	1515
1064	Floods in Republic of Vietnam	1515
1065	H.A.L. Low-cost Passenger Car	1515
1066	Welfare Scheme for Coal Miners	1516
1067	Will of Late Prime Minister	1516
1068	Agenda of General Assembly Session	1516
1069	Medical Facilities for P & T. Employees	1516–17
1070	Telephone for Police Stations	1517
1072	Ghost Radio Station	1517–18
1073	Chinese Protest	1518
1074	Engineering Personnel in A.I.R.	1518
1075	Railway Land for P. & T. Quarters	1518–19

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1076	भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि	1519
1077	छावनियों में स्कूल	1519–20
1078	गार्डन रीच वर्कशाप	1520
1079	भूतपूर्व सैनिक	1520
1080	संसद् सदस्यों के लिये टेलीफोन	1520–21
1081	इंजीनियरिंग स्टोर डिपो, अवाडी	1521

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न) . . . 1521

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

(1) श्रीलंका में भारतीयों के निवास सम्बन्धी वीज़ा की अवधि का पुनः न बढ़ाया जाना

श्री रंगा . . . 1521–22

श्री दिनेश सिंह 1522–23

(2) हट्टी सोना खान, मैसूर के श्रमिकों द्वारा "अन्दर रहकर काम रोको" (स्टे-इन) हड़ताल

श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . 1551

श्री संजीवय्या 1551–52

सभापटल पर रखे गये पत्र 1523

सदस्य की रिहाई (श्री प्रिय गुप्त) 1524

भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव

श्री रंगा . . . 1524–25

श्री अ० प्र० शर्मा 1525

श्री सरजू पाण्डेय . 1525

श्री यशपाल सिंह . . . 1525–26

श्री ओझा . . 1526

श्री दीनेन भट्टाचार्य . 1526–27

श्री हुकम चन्द कछवाय . 1527

श्री काशी नाथ पांडे . . . 1527–28

श्री मोहसिन 1528–29

श्री नी० श्रीकान्तन नायर . 1529–30

श्री श्यामलाल सर्राफ . 1530

श्री इन्द्रजीत गुप्त . 1530–31

श्री हेडा . . . 1531–32

श्री मुथिया . 1532–33

श्री नम्बियार . . 1533–34

श्री सुब्बरामन . . . 1534–35

Unstarred Question Nos.	Subject	Pages
1076	Land for Ex-Servicemen	1519
1077	Schools in Cantonments	1519-20
1078	Garden Reach Workshop	1520
1079	Ex-Servicemen	1520
1080	Telephones for M. Ps.	1520-21
1081	Engineering Stores Depot, Avadi	1521

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT (Query) . . . 1521

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

(i) Non-renewal of residence visas to Indians in Ceylon

Shri Ranga . . . 1521-22

Shri Dinesh Singh . . . 1522-23

(ii) Stay-in Strike by the Workers of Hatti Gold Mines, Mysore

Shri Sivamurthy Swamy . . . 1551

Shri D. Sanjivayya . . . 1551-52

PAPERS LAID ON THE TABLE . . . 1523

RELEASE OF MEMBER (Shri Priya Gupta) . . . 1524

INDIAN TRADE UNIONS (AMENDMENT) BILL—

Motion to consider, as passed by Rajya Sabha

Shri Ranga . . . 1524-25

Shri A. P. Sharma . . . 1525

Shri Sarjoo Pandey . . . 1525

Shri Yashpal Singh . . . 1525-26

Shri Oza . . . 1526

Shri Dinen Bhattacharya . . . 1526-27

Shri Hukam Chand Kachhavaiya . . . 1527

Shri K. N. Pande . . . 1527-28

Shri Mohsin . . . 1528-29

Shri N. Sreekantan Nair . . . 1529-30

Shri Sham Lal Saraf . . . 1530

Shri Indrajit Gupta . . . 1530-31

Shri Heda . . . 1531-32

Shri Muthiah . . . 1532-33

Shri Nambiar . . . 1533-34

Shri Subbaraman . . . 1534-35

विषय	पृष्ठ
श्री व० बा० गांधी	1535
श्री सिंहासन सिंह	1536
श्री अ० शं० आल्वा	1536–37
श्री संजीवय्या	1537
खण्ड 2 से 6 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री संजीवय्या	1539–40
श्री दीनेन भट्टाचार्य	1541–42
श्री काशी नाथ पांडे	1542
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल), 1964-65	
श्री अच्युतन	1544–45
श्री प० कुन्दन	1545
श्री नटराज पिल्ले	1545–46
श्री नी० श्रीकान्तन नायर	1546–47
श्री रवीन्द्र वर्मा	1547–48
श्री कोया	1548–49
श्री नम्बियार	1549–50
श्री रंगा	1550
विधेयक पर राय	1551
संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 136, 226 आदि का संशोधन (श्री श्री नारायण दास का)	

Subject	*Pages*
Shri V. B. Gandhi	1535
Shri Sinhasan Singh	1536
Shri A. S. Alva .	1536-37
Shri D. Sanjivayya	1537
Clauses 2 to 6 and 1 Motion to pass	
Shri D. Sanjivayya .	1539-41
Shri Dinen Bhattacharya	1541-42
Shri K. N. Pande	1542
Demands for Supplementary Grants (Kerala), 1964-65	
Shri Achuthan .	1544-45
Shri Kunhan	1545
Shri Nataraja Pillai . .	1545-46
Shri N. Sreekantan Nair	1546-47
Shri Ravindra Varma .	1547-48
Shri Koya . . .	1548-49
Shri Nambiar . .	1549-50
Shri Ranga .	1550
Opinions on Bill	1551
Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 136, 226 etc.) by Shri Shree Narayan Das.	

लोक - सभा

LOK - SABHA

सोमवार, 7 दिसम्बर, 1964/16 अग्रहायण, 1886 (शक)
Monday, December 7, 1964/*Agrahayana* 16, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
[The Lok Sabha met at Eleven of the clock]

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

CENTRAL PROGRAMME ADVISORY COMMITTEE

+
*376. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Central Programme Advisory Committee of the A.I.R. has been reconstituted ;

(b) whether this committee has given any new suggestions regarding programme; and

(c) if so, the nature thereof and Government's reaction thereto ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने जो नए सुझाव दिए हैं वे मुख्यतः इस प्रकार हैं :—

(1) आकाशवाणी को प्रशिक्षित कमेंटेटरों की एक स्थायी टीम बनानी चाहिए।

(2) विविध भारती के कार्यक्रमों के विषय-क्षेत्र का विस्तार करना चाहिये ताकि उनमें काफ़ी संख्या में भाषित कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा सकें।

समिति के इन तथा कई अन्य सुझावों पर ध्यान दिया जा रहा है।

Shri Prakashvir Shastri : The listeners of A.I.R. programmes are mostly persons who know Indian languages but the members of Advisory Committee are mostly english knowing persons. May I know why this decision has been taken ?

Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): This committee gives its opinion regarding how to broadcast a programme. But I think that there are some people who know Hindi.

Shri Prakashvir Shastri : I did not ask about Hindi. But I asked about Indian languages.

Shrimati Indira Gandhi : Some members are for Indian languages.

Shri Prakashvir Shastri : The former Advisory committee has its members persons like Mama Warerker, Navinji and Maithili Sharan Gupta. But in the committee now constituted there are not such members. May I know why literatures have not been included in that committee ?

Shrimati Indira Gandhi : We have not done knowingly. We have only tried to replace those persons who were there since long.

Shri M. L. Dwivedi : The persons of Indian languages who are now its members are not very renowned. Our A.I.R. always relay the programmes of Indian languages. Therefore may I know why persons who are not renowned writers of Indian languages are placed in this committee.

Shrimati Indira Gandhi : We have one question before us in regard to language and the other question we face that how to produce a programme so that maximum number of people might listen. We always have these things in view while selecting its members.

श्री कपूर सिंह : क्या इस परामर्शदात्री समिति में ऐसे लोग हैं जो पंजाबी उर्दू तथा सिंधी जैसी पिछड़ी हुई भाषाओं के प्रति सहानुभूति का रुख रखते हों ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार से हमने यह समिति भाषा का ध्यान रख कर नहीं बनाई है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भाषा पर ध्यान भाषा के जानकार रखते हैं। इस समिति का गठन केवल इस उद्देश्य से किया जाता है कि कार्यक्रम किस प्रकार का है तथा उसको किस प्रकार प्रसारित किया जाना चाहिए। वे भाषा विशेषज्ञ नहीं होते हैं।

श्री कपूर सिंह : मैंने यह नहीं पूछा था कि क्या समिति का गठन भाषावार किया गया है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके सदस्यों को पिछड़ी हुई भाषाओं के बारे में कोई विशेष जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं इससे यह समझूं कि इस समिति को यह निर्णय करने का भी अधिकार दिया गया है कि वह सरकार को इस बारे में सलाह दे कि वाणिज्यिक कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिये अथवा नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : संभवतया यह पुनरीक्षण समिति का काम है। यह समिति इस बारे में परामर्श देती है।

श्री ओझा : क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि विविध भारती के कारण कितने व्यक्तियों ने रेडियो सीलोन सुनना बन्द कर दिया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार से अब बहुत से व्यक्ति इस कार्यक्रम को सुनने लगे हैं परन्तु हम इसको और आकर्षक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad : There is scarcity of good commentators and Central Advisory Committee has also suggested to appoint new commentators. But why commentators like Marajkumar of Vijainagaram who are called giants of commentators has not been included in the team of commentators to make commentry at Bombay and Calcutta Test.

Mr. Speaker : This is not relevant.

Shri Bhagwat Jha Azad : But the first recommendation of this committee is to appoint new commentators..............

Mr. Speaker : This is a important question no doubt, but cannot come in this.

Shri Bhagwat Jha Azad : I say that this committee suggested to appoint new commentators. May I know till then why old commentators like Marajkumar Vijainagaram, are not included in the team of commentators .

Shrimati Indira Gandhi : They are there.

Shri Y. S. Chaudhary : May I know whether all these decisions have been taken in camera or after touring different regions and after taking opinion of the public ?

Shrimati Indira Gandhi : We have taken the opinion of the public also. I think some members have also toured and asked for the opinion of the public.

Release of Indian Prisoners

+

*377. { **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether all the Indian Defence personnel who were taken prisoners during the Chinese attack against India in 1962 have since been released by them ; and

(b) if so the number thereof ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां।

(ख) जी० आर० ई० एफ० इत्यादि के असैनिकों सहित, चीनियों द्वारा, भारतीय प्रतिरक्षा के कुल 3942 से विवर्ग विमुक्त किए गए हैं।

Shri Bibhuti Mishra : May I know the number of our brave soldiers who are still prisoners with the Chinese ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : हमारी जानकारी के अनुसार हमारा कोई सैनिक अब चीनियों के हाथों में नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know the number of soldiers killed in the Chinese attack ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास ब्योरे नहीं हैं परन्तु मैं सामान्य आंकड़े बता सकता हूं क्योंकि..

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

Shri K. N. Tiwari : How many soldiers were made prisoners by Chinese and how many killed and whether all those soldiers have been released who were prisoners with them ?

Mr. Speaker : And how many questions you will put.

श्री यशवन्तराव : उपलब्ध जानकारी के अनुसार चीनियों ने हमारे 3968 सैनिकों को बंदी बनाया था। इनमें से 26 वहीं पर मर गये। चीनियों ने सभी सैनिकों को लौटा दिया था। इनमें 22 घायल भी थे तथा 4 सैनिकों की अस्थीयां थी।

श्री हेम बरुआ : चीन ने जिन सैनिकों को लौटाया है उन्होंने बताया है कि चीनियों के पूरा प्रयत्न किया कि जिससे हमारे सैनिकों की भावनायें तथा विचार एकदम बदल जाये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसका पता लगाने का प्रयत्न किया है कि चीनियों ने हमारे सैनिकों की भावनाओं में कितना परिवर्तन कर दिया था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्होंने हमारे सैनिकों की भावनायें बदलने का निश्चित रूप से परिवर्तन किया था। इसका पता लगाने के लिये कुछ शैक्षिक पाठ्यक्रम बनाये गये थे और उनसे मालूम हुआ कि चीनियों को सफलता नहीं मिली।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मंत्रालय के रिकार्ड में हमारे कितने सैनिक अभी लापता हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : 1698 लापता है और समझा गया है कि वह मर गये हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know that value of those trucks and Arms, which Chinese have captured ?

Mr. Speaker : This is not relevant.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the value of the goods they have captured ?

Shri Bade : May I know whether all those personnel are given jobs or they are propogating against us in the villages ?

Shri Y. B. Chavan : Most of them are in the service. But those who are not found alright, they have been dismissed.

श्री बडे : मैं संख्या जानना चाहता था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास उनकी संख्या नहीं है।

श्री स्वैल : क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि चीनियों ने बन्दियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था तथा यदि हां, तो क्या सरकार हमें उसके बारे में बतायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था और भावनायें बदलने का यह भी एक साधन होता है।

श्री हरि विष्णु कामत : जिन बन्दियों को चीनियों ने अन्ततः रिहा किया उनमें से कितने ऐसे है जिनको सरकार ने लापता घोषित कर दिया था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह सूचना इस समय नहीं बता सकता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या उनके चीनियों द्वारा रिहा किए सैनिकों में ऐसे व्यक्ति मिले हैं। मेरा प्रश्न स्पष्ट था। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास आंकड़े नहीं हैं। केवल सामान्य आंकड़े हैं। श्री देशमुख।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : सरकारने ऐसे युद्ध बन्दियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो चीनियों के बन्दी थे तथा जिनकी भावनायें बदली गईं थी और जिनको पुन: सेवा में लगा लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदयः यह एक सुझाव है।

श्री० शिवाजीराव शं० देशमुख : जी नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने हमारे उन युद्ध बन्दियों–जो चीन के बन्दी थे, के बारे में यह जानने का प्रयन्न किया है कि उनमें कहीं हीन भावना तो नहीं आ गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाणः हमने शैक्षिक कोर्स के बारे में बताया है। ऐसा इसी लिये किया गया कि उनमें हीन भावना न आ जाये।

Shri Yashpal Singh : The relatives of these armed forces personnel received different telegrammes on different dates. One said 'killed' other said 'Missing' third said 'Non-confirmed'. May I know whether Government will lay a statement or make a statement to the effect that who are missing who are killed specifically ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : गत वर्ष हम यह जानकारी बता चुके हैं परन्तु यदि माननीय सदस्य पूरी जानकारी चाहते हों, तो मैं बता सकता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : कितने मारे गये। कितने झूठमूठ घोषित किए गए हैं कि मारे गए परन्तु बाद में जीवित पाये गये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं बताने को तैयार हूं परन्तु इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : आंकड़े मिल जाने पर क्या आप उन्हें पटल पर रखेंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ज़रुर रख देंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मंत्री महोदय ऐसा विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि उनमें से कितने व्यक्ति सेना में वापस रखे गये तथा सरकार ने उन बन्दियों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे इस बारे में क्या प्रयत्न किए हैं।

श्री यशवंतराव चव्हाण : उस विवरण में हम यह जानकारी भी बता सकते हैं।

अखबारी कागज सम्बन्धी नीति

*378. **श्री यशपाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री अखबारी कागज की एक व्यापक नीति के बनाने के बारे में 7 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मामला अब किस स्थिति में है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : अखबारी कागज की एक व्यापक नीति के बनाने का प्रश्न अधिकतर पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज़ के आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा के मिलने के ऊपर निर्भर है। क्योंकि विदेशी मुद्रा की स्थिति अब भी बिकट है, और देशीय उत्पादन थोड़ा है, इसलिये अखबारी कागज के वितरण की नीति निर्धारित करना संभव नहीं हो पाया है।

Shri Yashpal Singh : Whether it is a fact that Govenment sanction more quota for english newspapers while Indian languages newspaper do not get that much ? If so, the steps taken to remove this anomaly.

Shrimati Indira Gandhi : Newsprint is allotted on the basis of Circulation.

Shri Yashpal Singh : Is it also a fact that the newsprint is being sold in black market, if so, the steps being taken to check it ?

Shrimati Indira Gandhi : When a specific case is brought to our notice we try to make investigations, but unless there is some proof we cannot do anything.

Shri Yashpal Singh : Has some one been punished in any case ?

श्रीमति सावित्री निगम : अखबारी कागज़ की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए यहां पर अखबारी कागज़ के कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वास्तव में आजकल नेपा मिल 30,000 मीट्रिक टन की लक्षित क्षमता है, परन्तु, अब यह केवल लगभग 25,000 टन का ही उत्पादन कर रही है। हमें आशा है कि इसका उत्पादन बढ़ेगा। हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अधिक मशीनें दी जायें। तीसरी योजना में 3 अन्य निगमों को भी लाइसेंस दिये हैं। उनके नाम हैं : रोहतास इंडस्ट्रीज़, श्री गोपाल पेपर मिल्स तथा बिरला--ग्वालियर उत्तर प्रदेश में। परन्तु उनमें से किसी ने भी कोई प्रगति नहीं की है। इनमें से एक के मामले में---रोहतास---लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

Shri Vishram Prasad : Have some Hindi newspapers, such as 'Aaj' Banaras, written that they are not getting enough quota of newsprint with the result their circulation is less ?

Shrimati Indira Gandhi : This specific information I have not got at this time.

Shri J. P. Jyotishi : Have Government any machinery to investigate whether some of this newspapers are giving only on the blackmarket of newsprint ?

Shrimati Indira Gandhi : This question has been asked. There are rumours like that but no specific proof has so far been received.

श्री रंगा : उपमंत्री जी ने अभी बताया कि एक लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और दो लाइसेंसों के मालिक अपने कारखाने चालू करने वाले हैं। जो लाइसेंस रद्द किया जाने वाला है उसे किसी अन्य फर्म को देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे कि एक कारखाना चालू हो सके। अन्य दो फर्में अपने कारखाने चालू कर सकें और अखबारी कागज़ का उत्पादन आरम्भ कर सकें इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वास्तव में कागज़ मिलों को लाइसेंसे देने अथवा लाइसेंस के सिफारिश करने के लिये मामले में योजना आयोग की नीति बड़ी उदार रही है। जैसा कि मैंने बताया रोहतास का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका है। दो लाइसेंसे दिये गये हैं। न केवल कागज़ मिलें स्थापित करने अपितु गन्ने की राब जैसे कच्चे माल को उपयोग में लाने के लिये भी प्रयत्न किये जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : यह देखते हुए कि छोटे अखबारों को अखबारी कागज़ के बारे में बड़ी कठिनाई हो रही है, सरकार उनकी कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वास्तव में छोटे और बीच के समाचार पत्रों के लिये श्री दिवाकर की अध्यक्षता में आजकल एक समिति बैठी हुई है। वह समस्या की जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि बीच के और छोटे समाचार पत्रों को बड़ी हानि होती है और जहां तक संभव हो उनके साथ रियायत की जानी चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the fact the newspapers in Indian languages are doing better service in communicating the ideas of the public to

the Government and the policies of Government to the public than the papers in foreign languages, do Government propose to make its policy more liberal in giving more quota of newsprint to the paper in Indian languages realising their great requirement ?

Shrimati Indira Gandhi : As Shri Pattabhiraman just now said that a committee has been appointed which is considering all these points.

डॉ० सरोजिनी महिषी : भारत को अन्य देशों से सहायता के रुप में जो अखबारी कागज़ मिलता है उसको किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है और विभिन्न राज्यों को किस आधार पर दिया जाता है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वास्तव में विभिन्न राज्यों के लिये ऐसा कोई निश्चित कोटा नहीं हैं। आजकल अखबारी कागज की कमी के कारण सरकार का इस में एक प्रकार से एकाधिकार सा हो गया है और मूल अधिकारों का उल्लंघन किये बिना विभिन्न समाचारपत्रों को कोटा देने के लिये हमारे पास कुछ निश्चित नियम हैं। हम प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत कोटा बढ़ाना चाहते थे। परन्तु हम देखते हैं कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण वित्त मंत्रालय हमें अधिक विदेशी मुद्रा नहीं दे सकता है। इसलिये कोटे के देने पर प्रतिबन्ध है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या अखबारी कागज़ के वितरण के लिये नीति बनाते समय केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की भी सलाह लेती है जिस से कि इस प्रकार कोई शिकायत न हो कि विभिन्न राज्यों में वितरण बराबर नहीं रहा है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन: समाचारपत्रों का एक रजिस्ट्रार है जो भारत के सभी राज्यों का दौरा करता है और अखबारी कागज़ के वितरण के समय वह प्रादेशिक असंतुलन को भी ध्यान में रखता है। परन्तु सच्चाई यह है कि अखबारी कागज़ की अब जो स्थिति है उसके देखते हुए किसी नये समाचार पत्र के लिये अखबारी कागज़ प्राप्त करना बड़ा कठिन है।

+ **निर्वाह व्यय देशनांक**

*379. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
डॉ० रानेन सेन :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य द्वारा नियुक्त की गयी समिति की उपपत्तियों के कारण सरकार का विचार मज़दूरों के लिये **अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य देशनांक** तैयार करने के आधार को बदलने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवया) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने महाराष्ट्र में चार केन्द्रों अर्थात् बम्बई, शोलापुर, नागपुर और जलगांव के लिये जो अखिल भारतीय अंतरिम सीरीज़ (आधार 1949) संकलित करने के लिए शामिल किए गए हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में संशोधन के लिए सिफारिश की थी श्रम ब्यूरो के निदेशक ने अखिल भारतीय अंतरिम सीरीज (आधार 1949) संकलित करते समय संशोधित सूचकांकों पर विचार किया है।

महाराष्ट्रा सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों के कारण अखिल भारतीय (अंतरिम) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन के आधार में संशोधन करने का अब प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इसे पहले ही वर्तमान अखिल भारतीय अंतरिम सूचकांक में शामिल कर लिया गया है। श्रम ब्यूरो के निर्देशक अब 50 केन्द्रों के लिए 1960–100 के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई सीरिज़ संकलीत कर रहे हैं। इन 50 नई सीरीज के आधार पर श्रम ब्यूरो के निदेशक अखिल भारतीय नई सीरीज भी संकलित कर रहे हैं जो कि यथासमय छप जायेंगी और वर्तमान अखिल भारतीय (अंतरिम) सीरीज़ को बदल देंगी।

Shri Vishram Prasad : What are the names of the States where Consumers' price index has not so far been enforced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malaviya) : Consumers price index is in vogue in nearly all those states where there are industries. In places where separate investigations have been conducted, such as Maharashtra, in those places the number of that place has been enforced and that number has been included in the All India Interim Index Number. In Gujarat, Rajasthan, Madras, Andhra Pradesh and Union Territory of Delhi enquiries are still being made.

Shri Vishram Prasad: Who will bear the loss occasioned to the workers in places where consumer's price index has not so far been introduced ?

Shri R. K. Malaviya : This will depend upon the recommendation of the Enquiry Committee.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : महाराष्ट्र सरकार ने जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी उसने अपना निर्णय लगभग एक वर्ष पहले बता दिया था। इस बीच सभी राज्यों में कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई हैं। इसलिये सरकार मूल्य सूचकांक की नई सीरीज़ लागू करना चाहती है। उन राज्यों में जहां पर ऐसी कोई समिति नियुक्त की गई है, मज़दूरों को जो घाटा हुआ है उसके लिये वे क्या करेंगे ?

श्री संजीवय्या : जहां पर भी मज़दूर यह अभ्यावेदन देते हैं कि किसी विशेष अंक में गलती है, हम उस राज्य सरकार को एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के लिये कहते हैं। जैसा कि मेरे साथी ने बताया 7 राज्यों ने पहले ही विशेषज्ञ समितियां नियुक्त कर दी हैं।

डा० रानेन सेन : पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1944 की कीमतों के आधार पर तैयार किया गया था। फिर कुछ समय के बाद 1949 को आधार वर्ष रखा गया। अब मंत्री जी कहते हैं कि यह 1960 के मूल्यों पर आधारित होगा। आधार वर्ष को बदलने के क्या कारण हैं, जिससे कि गणना करने में बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है और मज़दूरों को काफी कष्ट उठाना पड़ता है ?

श्री संजीवय्या : जब नई सीरीज़ का काम आरम्भ किया जाता है, एक परिवार आयव्ययक सर्वेक्षण किया जाता है। हाल ही में, 1958–59 में, परिवार आयव्ययक सर्वेक्षण किये गये थे और उसके आधार पर 1960 के आधार वर्ष को 100 के बराबर मानकर एक नई सीरिज़ पर विचार किया जायेगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय तरीका है।

श्री ओझा : गत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तैयार किये जाने के समय से उपभोग की वस्तुओं में परिवर्तन हो गया है। क्या समिति इस परिवर्तन को ध्यान में रखेगी और जहां तक संभव हो भूतलक्षी प्रभाव से इसका उपचार करेगी ?

श्री संजीवय्या : निश्चय ही उपभोग के परिवर्तन को विचार में लाया जायेगा। उदाहरणार्थ, दिल्ली की पुरानी सीरिज़ में केवल 42 वस्तुओं पर विचार किया गया था; अब, नई सीरिज़ के अनुसार 99 वस्तुओं पर विचार किया गया है। इसी प्रकार अन्य स्थानों के लिये भी आंकड़े हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या इस विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सरकार मजदूरों को भूतलक्षी प्रभाव से मुआवजा देगी ?

श्री संजीवय्या : स्वभावतः हम ने महाराष्ट्र राज्य में पहले ही ऐसा किया है।

श्री नम्बियार : गलत आंकड़े तैयार करने के कारण मज़दूरों को पहले जो घाटा हुआ है क्या सरकार उसका भुगतान करेगी ? क्या इस निर्णय को भूतलक्षी प्रभाव दिया जायेगा ?

श्री संजीवय्या : पहले त्रुटियों का पता लगना चाहिये। उसके बाद ही हम इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि क्या मज़दूरों को भूतलक्षी प्रभाव से भुगतान किया जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह देखते हुए कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में बहुत ऊंची कीमतों के होते हुए भी सूचकांक को नीचे गिरते हुए दिखाया गया है जिससे कि पटसन मज़दूरों का महंगाई भत्ता वास्तव में घटा दिया गया था, क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से वहां पर भी कोई जांच कराने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

श्री संजीवय्या : जी हां ; हम पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने उन राज्यों की एक सूची दी थी जहां पर जांच की जा रही हैं। मैं नहीं समझ पाता कि जांच क्यों नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : वे राज्य सरकार से परामर्श कर रहे हैं।

श्री इद्रन्जीत गुप्त : परामर्श का क्या परिणाम निकला ?

अध्यक्ष महोदय : परिणाम बाद में आयेगा।

श्री बड़े : मेरी जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र समिति ने पहला सूचकांक 1949 से 1960 के वर्षों से लिया है और यह कहा कि यह गलत है। क्या आपकी नई समिति भी 1949 के सूचकांक को ले रही है...

अध्यक्ष महोदय : मेरी कोई नई समिति नहीं है।

श्री बड़े : आपकी नहीं, सरकार की। क्या सरकार महाराष्ट्र समिति की इस आलोचना की ओर ध्यान देगी कि सरकार का पहला सूचकांक गलत था और समूचे सूचकांक को 1949 से पुनरीक्षित करेगी ?

श्री संजीवय्या : जी हां, महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर अखिल भारतीय सूचकांक का पहले से ही पुनरीक्षण कर लिया गया है और परिणाम यह निकला है कि इसमें दो अंक की वृद्धि हो गई है।

श्रीमति सावित्री निगम : मजदूरों को कठिनाइयों और शोषण से बचाने के लिये सभी सीरिज़ को प्रति वर्ष में तैयार करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री संजीवय्या : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्या का इससे क्या अर्थ है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं इसको खोल कर बताऊं ?

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं; अगली बार।

समाचारपत्रों के कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड

\+
*380. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री उमानाथ :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय समाचारपत्र कर्मचारी संघ के उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जो संघ ने अपने वार्षिक सम्मेलन में स्वीकार किया था और जिसमें बताया गया था कि कर्मचारियों को दी जाने वाली अन्तरिम सहायता के बारे में मजूरी बोर्ड द्वारा प्रतिवेदन पेश करने में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित मजूरी बोर्ड ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कब तक पेश हो जाने की आशा है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए अंतरिम सहायता की मंजूरी के बारे में सरकार के निर्णय की पहले ही घोषणा हो चुकी है।

गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए अंतरिम सहायता मंजूर करने की मांग पर इन कर्मचारियों के मज़दूरी बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री रामेश्वर टांटिया : उनकी क्या मांगे हैं और शहरों में अन्य उद्योगों के कर्मचारियों की मजूरी और भत्तों के मुकाबिले में वे कैसी हैं ?

श्री संजीवय्या : समूचा प्रश्न मजूरी बोर्ड के सामने है और वह बोर्ड उनकी सारी मांगों पर विचार करेगा।

श्री रामेश्वर टांटिया : इस के संबंध में मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन में देरी के क्या कारण हैं ?

श्री संजीवय्या : यह हाल ही में स्थापित किया गया था। श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड 12 नवम्बर, 1963 को स्थापित किया गया था और गैर-पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड 25 फरवरी, 1964 को स्थापित किया गया था। श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में बोर्ड ने अपनी अन्तरीम सिफारिशें पहले से ही दे दी हैं।

श्री कोया : क्या अन्तरिम प्रतिवेदन की घोषणा करते समय छोटे समाचार पत्रों की वित्तीय स्थिति पर विचार किया गया था ?

श्री संजीवय्या : इन सब बातों पर मजूरी बोर्ड को विचार करना है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह मजूरी बोर्ड अल्पकालिक पत्रकारों के मामलों पर भी विचार करेगा, जिन्हें श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है ?

श्री संजीवय्या : यदि वे श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा में नहीं आते हैं तो मजूरी बोर्ड उनपर विचार नहीं करेगा; परन्तु एक और मजूरी बोर्ड है जिसे समाचार-पत्र स्थापनाओं के गैर-पत्रकारों का मजूरी बोर्ड कहा जाता है।

Shri Y. S. Chaudhary : Will the recommendations of the wage Board cover the questions relating to pay etc. of the employees working in weeklies, fort-nightlies and monthlies ?

Shri R. K. Malaviya : The question of pay of this employees of all the papers coming under our definition will be considered whether those papers be dailies or weeklies or monthlies.

श्री विभूति मिश्रा : क्या सरकार ने विभिन्न समाचार पत्रों के मालिको से उनके कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तदर्थ वृद्धि देने के लिये कहा है ?

श्री संजीवय्या : हम उनसे महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिये कह रहे हैं, हम उन्हे मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में कह रहे हैं।

बर्मा से प्रत्यावर्तित व्यक्ति

+

*381 {
श्री दो० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री कजरोलकर :
श्रीमति रामदुलारी सिन्हा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमति रेणुका बड़कटकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यू० सिं० चौधरी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पे० वेंकटासुब्बया :
श्री थेवर गौंडर :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा से अब तक कितने व्यक्ति स्वदेश लौटकर आ चुके हैं; और

(ख) उनको किन-किन स्थानों पर बसाया गया है और उनको बसाने के संबंध में क्या प्रबन्ध किये गये हैं और क्या सहायता दी कई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) 1 जानेवारी 1964 से 11 नवम्बर 1964 तक की अवधि में 55,240 भारतीय राष्ट्रीक बर्मा से वापस आए हैं।

(ख) वापस आने वाले इन लोगों में अधिकांश का संबंध मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा से है और वे इन्हीं राज्यों में बसाये जा रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने जो उपाय किये हैं, उनका ब्यौरा 7 सितंबर 1964 को सदन की मेज़ पर रखा दिया था।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बर्मा से स्वदेश प्रत्यावर्तित इन व्यक्तियों को अपने साथ चल सम्पत्ती, आभूषण, सोना और रुपये लाने की अनुमति दी गई थी ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या पग उठा रही कि वे इन चीजों को वापिस ला सकें ?

श्री दिनेश सिंह : हम ने पिछले सत्र में इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा कि थी और मैंने कहा था कि बर्मा सरकार उन्हें थोड़ी मात्रा में घर का सामान और केवल 75 रुपये की रकम साथ लाने देती है। जैसा कि सभा को ज्ञात ही है, दूसरी चीजें वहां ही जमा करानी पड़ती हैं। इस बारे में बर्मा सरकार से बातचीत की जा रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : बर्मा से कितने व्यक्तियों की वापिस आने की आशा है और उनमें से दण्डकारण्य की औद्योगिक योजनाओं में कितनों को काम दिलाया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों की संख्या मैंने दी है। दण्डकारण्य मे कितने लोगों को काम दिलाया जायेगा, यह मैं नहीं बता सकूंगा।

Shri Rameshwar Tantia : Is the Government aware that the persons who deposited their jewellery and money with the Indian High Commission were threatened by the Burmese Government and they are not depositing these articles with the High Commission now ? If so have Government discussed this matter with the Government of Burma ?

Shri Dinesh Singh : We faced some difficulties in this matter and ultimately it was decided that instead of depositing with the Indian High Commission they should open an account in some bank and deposit it there.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इन स्वदेश प्रत्यावर्तीत व्यक्तियों के लिये विशेष उद्योग स्थपित करने का प्रबन्ध किया है ताकि सम्बन्धित राज्यों पर अधिक भार न पड़े ?

श्री दिनेश सिंह : सरकार उनके लिये कोई विशेष उद्योग स्थापित नहीं कर रही है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : इन प्रत्यावर्तित व्यक्तियों द्वारा बर्मा सरकार की अभिरक्षा में रखी गई सम्पत्ती का क्या मूल्य है ?

श्री दिनेश सिंह : बर्मा सरकार की अभिरक्षा में ऐसी सभी संपत्ति का मूल्य हमें ज्ञात नहीं है। परंतु कुछ समय पूर्व मैंने उनके पास जमा कराई गई राशि के बारे में सभा को सूचना दी थी।

Shri Sarjoo Pandey : Just now the hon. Minister told that the repatriates from Burma belonged particularly to Madras and Andhra States. But some people have returned to Uttar Pradesh. Are Government making some special arrangement to settle them there ?

Shri Dinesh Singh : The same very arrangements as are being made in other states will also be made in Uttar Pradesh.

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इन स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को उन राज्यों में बसाँने के लिये अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और क्या राज्यों ने भी इस के लिये कुछ खर्च किया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं इस सम्बन्ध में तत्काल कुछ नहीं कह सकता क्योंकि प्रारम्भिक व्यय तो राज्य सरकारों को ही करना पडेगा और हम इसकी प्रतिपूर्ति करेंगे ।

श्री रंगा : क्या सरकार यह सूचना एकत्रित करके सभा को बतायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार यह सूचना एकत्रित कर ले और सभा में रख दे ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Government contemplates to give some aid to these repatriates to set up industries here, if they so desire ?

Shri Dinesh Singh : Generally they would be extended the same very help as is given to the Indian Citizens. But in addition to that the persons who would like to set up small scale industries here would be given aid the details of which have already been given.

Shri Prakash Vir Shastri : I would like to know whether there has been any decrease in the number of people coming from Burma after the visit of Sardar Swaran Singh, Minister of External Affairs, to Burma and his discussion with the Government there, or they are coming as before ?

Shri Dinesh Singh : There is no decrease in their number.

Shri Y. S. Chaudhary : On the basis of International Law and the judgments delivered by International Court of Justice, it has been decided that if a person putting up in foreign country wants to return to his own country, he would be allowed to take 25 per cent. of his property with him. The Government informed the House during the last session that they have returned to India with almost nothing. In this connection I would like to know whether Government would force the Government of Burma to allow those people to bring with them some of their property according to the International Law and the Judgments of International Court of Justice.

Shri Dinesh Singh : The Government of Burma will pay due compensation to the firm which has been nationalised.

Mr. Speaker : He wants to know whether there is any International stipulation allowing such people to bring some property and that this should be brought to their notice.

श्री बड़े : माननीय मंत्री को यह बताना चाहिये कि क्या सरकार इस परिणाम पर पहुंची है कि इस प्रश्न का हल अन्तर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के अनुसार ही होना चाहिये ....

Mr. Speaker : I have said that this should be kept in view during the negotiations.

Shri Bade : Has it been kept in view hitherto ?

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार बार बार टालमटोल क्यों करती रहती है ?

श्री दिनेश सिंह : यह दोनों मामले कुछ भिन्न हैं। लोगों द्वारा अपने सामान को अपने साथ लाने के बारे में कुछ नियम हैं और मैं उन के सम्बन्ध में बोल रहा था। प्रतिकर देने के प्रश्न पर अभी बर्मा सरकार विचार कर रही है। बर्मा सरकार द्वारा प्रतिकर देने का आधार घोषित किये जाने पर हम उनसे बातचीत कर सकते हैं कि वह पर्याप्त है अथवा नहीं।

Shri Y. S. Chaudhary : I have not raised the question of compensation. I enquired about the percentage of the property which they can bring with them under the International Law and whether the Government have accepted it as a basis. It is not proper to put us off by replying briefly.

Mr. Speaker : Please take your seat and let him reply. There is no reason to become angry.

An hon. Member : The percentage of property which they can bring with them has already been mentioned in the papers.

Shri Y. S. Chaudhary : Now you may please take your seat. You have again raised a question, and how can I prevent him to give a reply ?

श्री दी० चं० शर्मा : पहले तो वैदेशिक कार्य मंत्रालय से बहुत अच्छा उत्तर मिलता था। अब हमें वैदेशिक कार्य मंत्रालय से संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री टालमटोल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि क्या इस प्रकार की टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता है।

श्री दिनश सिंह : मैं यह पहले ही बतला चुका था कि ये दोनों मामले अलग अलग हैं। माननीय सदस्य ने बताया था कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस विषय में बातचित चलते समय क्या यह बात भी ध्यान में रखी गई है कि ऐसे राष्ट्रीयकरण के फलस्वरुप विस्थापित हुए व्यक्ति अंत-र्राष्ट्रीय शर्तों के अनुसार अपनी संपत्ति का एक निश्चित भाग अपने साथ ले जा सकते हैं।

श्री दिनेश सिंह : उस संपत्ति का भाग नहीं जिसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। माननीय सदस्य ने 'राष्ट्रीयकरण' शब्द कहा, मेरे विचार से इस शब्द से उनका तात्पर्य 'नेशनलाइजेशन' से है।

श्री रंगा : बात व्यक्तिगत संपत्ति के विषय में थी।

अध्यक्ष महोदय : वह तो उस संपत्ति के विषय में कह रहे हैं जो ऐसे व्यक्ति अपने साथ ला सकते हैं।

श्री दीनेश सिंह : जो संपत्ति विस्थापित व्यक्ति अपने साथ ला सकते थे, उसके विषय में मुख्य प्रश्न आभूषणों तथा धन का था। वे चीजें खाते में जमा की जा चकी हैं और उन समस्त चीजों के, न कि उनके किसी प्रतिशत भाग के, स्थानान्तरण के लिए बातचित चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बातचित के दौरान उस पहलू को भी ध्यान में रखा गया है जिसका उल्लेख उन्होंने किया है और इस बात से उनको अवगत भी करा दिया गया है।

श्री दिनेश सिंह : यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इसका संबंध उसके एक भाग से ही रहेगा। जब कि हम सब चीजों के साथ लाने के प्रश्न पर विचार कर रहे है तो उसके एक ही भाग के विषय में विचार करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है ?

माउन्टेन डिविजन

*382. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के माउन्टेन डिवीजनों को प्रशिक्षण देने तथा हथियारों से सुसज्जित करने का कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने डिविजनों को पूर्णतया प्रशिक्षित तथा हथियारों से सुसज्जित किया जा चुका है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां।

(ख) तीन पर्वतीय डिवीज़नों के लिए भर्ती सम्पूर्ण हो चुकी है, और वह लगभग पूर्णतया लैस हैं। साज़सामान की कुछ कमी देशीय उत्पादन बढ़ाकर, तथा बाहर से मगाकर पूरी की जा रही है। शेष डिविज़नों को प्रशिक्षण देने और लैस करने का काम भी प्रगतिशील है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस समय इन डिविज़नों के पास जो साज-सामान है क्या उनकी किस्म तथा स्तर से माननीय मंत्री पूर्णतया संतुष्ट हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जी हां।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : एक वर्ष की न्यूनतम अवधि तक इन तीनों डिविजनों में से कितने डिविजन पर्वतीय क्षेत्रों में 7,000 से 8,000 फीट की ऊँचाई पर वास्ताव में रहे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इन तीनों डिविज़नों के एक प्रथम दल ने वास्तव में कुछ अवधि वहाँ गुजारी है। मैं निश्चित अवधि तो बताने में असमर्थ हूँ; वह एक वर्ष से कम की ही अवधि है।

श्री हेडा : पहले दिए गए एक उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि वह छः डिविजनों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। क्या उन्होंने अन्य तीन डिविजनों से संबंधित इस विचार को त्याग दिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में हम 10 पर्वतीय डिविजन संगठित कर रहे हैं। तीन डिविजन पहले ही पूरे हो चुके हैं; अन्य तीन डिविजनों को सज्जित किया जा रहा है और यह काम मार्च, 1965 के अन्त तक पूरा हो जायगा; अगला कार्यक्रम भी आगे चलाया जा रहा है।

श्री हेम बरुआ : अब भी भारत की सीमा पर चीन की बडी मात्रा में सैनिक तैयारियां चल रही हैं जैसा कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने भी स्विकार किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी सरकार पर्वतीय डिविजनों के पुनर्गठन का कार्य इतनी धीमी गति तथा निष्क्रियता से क्यों कर रही है ? जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों का संबंध है, मंत्री महोदय ने इन डिविजनों के पुनर्गठन का वचन इस सभा में दिया था चूंकि ऐसी डिविजनों की कमी के कारण ही पहली बार भी हमें हार खानी पड़ी थी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह मामला ऐसा है जिस पर फिर ध्यान देना है। परंतु सदन को निश्चित रुप से मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि इस संबंध में प्रगति निष्क्रिय नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है।

श्री हेम बरुआ : तो फिर धीमी गति है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न साज-सामान को प्राप्त करने का है ; केवल यही नहीं, अपने सैनिकों को इन साज-सामान के प्रयोग करने का प्रशिक्षण देने का प्रश्न भी है; यह भी प्रशिक्षण का एक अंग है । संभवतः इसी में समय लग रहा है ।

श्री हनुमन्तैया : इन पर्वतीय डिविजनों के लिए भरती किए जाने वाले व्यक्तियों में क्या कुछ व्यक्ति भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के भी है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह तो मैं नहीं बता सकता । निश्चित रूप से कुछ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कुमायूं से भरती किए गए हैं । परन्तु ऐसे व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या बताने में मैं असमर्थ हूं ।

श्री अ० प्र० जैन : पर्वतीय डिवीजनों को जो साज-सामान विशेष रूप से आवश्यक है उसका देश में ही निर्माण करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है और उसका कितना प्रतिशत भारत में ही निर्माण किया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बताना कठिन है कि कितने प्रतिशत साज-सामान का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है ।

श्री अ० प्र० जैन : लगभग ही सही

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसके लिए तो कुछ चीजें देखनी पड़ेगी । उदाहरण के लिए इन पर्वतीय डिवीजनों में हम इस नई राइफल को चालू कर रहे हैं ; यह राइफल पूर्णतया अपने देश में ही बनाई जा रही है । इसके साथ ही कुछ नए प्रकार के संचारवाहक सेटों की आवश्यकता है और संभवतः इनको दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ेगा । इसी प्रकार कुछ एल०एम०जी० भी विदेशों से मंगाने पड़ेंगे । कुछ मामलों में हमने उत्पादन कार्य अपने देश में ही आरम्भ कर दिया है । प्रश्न केवल विशाल मात्रा में उत्पादन का है ; इसके लिए कुछ समय लगेगा ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : पर्वतीय डिवीजनों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त क्या वहाँ पर रहने वाले स्थानीय व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था मंत्रालय द्वारा की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस संबंध में कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

श्री रंगा : जैसा कि आप जानते हैं कि सदन में विशेषरूप से इस विषय में दिलचस्पी ली गई है । इस संबंध में हम और अधिक निश्चित तथा विस्तृत सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, यदि इस समय नहीं तो सरकार इस सूचना को मिलने पर कम से कम जितना शीघ्र हो सके दे । उदाहरण के लिए अनेकों सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि भरती करते समय यथासंभव हिमालय क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जानी चाहिए । हम तो यह जानना चाहते हैं कि इन डिवीजनों में ऐसे कितने व्यक्ति भरती किए गए हैं और पर्याप्त संख्या में लोगों को भरती न कर सकने के कारण दूसरे तीन पर्वतीय डिवीजनों के विकास में कितना विलम्ब हुआ है और यह भी कि उन आर्डनेन्स कारखानों को स्थापित करने में कितना विलम्ब हुआ है जिनके आरम्भ करने का वचन उन्होंने दिया था वैसा करने में व असफल रहे ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हिमालय क्षेत्र के विशेष भागों से भरती किए गए व्यक्तियों के विषय में यथासंभव सूचना देने के लिए मैं तैयार हूँ । जैसा कि मैंने कहा कि हमने विशेष रूप से गढ़वाल, कुमायूं तथा अन्य भागों से अधिक संख्या में लोग भरती किए हैं । गुरखा तथा डोगरा भी इनमें सम्मिलित हैं ।

श्री रंगा : क्या मैं यह समझूं कि यह सूचना हमको बाद में दी जाएगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि यह सूचना देना वांछनीय होगा ।

श्री हेम बरुआ : जो सूचना श्री रंगा ने पूछी है उसके संबंध में औचित्य के प्रश्न पर। इस विषय में एक विस्तृत विवरण देने का मैं विरोध करता हूं क्योंकि अपनी प्रतिरक्षा संबंधी गुप्त बातों को बताने से शत्रु को सहायता मिल सकती है।

श्री रंगा : भरती के संबंध में कोई गुप्त बातें नहीं हैं।

श्री हेम बरुआ : इस विषय में विवरण दिया जा सकता है परन्तु उसमें अपनी प्रतिरक्षा संबंधी गुप्त बातें नहीं बताई जानी चाहिए।

श्री रंगा : स्वयं मेरे माननीय मित्र ने ऐसे लोगों की प्रतिशत संख्या पूछी है। क्या कोई ऐसी गुप्त बात है जो उन्होंने न पूछी हो? यह एक बहुत ही असाधारण सी बात है।

श्री हरी विष्णु कामत : सैनिक गुप्तवार्ता विभाग के अनुसार पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में हिमालय, नेफा तथा लद्दाख सीमाओं पर ऐसे कितने चीनी डिवीजन तनात हैं जिनके कारण विगत काल में दुर्भाग्यवश हमको नीचे हटना पड़ा और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए इन सीमाओं पर हमारे कितने सुसज्जित डिवीजन लगे हुए हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारी सूचना के अनुसार पूर्व से पश्चिम तक पूरी उत्तरी सीमा पर हमारे विरुद्ध लगभग 14 से 16 की संख्या में चीनी डिवीजन तैनात हैं और मेरे विचार से हम भी उनका यथाशक्य मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

श्री भगवत झा आज़ाद : चीन ने परमाणु बम का विस्फोट किया है तथा वह अपनी सेना को आधुनिकतम अस्त्रों से सुसज्जित कर रहा है। इस बात के देखते हुए क्या मैं यह जान सकता हू कि क्या इन पर्वतीय डिवीजनों को दिए जाने वाले अस्त्रों की किस्म में परिवर्तन करने पर प्रतिरक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा विचार है कि मैंने ऐसा कहा था। जब हमने इन पर्वतीय डिवीजनों को बढ़ाना चाहा तो उसमें सुधार करने का प्रश्न स्वभावतः सम्मिलित था और निश्चित रूप से नए अस्त्र देने पड़े। इसमें जो कुछ देरी हुई उसका कारण यही था कि हमें इस किस्म के साज-सामान को विदेशों से मंगाना था तथा अपने देश में उनका उत्पादन आरम्भ करना था।

श्री हरिश्चन्द्र माथर : विदेशों से आने वाला साज-सामान ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका से आना था। इन देशों से अलग अलग कितना साज-सामान आ चुका है? जैसा कि पीछे एक दिन माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि चीन द्वारा परमाणु बम के विस्फोट से उत्पन्न प्रभाव तथा उलझनों का अब मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया है तो इस संबंध में मूल्यांकन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं पिछली बात का उत्तर पहले दूंगा। मैंने इस विशिष्ट प्रश्न के मूल्यांकन करने के लिए बलाधिकृत* से कहा है और उनके उत्तर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं।

जहाँ तक ऐसे साज-सामान के मूल्य तथा उसके प्रतिशत भाग का संबंध है जो हमने दूसरे संबद्ध देशों से प्राप्त कर लिया है, प्रतिवर्ष इनके लिए अलग-अलग करार किए जाते हैं। अधिकांश साज-सामान तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुका है परन्तु इसके लिए स्वभावतः हम नए करार कर रहे हैं। अतएव, मेरे लिए यह बताना अत्यन्त कठिन है कि कितने प्रतिशत साज-सामान हमें प्राप्त हो चुका है।

---

*Chief of Staff.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इन देशों से अलग-अलग 6 करोड़ डालर मूल्य का साज-सामान आना था। क्या यह सारा सामान आ चुका है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से जैसा कि नसाओ समझौते में निश्चय किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से 80 प्रतिशत से भी अधिक साज-सामान आ चुका है ; ब्रिटेन से यह कुछ धीमी गति से आया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन माउंटेन डिवीजनों के लिये सशस्त्रों के अतिरिक्त, क्या यह सच नहीं है कि उन को कई प्रकार के विशेष उपकरणों, जैसे विशेष कपड़े बन्दूकों के लिये न जमने वाले कई प्रकार के तेल आदि की आवश्यकता होती है ? क्या मैं जान सकता हूं कि इन क्षेत्रों में अनुसन्धान करने के लिये क्या कदम उठाये गये है अथवा क्या व्यवस्था की गयी है ताकि माउंटेन डिवीजनों को ये और अन्य सहायक सामान का सम्भरण किया जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा विचार है कि सेना-मुख्यालय में प्रतिरक्षा कर्मचारिवृन्द ने इन सब पहलुओं पर, विशेषतया कपड़ों और खाद्य की प्रकार पर जिन की उनको आवश्यकता होगी विचार किया है। अधिक ऊंचाई सम्बन्धी समस्याओं की पूरी तरह से जांच की गयी है और उनका हल मालूम किया गया हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या हमारे माउन्टेन डिवीज़नों में कुछ प्रदेशों और जातियों की भारी बाहुलता दैवयोगिक है अथवा एक नीति के परिणाम स्वरूप है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में मैं माननीय सदस्य की पूर्वधारणा को स्वीकार नहीं करूंगा। किन्हीं विशेष जातियों की बहुलता का प्रश्न नहीं है।

श्री कपूर सिंह : उन्हों ने इस बात को स्वयं माना है कि उन में कुछ प्रदेश तथा जातियां हैं और अब वह कहते हैं कि यह पूर्वधारणा ग़लत है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो कुछ मैंने कहा था वह यह है। उन क्षेत्रों से निःसन्देह कुछ लोग हैं, परन्तु बहुलता का ऐसा कोई प्रश्न नही है। यह दोनों भिन्न विचार हैं।

श्री श० न० चतुर्वेदी : हम ने दो माउंटेन डिवीज़नों को सुसज्जित करने में दो वर्ष लगाये हैं और हमारा लक्ष्य दस माउंटेन डिवीजनों का है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने, यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रदाय का प्रवाह जारी रहे और पहले के मुकाबले में अधिक द्रुतगति से हो, कोई कदम उठाये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निःसंदेह फल पाने के लिये हमें अपनी प्रगति के सम्बन्ध में निरंतर सावधान रहना पड़ेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि ये माउंटेन डीवीज़नें केवल अधिक ऊंचाई पर युद्ध करने के योग्य हैं अथवा वे तथाकथित 'वन-युद्ध' भी कर सकेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दोनों–अधिक ऊंचाई तथा वन-युद्ध।

Shri Sheo Narain : The Minister has said that weapons are being procured from abroad. I want to know whether some Jawans are also being sent abroad to get training in their operation ?

Shri Y. B. Chavan : Of course. We have always been sending. How could we not send ?

चलचित्र वित्त निगम

\+

*384 { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर के भारतीय चलचित्र उद्योग को बढ़ावा तथा सहायता देने के लिये एक सरकारी समवाय के रूप में **चलचित्र वित्तनिगम लिमिटेड** 1960 में स्थापित किया गया था ;

(ख) अच्छे स्तर की फिल्मों को तैयार करने में सहायता देकर इस निगम ने भारतीय चलचित्र क्षेत्र पर क्या प्रभाव डाला है ; और

(ग) निगम ने स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कितने नये निर्माताओं की धन से सहायता की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० ए० पट्टाभिरामन) : (क) से (ग) : फ़िल्मों के स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से अच्छे स्तर और श्रेणी की फ़िल्मों के निर्माण हेतु धन तथा अन्य सुविधाएं देकर फ़िल्म उद्योग को बढ़ावा तथा सहायता देने के उद्देश्य से **25 मार्च, 1960** को **भारतीय समवाय अधिनियम** के अन्तर्गत **फिल्म वित्त निगम लिमिटेड** एक समवाय के रूप में पंजीकृत किया गया था । इस निगम के **शेअर** केवल केन्द्रीय सरकार के ही पास हैं । फ़िल्में बनाने के लिए जिन 41 निर्माताओंको निगम ने अब तक ऋण दिए हैं उनमें से 24 को "तरुण और नए" निर्माता कहा जा सकता है । भारतीय फ़िल्म उद्योग पर जो ऋण दिए गए हैं उनके प्रभाव का इतनी जल्दी मूल्यांकन नहीं हो सकता । वितरकों को उन फिल्मों के, जो कला की दृष्टि से अच्छी हों परन्तु भीड़ कम आकर्षित कर सकने वाली हों, स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा पर काबू पाने में कुछ समय लगेगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने *'पाथेर पन्चाली' चित्र के निर्माण के लिये विख्यात निर्देशक सत्यजीत राय की सहायता की थी और इस अनुभव के आधार पर सरकार ने ऐसे निर्माताओं की, जो विशेष योग्यता रखते हुए भी साधनहीन हैं, सहायता करने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : ध्यान तो इस बात का रखा जाता है कि निर्माताओं को व्यक्तिगत रूप से यह सहायता दी जाये परन्तु कठिनाई यह है कि विभिन्न स्थानों पर इन चलचित्रों को दिखाने के लिये सिनेमा घर नहीं मिलते । हम ऐसी सुविधाओं के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं परन्तु यह कठिनाई तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक वितरक तथा सिनेमाघरों के मालिक इन चलचित्रों को प्रदर्शित नहीं करते । जिस चलचित्र का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, इस को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है कि प्रथम श्रेणी की फ़िल्म तैयार करने के लिये अधिक से अधिक जो ऋण दिया जाता है वह निर्धारित सीमा के भीतर होता है और क्योंकि अच्छे कलाकारों को पाना कठिन होता है इसलिये क्या सरकार उन को सीमा से अधिक ऋण देने का प्रयत्न करेगी ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह सच है कि 122 आवेदन पत्रों में से केवल 41 को कुल 1.20 करोड़ रु० का ऋण दिया गया है । 29 प्रार्थियों ने 68 लाख रुपये का ऋण ले लिया है । ऋण दिये जाने के बारे में सीमा निर्धारित है और हमें इस का यथा समय अध्ययन करना पड़ता है । वास्तव में अधिकृत पूंजी एक करोड़ है और 50 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये गये हैं ।

---

*'Pather Panchali.'

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि कितने तरुण भारतीयों ने ऋण के लिये आवेदन पत्र भेजे और कितनों को ऋण दिया गया है और क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि क्या इन ऋणों का अधिकतम भाग अब भी बड़े निर्माता तथा एकाधिकारी नहीं ले जाते हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : 41 निर्माताओं में से, जिन को ऋण दिये गये हैं, 24 तो तरुण और नए हैं तथा 17 सुप्रसिद्ध निर्माता हैं ।

श्रीमती सवित्री निगम : मैं ने पूछा था कि ऋण के लिये कितनों ने प्रार्थना की थी ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : 122.

डा० रानेन सेन : बंगाल का विभाजन हो जाने से बंगाली फ़िल्म का बाज़ार कुछ ठण्डा पड़ गया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी बंगाल में अच्छे निर्माताओं की भारी संख्या है, इन की सहायता करने के लिये सरकार और फ़िल्म निगम ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं बहुत सम्मान पूर्वक कहूंगा कि यह वास्तव में केवल पश्चिमी बंगाल का ही प्रश्न नहीं है । हम उन कलाकारों की जिन का इस उद्योग से पूर्व सम्बन्ध है, सहायता करते हैं और मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि उन में से कुछ पश्चिमी बंगाल के भी हैं । परन्तु उन के सम्बन्ध में शरणार्थी होने के नाते कोई विशेष कदम नहीं उठाये जाते हैं ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार कौन से कदम उठाने का विचार कर रही है जिस से भारतीय चित्रपट की तथाकथित मुख्य अभिनेत्रियां विभिन्न फ़िल्म संस्थाओं को दिये जानेवाले वित्त पर अपना एकाधिकार न जमाने पायें ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं पहले इस बारे में आंकड़े दे चुका हूँ ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : यह प्रश्न तो तथाकथित मुख्य अभिनेत्रियों के सम्बन्ध में था जो सम्पूर्ण वित्त को एकत्रित कर लेती हैं जिस के फलस्वरूप फ़िल्म उद्योग के अन्य विभागों को हानि उठानी पड़ती है ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस प्रश्न का सम्बन्ध फिल्म निर्माण से है और हम फ़िल्म निर्माताओं के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : वास्तविक रूप से एक अच्छे चलचित्र के निर्माण के लिये अग्रिम धन देने की क्या कसौटी है ? गत कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि फ़िल्म उद्योग में प्रेमालापका प्रभुत्व होता है और इसलिये मैं जानना चाहता था कि फ़िल्म निर्माण में अपने राष्ट्रीय लक्षण का परिरक्षण करने के लिये क्या किसी कसौटी को ध्यान में रखा जाता है जिस से उस राशि का जो अग्रिम धन के रूप में दी जा रही है, उचित उपयोग हो सके ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है । हमारा वास्तविक अभिप्राय कलाकृतियों तथा उन की चिरस्थायी उपयोगिता पर बल देना है । कुछ फ़िल्मों का सम्बन्ध प्रेमालाप से हो सकता है किन्तु सब का नहीं ।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि ऋण को अत्याधिक आवेदकों में बांटने की बजाय सरकार को अपना ध्यान विख्यात तथा विशेष योग्यता रखने वाले कलाकारों की देशभक्ति की फ़िल्मों पर केन्द्रित करना चाहिये ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इस के लिये एक नियमित प्रक्रिया है ; हमें लिपि और चित्रित कथानक को देखना पड़ता और सम्पूर्ण कृति को पढ़ना तथा उन का अध्ययन करना पड़ता है । इसके लिये एक निदेशालय है ।

Shri Yashpal Singh : Have Government taken note of this point that there is no opportunity to encourage the new producers and that some people have monopolised it whether the corporation is making any efforts to the effect that good films are produced and the new producers are encouraged ?

Shrimati Indira Gandhi : The corporation has been set up for this very purpose so that they could get help.

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निगम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि फ़िल्मों को प्रेम अभिनय और भड़किले गानों से मुक्त किया जाये ?

श्रीमति इन्दिरा गांधी : यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

श्री नम्बियार : श्रीमन, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है—देश में वर्तमान फ़िल्म निर्माण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन ।

अध्यक्ष महोदय : युवक तो इस की सराहना कर सकते हैं परन्तु मैं नहीं जानता हूं कि श्री कपूर सिंह उसके लिये आग्रह क्यों कर रहे हैं । **(अंतबाधांए)**

श्री हरि विष्णु कामत : समझौता उपमंत्रीजी इस का उत्तर दे सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

सेना के जवानों को उनकी जमीन वापस दिलाना

*387. **श्री काजरोलकर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे कुछ रक्षोपायों की व्यवस्था की है जिस के अनुसार सेना की नौकरी से छुट्टी पाने के बाद सेना के वे जवान, जिनकी अपनी जमीन है, उस ज़मीन को स्वयं कृषि करने के लिये पुनः प्राप्त कर सके ;

(ख) यदि हां, तो वह रक्षोपाय क्या है ;

(ग) ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं जहां इस प्रकार का विधान लागू है, और

(घ) क्या इन रक्षोपायों को उन जवानोंको, जो सक्रिय सेवा में हैं, बताया जाता है और क्या इस बारे में कोई पत्रिका प्रकाशित की जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी दर्शाने-वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) भूमि राज्यों का एक विषय है, और निजी कृषिकार्य के लिए जवानों द्वारा अपनी भूमि पुनः प्राप्त करने के विषय मे उनके रक्षोपायों की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व विभिन्न राज्य सरकारों पर है । तदपि, प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा योजना आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासनों से प्रार्थना की है, कि वह ऐसे जवानों के रक्षोपायों की आवश्यक व्यवस्था करें, जो भूमिघर अथवा काश्तकार होने के नाते, भमि में रूचि रखते हों । रक्षोपायों में एक उन्हे यह उपाय बताया गया है, कि सशस्त्र सेनाओं से विमुक्ति पर सेवाओं के भूमिघर सेविवर्ग को निर्धारित सीमा तक पुनः भूमि प्राप्त करने की अनुमति हो ।

3—4 Lok Sabha/65

(ग) निम्न राज्यों और संघीय भूक्षेत्रों में ऐसी कानूनी व्यवस्था पहले से है :—

आंध्र प्रदेश
आसाम
बिहार
केरल
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
मैसूर
उड़ीसा
पंजाब
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
दिल्ली
मणिपुर
त्रिपुरा ।

(घ) सेना मुख्यालयों ने प्रस्तावित रक्षोपायों से सभी संबंधितों को कमान मुख्यालयों द्वारा सूचित कर दिया है। इस संबंध में इस समय कोई प्रकाशन नहीं है। सभी राज्य सरकारों से, जभी अन्तिम निर्णय तय हुआ, विभिन्न राज्यों के भूमिसुधार विधेयक के अन्तर्गत, वास्तविक तौर पर उपलब्ध विभिन्न रक्षोपायों से, सामान्य सरकारी माध्यमों द्वारा सेवाओं के सभी सेविवर्ग को सूचित कर दिया जाएगा, और उन्हें सैनिक समाचार में प्रकाशित भी किया जाएगा, जो सभी सैनिकों के लिए पढ़ने को उपलब्ध एक साप्ताहिक पत्र है ।

श्री काजरोलकर : क्या हमारे जवानों के लिये कोई प्रकाशन या पत्रिका निकाली जाती है और यदि हां, तो उसका प्रकाशन कौन करता है ?

डा० द० स० राजू : सैनिक समाचार नाम का एक प्रकाशन है जो हर सप्ताह प्रकाशित होता है और यह सूचना उस पत्रिका में दी जाती है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठायेगी कि देश भर में गठित सोल्जर्स बोर्ड्स जवानों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं को अपने हाथ में ले ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : प्रश्न केवल उन बोर्डों द्वारा इस मामले को अपने हाथ में लेने का ही नहीं है। भारत सरकार ने भी विभिन्न राज्य सरकारों से इस प्रश्न पर बातचीत की है जिस के परिणाम स्वरुप विभिन्न राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य विधान बनाये हैं ।

जंजीबार में भारतीय

+
*388. **श्री हुकुमचन्द कछवाय :**
श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जंजीबार में रहने वाले भारतीयों को वहां के अधिकारीगण के हाथों अत्याचार तथा अपमान का शिकार होना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले पर तंजानिया के राष्ट्रपति को कोई विरोध-पत्र भेजा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि भारत मूलक लोग जंजीबार में आजकल कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विरोध-पत्र भेजना आवश्यक नहीं समझा है। फिर भी, हमारा हाई कमिशनर तनजानिया सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the reasons as to why Government of India did not take any action in the matter in spite of the fact that those people lodged complaints for several days with the Indian High Commission there about their being subjected to atrocities and humilation ?

Shri Dinesh Singh : This House is well aware of our policy in this regard. Perhaps, there will be no propriety in pleading with other Governments for people of Indian origin. That is why we cannot press the matter.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the basic reasons for which those people were subjected to such atrocities and humilation.

Shri Dinesh Singh : I cannot say that they had to suffer atrocities and humilation to a great extent, they have to mingle with those living there. Besides, this matter concerns with the people and the Government of that country.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय वायु सेना के लिये अमरीकी लड़ाकू विमान

*383. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के लिये शक्तिशाली लड़ाकू विमान देने और अथवा निर्माण करने में अमरीकी सहायता देने के बारे में अमरीका की वायु सेना के विशेषज्ञों के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार और आगे क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो शीघ्र निर्णय करने में किन विशिष्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और

(घ) क्या वर्तमान बातचीत के अन्तर्गत एफ 104 जी 'स्टार-फायटर्स' दिये जायेंगे अथवा भारत में उनका निर्माण किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अमरीकी विशेषज्ञों के दल ने, भारतीय वायु सेना के लिए, उच्च निश्पादन के लड़ाकू विमान देने, अथवा किसी किस्म के उच्च निष्पादन के, नए लड़ाकू विमानों के निर्माण के विषय को नहीं छुआ। उन के निरीक्षण का विषय **एच०एफ०** 24 विमान के लिए उत्पादन संबंधी सुविधाओं से संबंधित रहा, तथा उसके अधिक विकास के लिए आवश्यक सहायता से।

(ख) अमरीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट विचाराधीन है ।

(ग) रिपोर्ट अनेक तकनीकी विस्तारों से पूर्ण है । उसके निरीक्षण में अभी और अधिक समय लगेगा ।

(घ) जी नहीं ।

इलायची बागानों में निम्नतम मजूरी

*385. **श्री उमा नाथ :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री इम्बीचीबावा :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह बताया गया है कि इलायची के कुछ बागानों में काम करने वाले मज़दूरों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा बागान श्रमिक अधिनियम के अनुसार मजूरी तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कदम उठाने का है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) और (ख) इलायची बागानों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम और बागान श्रमिक अधिनियम लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

भारत सरकार को मालूम नहीं है कि कुछ इलायची बागानों में कामगरों को मज़दूरी और अन्य अन्य भत्ते अधिनियम के अनुसार नहीं दिए जाते ।

रेडियो काश्मीर

*386. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **सूचना और प्रसरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के श्रीनगर तथा जम्मू स्थित स्टेशन क्रमश: "रेडियो काश्मीर" "श्रीनगर" तथा "रेडियो काश्मीर जम्मू" कह कर प्रसारण करते हैं ;

(ख) क्या आकाशवाणी के देश के अन्य स्टेशन आकाशवाणी, कलकत्ता अथवा बम्बई अथवा स्टेशन का जो भी नाम हो, उसका नाम ले कर प्रसारण करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक भी इस प्रकार का विभेद कैसे चलता आ रहा है और यह विभेद कब समाप्त किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आकाशवाणी के श्रीनगर और जम्मू केन्द्रों की मूल स्थिति का इस विभेद से कोई सम्बन्ध नहीं है । ये केन्द्र "रेडिओ काश्मीर" के नाम से पिछले 16 सालों से काम कर रहे हैं और भारत से बाहर के अधिकांश श्रोताओं के लिए यह नाम बहुत जाना पहचाना हो गया है । इस अवस्था में इस नाम में कोई परिवर्तन करने से श्रोताओं के मन में भ्रांति उत्पन्न होने की संभावना है । यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है, तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

लंका के भारतीयों के बारे में किये गये करार की क्रियान्विति

*389. **श्री धर्म लिंगम :**
श्री ओंकार लाल बैरवा ।

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका में भारतीय उद्‌भव के व्यक्तियों की भावी स्थिति पर भारत तथा लंका के प्रधान मंत्रियों के बीच हुए करार को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त किये जाने वाले विशेषाधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस अधिकारी ने कार्य-भार संभाल लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 30 अक्तूबर 1964 को भारत और श्रीलंका के बीच जो करार हुआ था, उसे क्रियान्वित करने के लिए एक विशेषाधिकारी नियुक्त करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन राष्ट्रमंडल सचिव सम्भवतः श्रीलंका जाएंगे जहां वे श्रीलंका सरकार के अधिकारियों से बातचीत करेंगे।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद सरकार का धन

*390. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित वेस्ट मिनिस्टर बैंक में जमा हैदराबाद सरकार के धन से सम्बन्धित मामले को निबटाने के लिये पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां।

(ख) भारत और पाकिस्तान इस धन का निबटान करने के संबंध में अस्थायी तौर पर सहमत हो गए हैं कि इसका 40 प्रतिशत पाकिस्तान को और 60 प्रतिशत भारत को मिले ; इस धन का उपयोग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने में किया जाएगा।

नागा विद्रोही

*391. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमति रेणुका बड़कटकी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालाकृष्ण सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 नवम्बर, 1964 को अपर बर्मा की सीमा के पास मनीपुर के किसी स्थान पर नागा विद्रोहियों ने भारतीय सेना पर आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने सैनिक हताहत हुए ;

(ग) क्या विद्रोहियों के पास से लाइट मशीनगन, अनेक जापानी राइफलें तथा कागजात बरामद हुए थे ; और

(घ) क्या किसी जांच का आदेश दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 13/14 नवम्बर की रात को दक्षिण पूर्वी मनीपुर में, हमारे गश्ती-दस्ते का लगभग 60 विद्रोही नागा से संघर्ष हुआ। यह क्षेत्र शांति की बातचीत संबंधी क्षेत्र से बाहर है।

(ख) अपनी सुरक्षा सेनाओं को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी। 12 विद्रोही मारे गए थे, और और 20 घायल हुए थे।

(ग) एक हल्की मशीनगन और 5 राइफल नागाओं से हाथ लगी थीं।

(घ) जी नहीं।

विदेशों से शस्त्र सहायता

*392. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी आक्रमण के विरूद्ध भारत की प्रतिरक्षा के लिये शस्त्र तथा उपकरण की सहायता लेने के विषय पर ब्रिटेन, अमरीका तथा रूस की सरकारों के साथ की गई बातचीत के बाद उनका विचार निकट भविष्य में किन्हीं अन्य मित्र सरकारों के साथ भी बातचीत करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किन के साथ ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रिजर्व में रखे गये सैनिकों को सेवा लाभ

*393. **श्री कपूर सिंह** :
श्री दलजित सिंह :
श्री साधुराम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेनाओं के रिज़र्व में रखे गये सैनिकों का, जिन्हें सेवा के हित में रिज़र्व के रूप में स्थानान्तरित कर दिया गया है और जो लोअर डिवीज़न क्लर्क/जूनियर क्लर्क जैसे असैनिक पदों पर चले गये हैं, वेतन निश्चित करने के लिये उनकी सैनिक सेवा के पूर्ण वर्षों का लाभ नहीं दिया जा रहा है जब कि उनको वेतन, वेतनक्रम की अधिकतम सीमा के हिसाब से मिल रहा है ; और

(ख) क्या यह लाभ देने के लिये सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) तथा (ख) इस मामले की स्थिति को स्पष्ट करने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–3555/64]**

कर्नल भट्टाचार्य की रिहाई

*394. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : }

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नल भट्टाचार्य की रिहाई के बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत को कोई अग्रिम सूचना दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उनके परिवार के सदस्यों को भी सूचना दे दी गई थी ;

(ग) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उन्हों ने इस बीच भारतीय सेना में अपने पद पर काम करना अयोग्य कर दिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां, अग्रिम सूचना मिली थी ।

(ख) उन के दिल्ली पहुंचते ही उनके परिवार को सूचित कर दिया गया था ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) हाँ ।

चीनियों द्वारा विस्फोट

396. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी अधिवेशन में चीनी अणु बम्ब परीक्षण का प्रश्न उठाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है तथा संयुक्त राष्ट्र के सामने क्या विशिष्ट प्रस्ताव पेश किये जायेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत सरकार इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि महासभा के सन्मुख क्या क्या उचित प्रस्ताव होंगे । ऐसा करने का प्रयोजन चीन द्वारा अणु परीक्षण से उत्पन्न लोकसमाज की चिन्ता तथा तनाव, अणु परीक्षण निषेध सन्धि का उल्लंघन, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का खण्डन जैसी बातों व्यक्त करना है । अतः सुझावों पर निर्णय करने से पहले संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से परामर्श किया जाना चाहिये तथा किया जा रहा है ।

मरमागाओं पत्तन में हड़ताल

*397. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **श्रम** ओर **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश नौभरक मजदूरों तथा पत्तन मजदूरों द्वारा अनिश्चित काल की हड़ताल कर दिए जाने के कारण मरमागोआं पत्तन में काम अस्त-व्यस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो विवाद के क्या कारण थे ; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) नौभरक मजदूरों की हड़ताल से पत्तन के काम पर आंशिक रूप से असर पड़ा। लेकिन पत्तन वर्कशाप के लगभग 150 कर्मचारियों को छोड़कर, जिन्होंने 19 नवम्बर के अपरान्ह को काम बन्द कर दिया और अगले दिन सवेरे ड्यूटी पर चले गए, पत्तन मज़दूरों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया।

(ख) हड़ताल दो यूनियनों अर्थात् मारमागोआ पोर्ट, डाक एन्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन तथा दि ट्रांसपोर्ट एन्ड डाक वर्कर्स यूनियन, गोआ द्वारा शुरू की गई। पहली यूनियन की मांगें वेतन मान, महंगाई भत्ता, मकान-किराया भत्ता, बेकार समय की मजदूरी और वासको-डा गामा से मारमागोआ बन्दरगाह तक मुफ्त यात्रा के बारे में थीं। दूसरी यूनियन की मांगें बोनस, बेकार समय की मज़दूरी, अंतरिम सहायता, यूनियन के परामर्श से बिचवालों का पूल बनाना आदि के बारे में थीं। लेकिन मारमागोआ पत्तन में मज़दूरों की अशांति का मुख्य कारण यूनियनों में परस्पर प्रतिद्वंद्विता बताया गया है।

(ग) प्रादेशिक श्रम आयुक्त और समझौता अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और विवाद का निपटारा करने की कोशिश की। पत्तन पर मज़दूरों की अशांति के कारण जानने और उपचारी उपाय सुझाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) (ख) के अन्तर्गत एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया है। गोदी कामगर (रोजगार के विनियमन) अधिनियम 1948 को इस पत्तन पर लागू करने और वहां एक गोदी श्रमिक बोर्ड स्थापित करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। मारमागोआ को मिलाकर मुख्य पत्तनों के पत्तन और गोदी मज़दूरों के लिए एक केन्द्रीय मजूरी बोर्ड पहले ही गंठित किया जा चुका है।

Interview by Foreign Secretary

*398. { **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Y. S. Chaudhary :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Foreign Secretary, Shri Gundevia, refused to give information to the correspondents of language papers regarding the situation in Nagaland and peace talks ; and

(b) whether it is also a fact that he also observed that he did not need language papers ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi N. Menon) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

पाकिस्तानीयों द्वारा गोलाबारी

*399. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 नवम्बर, 1964 को राजौरी के आठ मील पश्चिम में युद्ध विराम रेखा पर अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों ने भारतीय गश्ती दस्तें पर गोली चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने पाकिस्तानी मारे गये तथा कितने भाग गये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय सैनिकों ने गत तीन दिनों अर्थात् 18 नवम्बर से 20 नवम्बर, 1964 तक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन करने के ग्यारह मामलों की रिपोर्ट दी है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बंध में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ङ) क्या पाकिस्तान सरकार को इस बारे में कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां।

(ख) कोई अतिक्रमी मारा नहीं गया, सभी युद्धविराम रेखा के उस पार भाग गए थे।

(ग) इस अवधि में पाकिस्तान द्वारा हुए सात उल्लंघनों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों को शिकायत कर दी गई थी। उन द्वारा निष्प्रभाव गोली चलाने के 6 अन्य मामलों के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों का ध्यान आकर्षित किया गया था।

(घ) संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक इन मामलों की छानबीन कर रहे हैं। जभी यह जांच सम्पूर्ण हुई, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य सैनिक प्रेक्षक अपना निर्णय सीधे पाकिस्तान सेना को सूचित कर देगा।

(ङ) जी नहीं।

भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को मान्यता देना

*400. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भाषाओं के छोटे समाचार-पत्रों को, जिनका परिचालन 5000 से अधिक हैं, भारत सरकार के मुख्यलय (हेडक्वार्टर) में मान्यता देने की सुविधा नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) जी, नहीं। समाचार-पत्रों को मान्यता देने में केवल प्रचार-संख्या का ही ध्यान नहीं रखा जाता। अन्य ध्यान दिए जाने वाली बातें इस प्रकार हैं :—

1. समाचार-पत्र की किस्म ;

2. समाचार-पत्र के निकलने की अवधि और नियमितता ; दैनिक पत्रों को तरजीह देते हुए ; और

3. समाचार-पत्र का प्रभाव ।

जिन भारतीय भाषाओं और छोटे समाचार-पत्रों की प्रचार-संख्या अधिक नहीं होती, उनको मान्यता देने के नियम उदारतापूर्वक लागू किए जाते हैं ।

कोहिमा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बीच का क्षेत्र

*401. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहिमा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बीच के क्षेत्र को अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घोषणा किन कारणों से की गई है ;

(ग) क्या नागालैंड ने किसी प्रकार की सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) केवल कोहिमा जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ की तीन मील चौड़ी पट्टी को दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

(ख) करार की शर्तों के अन्तर्गत इस अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की साथ की तीन मील की पट्टी पर गश्त लगाने वाले सुरक्षा बलों को इस क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। अत: 'सप्लाई बलों' को आवश्यक कानूनी अधिकार देने के लिये इस क्षेत्र को दंगाग्रस्त घोषित किया गया है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास के लिये ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज

1016. **श्री पोट्टेकाट्ट** :
श्री अ० ब० राघवन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में नवीनतम 'क्रासबार' डिजाइन का एक हजार लाइनों का लिंक ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने के बारे में, ताकि सीधे नम्बर मिलाया जा सके, क्या प्रगति हुई है ;

(ख) निर्माण-कार्य कब तक पूरा होगा ; और

(ग) एक्सचेंज लगाने पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) उपकरण के संभारण के लिये क्रमादेश दे दिये गये है। संभरण सितम्बर, 1965 में आरम्भ होने की आशा है। एक्सचेंज लगाने का काम दिसम्बर, 1965 में आरम्भ किया जायेगा।

(ख) इस कार्य के 1966 के अन्त से पूर्व समाप्त किये जाने की आशा है।

(ग) मद्रास में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज लगाने की कुल लागत का अनुमान लगभग 30 लाख रुपये है ।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

1017. **श्री राम हरख यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मनी ने भारत में टेलिविजन की व्यवस्था करने के लिये और बडी संख्या में टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने के लिये तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो करार का ब्योरा क्या है ; और

(ग) कार्य कब से आरम्भ होने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जर्मन लोकतंत्र गणराज्य की ओर से सामान्य शर्तां पर एक प्रस्ताव किया गया है।

(ख) और (ग) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और अभी ब्यौरा तैयार किया जाना है ।

प्रादेशिक विवाद सुलझाने के लिये बल-प्रयोग

1018. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में प्रमुख विधीजीवियों और विधिवेत्ताओं का एक सम्मेलन हुआ था जिसमे यह सुझाव दिया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिये बल-प्रयोग की फिर से व्यवस्था होनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार "राज्यों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और सहयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति को सिफ़ारीश किये गये सुझाओं का अनुमोदन करती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्णसिंग): (क) जी, हां । सरकार को पता है कि हाल ही में नई दिल्ली में 14 नवम्बर और 18 नवम्बर 1964 के बीच हुए विश्व शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों के बीच प्रादेशिक विवादों को सुलझाने के लिये बल-प्रयोग के बारे में कहा गया ।

(ख) यह सर्व-विदित है कि सरकार ने बार बार यह मत व्यक्त किया है कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को, और विशेषत: प्रादेशिक विवादों को केवल शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाये और राज्यों की प्राचीन सीमाओं का उल्लंघन न किया जाये । "राज्यों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और सहयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धातों" संबंधी संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति (मेक्सिको, 27 अगस्त से 2 अक्तूबर, 1964 तक) में भारत के प्रतिनिधि मंडल ने, घाना और युगोस्लाविया के प्रतिनिधिमंडलों के साथ इस बारे में एक प्रस्ताव रखा था । इस प्रस्ताव को, अन्य प्रस्तावों के साथ, संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष समिति के प्रतिवेदन में शामिल किया गया है । हाल ही में तटस्थ राष्ट्रों क काहिरा सम्मेलन (अक्तूबर, 1964) में स्पष्ट रूप से इस सिद्धान्त की पुष्टि की गयी है ।

(ग) इस बारे में सरकार का कोई कार्यवाही करने का इरादा नहीं है । "राज्यों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों और सहयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों" सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा को पेश करने के लिये अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया ।

प्रतिरक्षा उत्पादन

1019. **श्री राम हरख यादव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 1963-64 में प्रतिरक्षा उत्पादन लगभग दुगुना हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अधिक उत्पादन का क्या ब्यौरा है ;

(ग) वर्ष 1963-64 में उत्पादन का वास्तविक मूल्य क्या है; और

(घ) उपरोक्त अवधि में सशस्त्र बलों को दिये गये शस्त्रों और उपकरणों का क्या मूल्य है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा-उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस):(क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये आवास सुविधाएं

1020. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार सर्किल में विभिन्न श्रेणियों के कितने प्रतिशत डाक तथा तार कर्मचारियों को आवास सुविधाएं प्राप्त है ;

(ख) क्या विभिन्न श्रेणियों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को आवास के आंवटन के लिये कोई कसौटी निर्धारित की गयी है ;

(ग) क्या उनके हाल के पटना के दौरे के दौरान निर्धारित कसौटी का पालन न किये जाने के बारे में उनसे कोई शिकायत की गयी है ; और

(घ) यदि हो, तो उसपर क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :(क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मोजम्बीक से आये भारतीय

1021. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोजम्बीक से आये भारतीयों को, भारत में बसने के लिये, उनकी आस्तियां वापस आने तक, कोई ऋण अथवा अनुदान दिया है या देगी ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ;

(ग) उनको बसने के लिये और क्या सहायता दी जा रही है ; और

(घ) इन भारतीयों द्वारा मोजम्बीक में छोडी गयी सम्पत्ति का अनुमानित मल्य क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):(क) जी , हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित विवरण में दी गयी है:

विवरण

6 जून, 1963 से पूर्व मोजम्बीक से भारत आये भारतीयों को अपने व्यक्ति सामान और अन्य सामान के आयात के लिये विशेष रीयायती सीमा-शुल्क सुविधाएं दी गयी हैं।

भारत सरकार ने इन भारतीयों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से इन भारतीयों को भारत में बसने के लिये सहायता देने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(क) स्वदेश लौटे निर्धन व्यक्तियों को सीमित वित्तीय सहायता दी गयी है।

(ख) इन भारतीयों को तीन प्रतिशत व्याज की रियायती दर पर व्यापार आरम्भ करने के लिये अथवा लघु उद्योगों के लिये ऋण दिया जाना। ऋण की अधिकतम सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में 5000 रुपये है और सहकारी समितियों के मामले में 4 प्रतिशत की दर पर और उपयुक्त राशि कर दिया जाना।

(ग) कृषि भूमि देने में प्राथमिकता।

(घ) गुजरात में लागू योजनाओं के अनुसार इनको निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियां और स्कूल की पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं।

(ङ) खाद्यान्न, चीनी, गुड आदि के बारे में विभिन्न लाइसस आदेशों के अन्तर्गत इन स्वदेश लौटे भारतीयों को विशेष रियायत पर लाइसन्स देना।

(च) प्रधान मंत्री सहायता घोष से गुजरात सरकार को 10,000 रुपये की राशि दी गयी है।

कुछ अन्य राज्य सरकारें भी इनको, जो उन राज्यों में बसना चाहे, सहायता देने को सहमत हो गयी हैं।

(घ) मोज़म्बीक के भारतीयों के अनुसार स्वदेश लौटने वाले भारतीयों की मोज़म्बीक में छोड़ी गयी आस्तियों का मूल्य 15 करोड़ रुपये है। इन व्यक्तियों ने स्वयम सरकार को 5.30 करोड़ रुपये के 450 दावे दायर किये हैं जिनमें से 1.61 करोड़ रुपये अचल सम्पत्ति के और 3.69 करोड़ रुपये चल सम्पत्ति के बारे में हैं। इस समय कागजात के आधार पर इन आस्तियों के कुल मूल्य का ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि इन लोगों ने आरोप लगाये हैं कि पुर्तगाली अधिकारियों ने उनको कोई कागजात नहीं लाने दिया।

नेफा पर चीन का दावा

1022 { श्री बागडी :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1964 में चीन सरकार ने पुनः समूचे नेफा क्षेत्र पर अपना दावा बतलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी, हां।

(ख) यह पहली बार नहीं है जब कि चीन ने यह अजीब दावा किया है कि भारत-चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा के दक्षिण में नेफा में 90,000 वर्ग किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र चीनी क्षेत्र है। भारत सरकार ने चीन सरकार के साथ हुए अनेक पत्र-व्यवहार में यह बता दिया है कि इन भारतीय क्षेत्रों पर चीन का दावा निराधार है। भारत और चीन सरकारों के बीच 1960 में हुई सरकारी वार्ता के दौरान भारतीय पदाधिकारियों ने कई साक्ष्य पेश किये जिनसे यह पता चलता था कि भारत-चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र में मैक मोहन रेखा तक का भारतीय क्षेत्र निर्विवाद रूप से भारतीय है। जब भी अवसर आता है भारत सरकार भारत के नेफा क्षेत्र पर चीन सरकार के झूठे दावे का भंडाफोडा करती है।

Air Crash near Ambala

1023 { **Shri Bagri :**
Shri Vishram Prasad :
Shri Naval Prabhakar :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether an inquiry has since been conducted into the flying accident which took place near Ambala on the 7th October, 1964; and

(b) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju): (a) Yes.

(b) The proceedings of the Court of Inquiry have not yet concluded.

Military aid from abroad

1024. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the amount of aid so far received by India under the agreements for war material concluded with U. S. S. R. and U. S. A. and

(b) when the remaining part of the agreements will be fulfilled?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) It will not be in the public interest to disclose the amount of aid so far received under the agreements for supply of Defence stores and equipment from Soviet Union and the United States of America.

(b) Supplies are still due from both the countries against programmes already finalised and contracts concluded with them. Some of these supplies are due to be received in the period from 1965 to 1967.

ग्रामीण कार्यक्रम

1025. **श्री विभूती मिश्र:**
श्री क० ना० तिवारी:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के दिल्ली, पटना और अन्य केन्द्रों से प्रसारित ग्रामीण कार्यक्रम, जहां तक इनमें कृषि विषयक बातचीत का सम्बन्ध है, विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हर क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित करने के बारे में कोई योजना बना रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, नहीं। इन कार्यक्रमों के बारे में प्राप्त अनेकों पूछताछ से स्पष्ट है कि इनको रुचिपूर्वक सुना जाता है और ये किसानों के लिये लाभप्रद हैं। दिल्ली केन्द्र से कार्यक्रम साधारण हिन्दी में और हरियाणा और बृज भाषा में प्रसारित किये जाते हैं। पटना केन्द्र से कार्यक्रम हिन्दी और भोजपुरी, मैथिली और मगधी भाषा में प्रसारित किये जाते हैं। रांची से प्रसारण हिन्दी नागपुरीया, हो, संथाली, मुंडारी, औरांव और खरिया में प्रसारित किये जाते हैं।

(ख) दिल्ली से जिन क्षेत्रों को प्रसारण किया जाता है, उनमें से कुछ ने समय में परिवर्तन करने की मांग की है और अतिरिक्त व्यवस्था होने पर इस मांग को पूरा किया जायेगा।

पटना केन्द्र ने हाल में अपने ग्रीष्मकालीन समय में ग्रामीण श्रोताओं की सुविधानुसार परिवर्तन किया है ।

अतिरिक्त व्यवस्था होने पर विभिन्न क्षेत्रों के लिये बडी संख्या में कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे ।

पादरी माइकेल स्कॉट

1026. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागालैण्ड में और उसके बाहर पादरी माइकेल स्कॉट की आपत्ति-जनक कार्यवाहियों के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिवेदनों का क्या ब्यौरा है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) कहा गया है कि पादरी माइकेल स्कॉट ने एक बार नागाओं के साथ कुछ बातचीत का टेप-रिकार्ड किया और कुछ फोटोग्राफ़ भी लिये ।

भारतीय सूचना सेवा

1027. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में अपने प्रचार-कार्य में सुधार करने के लिये ब्रिटिश और अमरीका सेवा के तरीके की भारतीय सूचना सेवा गठित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) सरकार भारत की सूचना सेवा का पुनर्गठन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, भारत की सूचना सेवा के कार्य पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है और समय समय पर इसमें आवश्यक परिवर्तन और संशोधन किये जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शस्त्रास्त्र अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ

1028. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चंडीगढ में एक शस्त्रास्त्र अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित कर रही है ;

(ख) इसके कृत्य क्या होंगे ; और

(ग) इसमें कार्य कब से आरम्भ होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां।

(ख) शस्त्रास्त्र स्टोरों के डिज़ाइन और विकास के बारे में अनुसन्धान कार्य। विस्फोटक पदार्थों, बमों और शेलों के टुकडों आदि के बारे में धडाके के बारे में जांच करने के लिये सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक कार्य ।

(ग) इस प्रयोगशाला में वर्ष 1965 के मध्य तक कार्य आरम्भ हो जाने की आशा है।

Translation of P. & T. Forms

1029. { **Shri Vishram Prasad :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of forms being used in Posts and Telegraphs Department at present :

(b) the number out of them which have been translated into Hindi ;

(c) the steps being taken to get the remaining forms translated into Hindi and to put them into use ; and

(d) When this work is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) About 2,000.

(b) 70.

(c) The job has been entrusted to special staff.

(d) As soon as possible.

नागालैंड के लिये रेडियों ट्रांसमीटर

1030. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागडी :
श्री हेम बरुग्रा :
श्री रा० बरुग्रा :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री कोया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 7 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड प्रशासन की राज्य में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित करने की प्रार्थना पर तबसे विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) नागालैण्ड सरकार की राज्य में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित करने की प्रार्थना पर अभी भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। उपयुक्त स्थान और पर्याप्त बिजली की उपलब्धता पर भी विचार किया जा रहा है।

जापानी सहयोग से एयर कम्प्रेशरों का निर्माण

1031. { **श्री प्र० चं० बरुग्रा :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रविन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका बडकडकी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के गार्डन रीच वर्कशाप में 'एयर कम्प्रेशरों' के निर्माण के लिये जापानी सार्थ 'ककफोर' के साथ एक सहयोग प्रस्ताव पर बातचीत की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी करार पर हस्ताक्षर हुए है ; और

(ग) जापानी सार्थ ने सहयोग के लिये क्या शर्तें रखी हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी, हां। सहयोग के लिये टोक्यों की मेसर्ज़ होकुएत्सु कम्पनी लिमिटेड के साथ बातचीत चल रहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस मामले पर अभी बातचीत हो रही है और इस समय शर्तों के बारे में नहीं बताया जा सकता।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल

1032. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल के सीनियर डिवीज़न में इस समय कुल कितने छात्र सैनिक हैं और क्या सरकार को यह विश्वास है कि कालिजों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर देने से विद्यार्थियों में अनुशासन बढा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : 23-10-1964 को राष्ट्रीय छात्र सेना दल के सीनियर डिवीज़न की अधिकृत संख्या 10,32,800 थी जिनमें 79,400 लडकियां छात्रसैनिक हैं।

कालिज स्तर पर अनिवार्य राष्ट्रीय छात्रसेना दल प्रशिक्षण से निश्चित ही विद्यार्थियों में अनुशासन का स्तर ऊंचा उठा है।

प्रादेशिक सेना

1033. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारी स्थायी सेना की संख्या की तुलना में प्रादेशिक सेना की वर्तमान संख्या से संतुष्ट है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का हमारी प्रादेशिक सेना की संख्या बढाने और युद्ध के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख) पिछले 15 वर्षों के अनुभव के आधार पर प्रादेशिक सेना की वर्तमान संख्या और अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जा रहा है ताकि इसे समूची प्रतिरक्षा व्यवस्था में अधिक क्रियाकारी बल बनाया जा सके।

P. & T. Facilities

1034. { **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Post, Telegraph and Telephone facilities have been provided in all the towns and cities where the Development Blocks headquarters are located ;

(b) whether Government propose to extend these facilities to places where they do not exist at present ; and

(c) the names of the Development Blocks in U. P. where telegraph and telephone facilities are not available and when they are likely to be provided ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) No sir.

(b) and (c) It is expected that by the end of the Third Plan, post offices will be opened at all the Development Block headquarters in case the prescribed standards are fulfilled.

It is proposed to provide telegraph facilities in all the post offices in block headquarters before the end of the Fourth Plan. Naturally this is dependent on the availability of resources.

Telephone facilities will be provided only if the proposals are remunerative or on rent and guarantee basis.

Two lists giving names of all Development Blocks in U. P. where telegraph and telephone facilities are not available are attached. [**Placed in Library** *see* No. L. T. 3556/64]

चमड़ा और प्लास्टिक श्रमिकों के लिये मजूरी बोर्ड

1035. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमडा और प्लास्टिक श्रमिकों के लिये एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें देश की सभी बडी और छोटी मिलें आयेंगी ; और

(ग) यह मजूरी बोर्ड अपना कार्य कब आरम्भ करेगा ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब में पंचायत समितियों के कार्यालयों में टेलीफोन

1036. **श्री दलजीत सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में अब तक पंजाब में पंचायत समितियों के कितने कार्यालयों में टेलीफोन और तार सुविधाएं दी गयी हैं ; और

(ख) अगले दो वर्षों में उनको ये सुविधाएं देने के लिये क्या उपबंध किया गया है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवति) : (क) 20 पंचायत समितियों के कार्यालयों में टेलीफोन लगाये गये हैं। 18 स्थानों में जहां पंचायत समितियों के कार्यालय हैं, दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय बनाए गये हैं और 21 स्थानों पर तार सुविधाएं दी गयी हैं।

(ख) दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय—8
तार सुविधाएं—11

कपड़ा मिलों में श्रम कल्याण पदाधिकारी

1037. श्री बलजीत सिंह : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और दिल्ली में उन कपड़ा मिलों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक श्रम कल्याण पदाधिकारी नियुक्त नहीं किये हैं, और

(ख) इस बारे में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 49 के अन्तर्गत केवल उन कारखानों को श्रम कल्याण पदाधिकारी नियुक्त करने होते हैं जिनमें 500 या इससे अधिक श्रमिक काम करते हों। पंजाब सरकार और दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि वहां पर ऐसी कोई मिल नहीं है जिसमें कल्याण पदाधिकारी न हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेना के कर्मचारियों का वेतन' राशन और वर्दियों का स्तर

1038 { **श्री कृष्णपाल सिंह** :
श्री हेमराज : .

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय सेना की विभिन्न सेनाओं / सेवाओं में राइफल मैनो /सवारों/ एन० सी० ओ०/ जे० सी० ओ० और सभी अन्य रैंकों को (1) वेतन ; (2) भत्ते (महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, परिवार भत्ता और अन्य भत्ता, यदि कोई है) ; और (3) पेन्शन किस स्तर पर दिये जाते हैं ;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के सिपाहियों को (1) शांति स्थानों में; रिऔर (2) यायती और युद्ध-क्षेत्रों में किस स्तरपर राशन दिया जाता है ; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों के सैनिक कर्मचारियों को मुफ्त वर्दियां और कपडे किस स्तर पर दिये जाते है और उनको संधारण भत्ता क्या दिया जाता है और रद्दी वस्तुओं को बदलने का क्या तरीका है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा०ब०स०राजू) : समझा जाता है कि यह प्रश्न उन जे०सी०ओं०के बारे में नहीं है जो अवैतनिक कमीशन-प्राप्त पदाधिकारी हैं क्यों कि उनको राशन आदि नहीं मिलता है। इस आधार पर उत्तर निम्न प्रकार है ;

(क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3557/64]**

Shri Dange's visit to Moscow

1039. Shri Gulshan : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the leader of the Communist Party of India, Shri S. A. Dange went to Moscow immediately after the change of Government in Russia in October, 1964 ; and

(b) if so, whether Government of India are aware of the talks he had with the new Soviet leaders and if so, the results thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Shri Dange left for Moscow on 16th October, 1964, *en route* to Budapest (Hungary) to attend the XIII Session of the General Council of the World Federation of Trade Unions (Budapest 19th October, 1964) in his capacity as Vice President of the World Federation of Trade Unions.

(b) On his return journey Shri Dange stayed in Moscow from 26th to 31st October, 1964. Government have no knowledge of the result of any talks that Shri Dange may have had with the Soviet leaders.

भारत इलैक्ट्रानिक्स

1040. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स, बंगलौर में बाद में उत्पादन कम हो रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं । 1962-63 में उत्पादन 3 करोड़ रु० से बढ़कर 1964-65 में 6 करोड़ रुपये हो गया। 1964-65 में 7 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन होने का अनुमान है और 1965-66 में लगभग 8.5 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन होने की आशा है।

1965-66 के दौरान 8.5 करोड़ रुपये के वार्षिक उत्पादन तक पहुचने में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में उपलब्ध सुविधायें पूरी तरह काम में लाईं जायेंगी ।

जम्मू और कश्मीर में श्रम विधियों का लागू होना

1041. **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में जम्मू और कश्मीर राज्य में श्रम विधियों को लागू करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) और (ख) कई राज्य श्रम विधिया पहिले ही जम्मू और कश्मीर में लागू हैं । राज्य सरकार की पूर्व सहमति से ही केन्द्रीय श्रम विधियों को लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार ने तीन केन्द्रीय श्रम विधियों को लागू करने की सहमति दी है अर्थात् कोयेला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1947 खान अधिनियम 1952 और शिशिक्षु अधिनियम, 1961 और इन अधिनियमों का आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाहियों के पूरा होते ही जम्मू और कश्मीर में विस्तार कर दिया जायेगा।

भारतीय वायु सेना का विस्तार

1042. { श्री प्र० चं० बरुआ
श्री प्र० रा० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना के सुधार और विस्तार के लिये सरकार ने क्या योजनायें बनाई हैं ; और

(ख) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):(क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया कृपया देखें सं० : एल० टी० 3558/64]

तिब्बत में मिसाइल अड्डा

1043. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्राम प्रसाद:
श्री सोलंकी:
श्री बुटा सिंह:
श्री गुलशन :
श्री कपूर सिंह:
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डे :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी तिब्बती पठार में रॉकेट और दूसरे अस्त्र छोड़ने का अड्डा बनाने की योजना पर कार्य कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):(क) और (ख) सरकार के पास जानकारी को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

एच एफ २४ जेट विमानो के लिये इंजन

1044. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एच एफ-24 जेट लड़ाकू विमानों के मार्क-2 को शक्ति देने के लिये, आर्फियस इंजन 703 के एक नये और उच्च दर्जे को बनाने के लिये एक ब्रिटिश फर्म, ब्रिस्टल सिड़ले इंजन लिमिटेड से सुझाव प्राप्त किये है ; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ०म० थामस):(क) ब्रिस्टल सिड़ले इन्जनज़ लिमिटेड से सुझाव प्राप्त हुये हैं ;

(i) एच०एफ०-24 जैट लड़ाकू विमान के मार्क-1 के शक्ति संयंत्र आर्फियस-703 इंजन के सुधार के लिये; और

(ii) एच०एफ०-24 जैट लड़ाकू विमान के मार्क -2 के लिये एक उपयुक्त बिजली शक्ति संयन्त्र के रूप में आर्फियस प्रकम का एक इंजन बनाने के लिए।

(ख) केवल पहला सुझाव ही जिसका वर्णन क (i) पर किया गया है परीक्षाधीन है।

अखबारी कागज

1045. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63 और 1963-64 में समाचार पत्रों को कितने अखबारी कागज़ की आवश्यकता थी ;

(ख) अलग अलग कितनी मात्रा में कागज़ आयात किया गया और कितनी मात्रा में देश में बनाया गया ; और

(ग) विदेशी अखबारी कागज़ कितनी कितनी मात्रा में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के लिये दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमति इन्द्रा गांधी) : (क) 1962-63 और 1963-64 के दौरान समाचार पत्रों द्वारा अपेक्षित मात्रा का अनुमान क्रमशः 1,50,000 और 1,65,000 मैट्रिक टन था।

(ख) (i) **आयात**

	मैट्रिक टन	
1962-63	97,425	निर्यात संवर्धन योजना के आधीन और पुस्तकों के प्रकाशन के लिये दिये गये अखबारी कागज़ के लाइसेंसों सहित। विभिन्न मदो के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
1963-64	98,87	

(ii) **देश में हुआ उत्पादन**

1962-63 – 26,515 मैट्रिक टन

1963-64 – 30,078 मैट्रिक टन

(ग) भाषाओं के आधार पर समाचार पत्रों को जितनी मात्रा में अखबारी कागज़ दिया जाता है उसके अलग अलग आंकड़े नहीं रखे जा रहे।

ब्रिटन में भारतीय आप्रवासी

1046. श्री ज० ब० सिं० बिष्ट : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटिश समाचार पत्रों में छपे उन समाचारों की ओर गया है कि ब्रिटेन में आने के लिये कई रोजगार वाउचर जाली निकले है और इस व्यवस्थित चालबाज़ी में आने वाले कई भारतीय भी सम्मिलित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में भी इस सम्बंध में कोई जांच कराई गई है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। क्योंकि ऐसी घटनायें भारत में नहीं हुई हैं।

सेना कार्यों के लिये भूमि अर्जन

1047. { **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री म० ना० स्वामी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय के निकट दारजलिंग ज़िले में सैनिक इकाइयों के लिये 1400 एकड़ धान के खेतों का क्षेत्र अर्जित किया गया ;

(ख) इस क्षेत्र में भवनों के निर्माण पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र को किसी और कार्य के लिये रखना चाहती है या छोड़ देना चाहती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के निकट 252 एकड़ भूमि की माँग की गई है जिसमें 8.38 एकड़ धान की भूमि भी सम्मिलित है। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के निकट ही 1800 एकड़ भूमि की और माँग की जा रही है जिसमें से लगभग 1400 एकड़ भूमि धान की खेती की है।

(ख) इन भूमियों पर इमारतों के निर्माण में व्यय की गई धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा वह यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जो भूमि ले ली गई है अथवा जिसे लेने का प्रस्ताव है उन्हें छोड़ने का सरकार का विचार नहीं है क्योंकि उनकी आवश्यकता सैनिक प्रयोजनों के लिये है।

भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम

1048. { **श्री उमानाथ:**
श्री अ० क० गोपालन:
श्री म० ना० स्वामी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों में आपातकाल के लिये हाल ही में कुछ ढील कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ढील की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द०स०राजू) : (क) सशस्त्र सेना के कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं हैं परन्तु कुछ कार्यकारी सिद्धान्त अपना लिये गये हैं और उनमें कोई ढील नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विसकोस रेयन उद्योग समिति

1049. { **श्री उमानाथ :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री इम्बीचिबावा : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखानों के मुख्य परामर्शदाता द्वारा नियुक्त की गई विसकोस रेयन उद्योग सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को भारत के सभी कृत्रिम रेशम (रेयन) कारखानों ने क्रियान्वित कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो वे कौनसे कारखाने हैं जिन्हें अभी ये सिफारिशें क्रियान्वित करनी हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल, मद्रास, मध्य प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रत्येक में एक-एक कृत्रिम रेशम (रेयन) का कारखाना है और महाराष्ट्र तथा गुजरात में ऐसे दो-दो कारखाने हैं। सम्बन्धित सिफारिशें कहां तक स्वीकार की गई है इस बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :—

मद्रास, केरल और उत्तर प्रदेश : सभी सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं।

पश्चिम बंगाल : सभी कताई मशीनों के पूरी तरह से बन्द कर देने से सम्बन्धित केवल सिफारिश संख्या 4 ही क्रियान्वित नहीं की गई है क्योंकि प्रबन्धकों की राय यह है कि जहां 60 से लेकर 70 सी० एफ० एम० तक का एग्ज़ास्ट रेट बना रहें वहाँ पूर्णतः इन मशीनों को बन्द करना आवश्यक नहीं है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र : केवल सिफारिश संख्या 14 ही क्रियान्वित नहीं की गई है जो कि कार्य के घंटों में कमी करने के सम्बन्ध में है। प्रबन्धकर्ताओं का विचार यह है कि अन्य सभी सिफारिशों की उनके द्वारा क्रियान्विति को देखते हुए उसकी क्रियान्विति आवश्यक नहीं है।

गुजरात : दो कारखानों में से एक ने सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है जब कि दूसरे कारखाने ने जो कि जुलाई 1963 में चालू किया गया था सिफारिश संख्या 14 और 21 को क्रियान्वित नहीं किया है।

(ग) गुजरात के कारखाने में सिफारिश संख्या 21 की क्रियान्विति के प्रश्न को गुजरात राज्य के कारखानों के मुख्य निरीक्षक ने कारखाने वालों के साथ उठाया है।

अफ्रीकी देशो में भारतीय

1050. **श्री हु० च० सोय :**
श्री सोलंकी :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्रीमति सावित्री निगम :
श्री कपूर सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेवसिंह सिद्धांती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की स्थिति खराब हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी सहायता करने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और उसका क्या परिणाम हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :(क) से (ग) अफ्रीकी देशों के स्वतंत्र होने से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में नवीन शक्तियां उत्पन्न हो गई हैं। आप्रवासी लोगों को अपने को इन नवीन परिस्थितियों के अनुकूल ढालना होता है और यह स्वाभाविक ही है कि इस परिवर्तन काल में उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। सरकार भारतीय उद्भव के लोगों को निरन्तर यह परामर्श देती रही है कि वे अफ्रीकी मनोभावनाओं के अनुरूप होकर रहें ; इस परामर्श को बहुत से लोगों ने माना है और इसकी अफ्रीकियों ने प्रशंसा की है।

रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत महिलायें

1051. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से लेकर जून 1964 की अवधि में उत्तर प्रदेश के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत (स्नातक और गैर-स्नातक दोनों प्रकार की) महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस अवधि में उनमें से कितनों को रोजगार सम्बन्धी सहायता प्रदान की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) :(क) और (ख) :

वर्ग	पंजीकृत महिलाओं की संख्या	रोजगार में लगाई गई महिलाओं की संख्या
1	2	3
स्नातक	615	30
मैट्रिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण (इण्टर-मीडियट को मिलाकर)	3,354	425
मैट्रिक स्तर से नीचे की (निरक्षरों को मिलाकर) . .	10,625	1,006
योग .	14,594	1,461

उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार

1052. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से लेकर जून 1964 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस अवधि में उनमें से कितनों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) और (ख) :

प्रार्थियों का वर्ग	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	रोजगार में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
अनुसूचित जाति.	59,059	7,907
अनुसूचित आदिम जाति . .	2	1

उत्तर प्रदेश में अधिसूचित तथा भरे गये रिक्त स्थान

1053. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से लेकर अक्टूबर 1964 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितने रिक्त स्थानों की अधिसूचना दी गई थी ; और

(ख) इस अवधि में रोजगार दफ्तरों के माध्यम से इन उपक्रमों में इनमें से कितने रिक्त स्थान भरे गये ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) :

क्षेत्र	अधिसूचित स्थान	भरे गये स्थान
सरकारी	74,563	53,375
गैर-सरकारी . .	31,257	22,424

उत्तर प्रदेश में रेडिओ सैट

1054. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर 1964 के अन्त तक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने रेडियो सैट दिये गये ;

(ख) 31 अक्टूबर, 1965 को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रेडियों सैट बेकार पड़े थे; और

(ग) इन सैटों को उपयोग लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 14,173.

(ख) जानकारी राज्य सरकार से मँगाई गई है ।

(ग) सामुदायिक रेडियो सैटों के संधारण और संचालन के लिये राज्य सरकार उत्तरदायी है । वास्तविक समस्या पुरानी बैटरियों के स्थान पर नई बैटरियाँ लगाने की है जिनकी लागत बहुत अधिक है । तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता दिये जाने के प्रश्न पर, जिससे कि वे लोग रेडियो सैटों को चालू हालत में रख सकें, सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है ।

पूर्वी अफ्रीका से आने वाले व्यक्ति

1055. **श्री रवीन्द्रवर्मा :**
श्री पें० वैंकटासुब्बया :
श्रीमति रेणुका बड़कटकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी अफ्रीका से भारतीय उद्भव के भारत में आने वाले और सरकारी कार्यालयों में रोजगार तलाश करने वाले व्यक्तियों को कुछ रियायतें देने का सरकार ने निर्णय किया है; और

(ख) यदि हा, तो वे रियायतें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : स्थायी रूप से रहने के लिये जो व्यक्ति भारत लोट रहे हैं उनको सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं । निवास स्थानान्तरण नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त उन्हें सामान्य प्रशुल्क विनियमों में कुछ और छूट दी जाती है । जो व्यक्ति पूर्वी अफ्रीका में रोजगार में लगे हैं उन्हें, उन सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त जिनमें कि रिक्त स्थान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाते है, अन्य सरकारी नौकरियों में आयु-सीमा आदि की छूट भी दी जा रही है ।

जवानों के लिये खाद्य पदार्थों का परिरक्षण

1056. **श्री० कृ० च० पन्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊँचाई वाले स्थानों पर तैनात जवानों के लिये खाद्य सामग्री के परीक्षण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट कुछ सुविधाजनक स्थानों पर विशेष खाद्य परिरक्षण एककों के स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद इस उपक्रम में अपना सहयोग दे रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) ऊँचाई वाले स्थानों पर सैनिकों के उपयोग के लिये खाद्यपदार्थों के परिरक्षण के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा आर० एन० डी० आरगाइनेजन ने अनेकों प्रक्रियायें निकाली हैं । क्षेत्रीय परीक्षणों के पश्चात् जो प्रक्रियाये स्वीकृत कर ली गई हैं उनमें सूखे खाद्य-पदार्थों को तीव्रतापूर्वक जमाने (एक्सीलटेटैड फ्रीज ड्राइड फूडस्टफस) और सरवाइवल राशन की प्रक्रियाये हैं । डिहाइड्रेटैड प्रिकुक्ड फूडस्टफ्स, परिरक्षित चपातियाँ, 5 मनुष्यों का कोम्पो पैक राशन, बर्फ पर चलने वाली सैनिक टुकड़ियों के लिये हार्ड स्केल राशन्स आदि प्रक्रियाओं के स्वीकृति के लिये क्षेत्रीय परीक्षण किये जा रहे हैं ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला खानों में हड़ताल

1057. { **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो०सेन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्ट इण्डिया कोल कम्पनी की कोयला खानों के 8,000 खनिकों ने हाल हीं में हड़ताल कर दी थी ;

(ख) क्या यह मामला कन्सिलियेशन ऑफिसर के पास भेजा गया था ; और

(ग) हड़ताल के परिणामस्वरूप प्रतिदिन कितनी अनुमानित हानि हुई ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) कम्पनी की बरारी और जीअलगोड़ा कोयलाखानों के कुल 4,686 श्रमिकों में से 1,137 श्रमिकों ने 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 1964 तक हड़ताल की थी ।

(ख) जी हां, हड़ताल के प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् कन्सिलियेशन ऑफिसर ने 5 अक्टूबर को मामले में हस्तक्षेप किया था और बिना किसी शर्त के हड़ताल समाप्त करवा दी थी । बरारी कोयलोखान में प्रतिदिन 2,200 श्रमिक दिनों और जीअलगोड़ा कोयलाखान में प्रतिदिन 2400 श्रमिक दिनों की हानि हुई थी । उत्पादन की कुल हानि का अनुमान 1,38,000 रुपये का लगाया गया था ।

Handling of Postal Work by School Teachers

1058. **Shri Rameshwaranand** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a number of villages in Punjab, school teachers are being employed to render postal facilities ;

(b) whether it is also a fact that such part-time employment of school teachers affects their normal duties of imparting education to the children of those places ; and

(c) if so, whether Government propose to appoint persons other than school teachers also to handle such part-time postal work ?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri B. Bhagavati) : (a) Yes, Sir.

(b) The school teachers are employed as part-time Extra-Departmental branch postmasters with the previous consent of their official superior employers. It is for the Education Department of the State Government to satisfy itself that the part-time employment of school teachers does not affect their normal duties of imparting education to the children of those places.

(c) Even at present, besides school teachers, retired postal employees, Station masters, Government Pensioners, land holders etc. are also appointed as Extra Departmental branch postmasters.

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

1059. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम विभिन्न राज्यों में मैंगनीज उद्योग में लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण न्यूनतम मजूरी अधिनियम मैंगनीज खानों में लागू नहीं किया गया है ।

आयुध कारखानों के उत्पादन लक्ष्य

1060. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 में और 1964-65 में 30 सितम्बर, 1964 तक विभिन्न आयुध कारखानों में क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और वास्तविक उत्पादन कितना किया गया था ; और

(ख) इन उत्पादन लक्ष्यों का कितना भाग स्वदेशी सामग्री का उपयोग करके और कितना विदेशी मुद्रा व्यय करने प्राप्त किया गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ०मा० थामस) : (क) जानकारी भिन्न प्रकार है:—

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य (करोड़ रुपये में)	वास्तविक उत्पादन (करोड़ रुपये में)
1963-64	100	111
1964-65 . . .	120	50 (30 सितम्बर, 1964 तक)

(ख) वर्ष 1963-64 में और वर्ष 1964-65 में (30 सितम्बर, 1964 तक) आयुध कारखानों द्वारा जो सामान आयात किया गया था उसका मूल्य इन वर्षों में खरीदी गई कुल सामग्री का क्रमशः 12.05 और 9.02 प्रतिशत है । वास्तविक उत्पादन में जो आयातित सामग्री लगी है उसके मूल्य के ठीक आंकड़े उपलब्ध नही है क्योंकि वे पृथक से नहीं रखे जाते ।

महानिदेशालय, डाक और तार विभाग तथा दिल्ली टेलिफोन डिस्ट्रिक्ट में योजना निदेशालय

1061. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानिदेशालय, डाक और तार विभाग तथा दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के योजना निदेशालय में सहायक इंजीनियरों और विभागीय (डिविजनल) इंजीनियरों के पदों पर विशेष वेतन दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वह प्रति महिने किस हिसाब से दिया जाता है ;

(ग) इस प्रकार के अधिकारियो के चयन और नियुक्ति के मामले में क्या कसौटी रखी जाती है और क्या प्रत्येक मामले में कोई अवधि निर्धारीत की गई है और यदि हां तो, क्या ;

(घ) क्या ऐसे पदों को भरने के लिये कोई विशेष प्रविधिक अर्हतायें निर्धारित की गई हैं; और

(ङ) महानिदेशालय, डाक और तार विभाग में तथा दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो कि इन पदों पर गत तीन वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां; डाक तार विभाग महानिदेशालय में सहायक इंजीनियरों और विभागीय (डिविज़नल) इंजीनियरों के सभी पदों पर विशेष वेतन दिया जाता है। दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में, प्रशिक्षण केन्द्र के दो पदों के अतिरिक्त, ऐसे पदों पर कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता है ।

(ख) महानिदेशालय में 100 रुपये प्रति माह और दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में 75 रुपये प्रति माह ।

(ग) ऐसे पदों पर केवल वे ही अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जिन्हें कि अपेक्षित कार्य का अनुभव है तथा उस कार्य में जिनकी अभिरुचि है । विशेष वेतन वाले पदों के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है । इन मामले में भी सामान्य आदेश ही लागू हैं जिनके अनुसार कोई अधिकारी किसी पद पर चार वर्ष से अधिक नहीं रह सकता ।

(घ) जिस शाखा में ये भत्तेवाले पद होते हैं उसमें अधिकारियों के प्रशिक्षण और अनुभव को ध्यान में रखा जाता है ।

(ङ) गत तीन वर्ष से अधिक समय से जो अधिकारी इस प्रकार के पदों पर कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :

डाक और तार महानिदेशालय

विभागीय (डिविज़नल) इंजीनियर . . .	15
सहायक इंजीनियर . . .	28
दिल्ली टेलिफोन डिस्ट्रिक्ट	
सहायक इंजीनियर . . .	1

श्रेणी तीन के डाक और तार कर्मचारियों क लिये रिहाइश

10 62. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में डाक और तार विभाग के श्रेणी तीन के कर्मचारियों को रिहायश देने के लिये उनकी प्राथमिकता की तिथि निर्धारित करते समय उनकी कुल सेवा को ध्यान में नहीं रखा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कर्मचारियों की इस श्रेणी को होने वाली इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाना चाहती है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवति) : (क) डाक और तार नियमों के अनुसार डाक और तार क्वार्टरों के देने के लिये प्राथमिकता तिथि उस स्थान पर रहने की पूरी अवधि से निश्चित की जाती है; उसी स्थान पर सेवा की पिछली अवधि को भी ध्यान में रखा जाता है बशर्तिके उस स्थान से वहा रहने की निरन्तर अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होती ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये विशेष पेंशन

1063. **श्री धर्मलिंगम** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि भूतपूर्व सैनिकों को विशेष पेंशन दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) योजना कब लागू की जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Floods in Republic of Vietnam

1064. **Shri Tan Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the ravages caused by the recent heavy floods in the Republic of Vietnam ;

(b) whether any assistance has been rendered by the Government of India towards relief of the flood victims, and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) & (b) Yes, Sir. The Government of India learnt with deep distress of the devastation caused by floods in the Republic of Vietnam and decided to send Indian textiles for the relief of flood victims.

(c) In view of the urgency a consignment of textiles worth Rs. 10,000 was airlifted and it reached Saigon on 26th November.

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटिड की कम लागत वाली यात्री कार

1065. **श्रीमति ज्योत्सना चंदा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतावे की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि हिन्दुस्तान एयर क्राफ़्ट लिमिटिड बंगलोर ने बड़े पैमाने पर उपादन के लिये एक सस्ती छोटी कार निकाली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड द्वारा क्रियान्विति के लिये सस्ती कार के उत्पादन की योजना को फिर से चालू करने की कोई संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां । 1960 के आरम्भ में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने एक सस्ती कार तैयार की थी और उस समय यह आशा थी की उत्पादन आरम्भ करने पर जनता को यह 5,000-5,500 रु० (इसमें कर तथा उत्पादनशुल्क शामिल नहीं है) की कीमत पर मिल सकेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

कोयला खनिकों के लिये कल्याण योजना

1066. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला खनिकों को कोयला खान श्रम कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत उनके बच्चों की शिक्षा के लिये उन्हें अनुदान देना चाहती है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार योजना को कब लागू करना चाहती है और आरम्भ में कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) कोयला खनिकों के स्कूल और कालिजों में पढ़ने वाले बच्चों के लिये छात्रवृत्ति अनुदानों को योजना 1956 से लागू है । 1963-64 में इन छात्रवृत्तियों के लिये 1,64,329 रु० की राशि दी गई थी।

चालू वर्ष से ऐसे खनिकों को शिक्षा भत्ता देने की एक और योजना मंजूर की गई है जिनके बच्चे उनके मार्च के स्थानों से दूर विद्या पाते हैं। 1964-65 में लगभग 250 छात्रों को लाभ पहुंचेगा।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री का इच्छा पत्र

1067. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु के इच्छापत्र में व्यक्त भारत के प्रति परम श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए क्या विशेष अवसरों पर इच्छापत्र के प्रसारण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री०चे०रा०पट्टाभिरामन) : भूतपूर्व प्रधान मंत्री का इच्छापत्र पहली बार 3 जून, 1964 को प्रसारित किया गया था। श्री जवाहरलाल नेहरू की 75 वीं वर्ष गांठ के संबंध में प्रसारित किये गये एक विशेष नाटचरूपक में इसके कुछ अंश प्रयोग में लाये गये थे। इच्छापत्र को पुर्ण अथवा अंशिक रूप में फिर से प्रसारित करने पर उपयुक्त अवसरों पर भविष्य में प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों के प्रसंग में विचार किया जायेगा। इच्छापत्र की प्रतियां शिक्षा मंत्रालय द्वारा 14 नवम्बर को बड़ी संख्या में बांटी गईं थीं।

महासभा के अधिवेशन की कार्यावली

1068. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा के आगामी अधिवेशन के लिये कार्यावलि बताने की कृपा करेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19 वें नियमित अधिवेशन की अस्थायी कार्यावलि तथा कार्यावलि में शामिल करने के लिये प्रस्तावित मदों की अनुपूरक सूची की एक एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3539/64]**

डाक और तार कर्मचारियों के लिये चिकित्सीय सुविधाएं

1069. **श्री प्र० च० सोयं :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को अस्पतालों तथा चिकित्सीय अधिकारियों द्वारा वे सामान्य चिकित्सीय सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो बिहार में राज्य सरकार के कर्मचारियों को सामान्यत: उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री० भगवती) : (क) डाक और तार कर्मचारी तथा उनके परिवारों के सदस्य सी० एस० (एम० ए०) नियम, 1944 के उपबन्धों के अन्तर्गत चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त करने के लिये उसी तरह पात्र हैं कि अन्य कोई भी केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी पात्र है । हो सकता है कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली चिकित्सीय सुविधाओं का क्रम वही न हो जो सी० एस० (एम० ए०) नियमों के अन्तर्गत दी जाती हैं । हां, पटना में डाक और तार कर्मचारियों तथा उनके परिवार सदस्यों के आउटडोर इलाज के लिये डाक और तार विभाग की अपनी एक डिस्पेन्सरी है । जो डिस्पेन्सरी में उपलब्ध नहीं है वह सी० एस० (एम० ए०) नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य सरकार के अस्पतालों से प्राप्त किया जाता है ।

(ख) ये प्रश्न ही नहीं उठता ।

थानों के लिये टेलिफोन

1070. **श्री तान सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजनावधि में प्रत्येक थाने को टेलीफोन कनेक्शन दिया जायेगा ;

(ख) राजस्थान के बारमेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में कितने थानों में टेलीफोन सुविधा नहीं है ; और

(ग) ये कनेक्शन कब दिये जायेंगे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, नहीं।

(ख) धारमेर—12 (3 मंजूर किये गये) ।

जैसलमेर—4 (1 मंजूर किया गया) ।

जोधपुर—7 (1 मंजूर किया गया) ।

(ग) अन्य थानों पर टलीफोन सुविधा केवल उसी सुरत में दी जायेगी जब कि या तो प्रस्ताव लाभप्रद हों या प्रत्याभूति के आधार पर । आशा है कि स्वीकृत कार्य तीसरी योजना के अन्त तक पूरे हो जायेंगे ।

भूत आकाशवाणी केन्द्र

1072. **श्रीमती रेणुका बडकटकी** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जम्मू के आसपास एक भूत रेडिओ स्टेशन काम कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो स्टेशन का पता लगाने के लिये उस स्टेशन के चलाने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

5—4 Lok Sabha/65

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :(क) जी, हां।

(ख) भारत के किसी स्थान पर भी ऐसा कोई स्टेशन काम करता प्रतीत नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्टेशन लाहौर क्षेत्र में है। पाकिस्तान का नाम लाहौर/मुलतान क्षेत्र से 630 किलो साइकल्स पर 100 किलोवाट के प्रसारण स्टेशन के रजिस्टर शुदा है।

चीन का विरोध पत्र

1073. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत अमरिका की "दो चीन" की नीति का समर्थन करता है और 11 नवम्बर, 1964 में पीकिंग में भारतीय दूतावास को दिये गये एक पत्र में इस नीति का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि कोई उत्तर दिया गया है, तो वह क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :(क) 11 नवम्बर, 1964 को पीकिंग में भारतीय दूतावास में दिये गये एक पत्र में चीन सरकार ने यह आरोप लगाया है कि भारत तथा कथित "दो चीन की नीति" का समर्थन कर रहा है।

(ख) चीन सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि भारत केवल चीन के लोकगणराज्य को ही मान्यता देता है और उसी के साथ भारत के राजनैतिक संबंध हैं। यह आरोप कि भारत "दो चीन की नीति" का समर्थन कर रहा है केवल इसलिये लगाया गया है कि इससे चीन के भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा मिलता है। चीन के पत्र का उत्तर शीघ्र ही भेजा जायेगा और पत्रव्यवहार की प्रतियां सभापटल पर रख दी जायेंगी।

Engineering Personnel in A. I. R.

1074. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 151 on the 14th September, 1964 and state :

(a) whether the Committee appointed to study the conditions of service of the Engineering personnel of the All India Radio has submitted its report ; and

(b) if so, the recommendations made therein and the steps taken to implement them ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the main recommendations of the Committee is attached. The recommendations are still under examination and the question of their implementation will arise after they have been accepted by the Government.

डाक और तार क्वार्टरों के लिये रेलवे की भूमि

1075. **श्री मणिचंगाडन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायम (केरल) में रेलवे विभाग की भूमि को कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये डाक और तार विभाग को देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यदि इस प्रयोजन के लिये कोई राशि दी गई है तो वह क्या है; और

(ग) क्या भूमि का कब्जा ले लिया गया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) 37,183.29 रु०।

(ग) भूमि का कब्जा अभी नहीं लिया गया है क्योंकि भूमि अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में है जिनको अभी निष्कासित करना है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि

1076. { श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री राघवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को भूमि देकर रोजगार दिलाने संबन्धी समस्या पर जांच करने के लिये नियुक्त समिती ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपपत्तियां क्या है; और

(ग) सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ;

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) (क) जी, हां।

(ख) समिती की मुख्य सिफारिशें सभापटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं। **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3561/64।]**

(ग) ऊपर दी गई सिफारिशों के अनुसरण में निम्न कदम उठाये गये हैं :

(क) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वास्तव में उन्होंने जितनी भूमि की पेशकश की है उसका विवरण भेजे और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ख) भूमि यदि देने के लिये प्रक्रिया तथा नियम भी राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं जो इस से मुख्यतः संबधित हैं।

छावनियों में स्कूल

1077. { श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० क० राघवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक छावनी में स्कूल स्थापित करने की योजना की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उन छावनियों के क्या नाम हैं जिनमे इस समय कोई स्कूल नहीं हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे स्कूल शीघ्र स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है कि प्रत्येक छावनी में ऐसे स्कूल खोले जायें।

(ख) अल्मोड़ा छावनी।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में अल्मोड़ा छावनी बोर्ड की एक स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है। अल्मोड़ा शहर के असैनिक क्षेत्र में, जो कि छावनी क्षेत्र के साथ ही है, अनेक स्कूल हैं, और छावनी क्षेत्र में निवासी इन स्कूलों से फायदा उठाते हैं।

गार्डन रीच वर्कशाप

1078. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० क० राघवन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच वर्कशाप में सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिकीकरण की योजना पूरी हो गई है ; और

(ख) तटीय व्यापार के लिये बीच के साईज़ के जहाज बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड की जहाजों को बनाने की क्षमता को बढाने की योजना विचाराधीन है जिसमें कि अतिरिक्त सूखी गोदियों, गीले थाल और आवश्यक कर्मशालों का निर्माण तथा आवश्यक क्रेनेज और संबधित सुविधाओं को स्थापित करना शामिल हैं। योजना की जांच चौथी योजनावधि में देश में जहाज बनाने की क्षमता के विस्तार के सामान्य प्रसंग में की जा रही है। यदि योजना स्वीकार कर ली गई, तो इसके पूरा हो जाने पर 3500 डी०डब्लू०टी० और इससे अधिक टन भार के बीच के जहाजों को निर्माण करना संभव हो जायेगा।

भूतपूर्व सैनिक

1079. **श्री अ० क० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छे शरीर वाले तथा विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को काम दिलाने के प्रश्न पर नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अध्ययन दल की उपपत्तियां तथा उन पर की गई कार्यवाही संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3562/64।**]

Telephones for M.Ps.

1080. **Shrimati Johraben Chavda :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telephones in Delhi which are in the names of ex-M.Ps. having been allotted to them in their capacity as M.Ps.; and

(b) the number of those M.Ps. who had already got telephones but were allotted additional telephones as M.Ps. ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri B. Bhagavati) : (a) Nil. All telephones allotted to person in their capacity as M.Ps. and paid for by the Parliament Secretariat are discontinued when they cease to be M.Ps. on receipt of intimation to this effect from Parliament Secretariat.

(b) 16.

इंजीनियरिंग स्टोर डिपो, अवाडी

1081. { **श्री मनोहरण :** **श्री कपूर सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग स्टोर डिपो, अवाडी को बन्द किया जा रहा है अथवा कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) बन्द करने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

Re : MOTION FOR ADJOURNMENT (QUERY)

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। काश्मीर में स्थिति बहुत खराब हो रही है। वहां पाकिस्तान के झँडे से मिलता जुलता झंडा लहराया गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस तरह से यह मामला नहीं उठाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) **:** Sir, the situation in Kashmir is serious. Even the important questions are not answered by the Minister.

Shri Bade (Khargone) **:** This is a very important matter.

Mr. Speaker : Calling attention Notice, Shri Ranga.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1). श्री लंका में भारतीयों के निवास सम्बन्धी वीजा की अवधि का पुनः न बढाया जाना

श्री रंगा (चित्तुर): मैं माननीय वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान निम्न लिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूँ कि वह इसके बारे में वक्तव्य दें :

[श्री रंगा]

"भारतीयों के निवास वीज़ाओं की अवधि को न बढ़ाये जाने के बारे में श्रीलंका सरकार का प्रतिवेदित निर्णय।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : भारत सरकार को श्रीलंका सरकार के निर्णय के बारे में पता चला है कि वह भारतीय राष्ट्र जनों के निवास वीज़ाओं की अवधि को नहीं बढ़ा रही, जो कि भारतीय राष्ट्रजनों को दिये गये थे। यह बात हमने अखबारों में ही पढ़ी है, सरकारी घोषणा चाहे अब तक नहीं हुई है। हमने श्रीलंका में अपने उच्च आयुक्त को पूछा है और पता चला है कि इस दिशा में कोई असाधारण बात नहीं हुई है, और अवधि न बढ़ाये जाने वाले मामलें बहुत अधिक नहीं है ;

400 रुपये वार्षिक वीज़ा शुल्क अदा करके एक वर्ष के लिए वीजा प्राप्त किया जाता है और इसकी अवधि बढ़ा दी जाती है। लगभग 16,000 भारतियों के पास निवास वीजा है। यदि उनके ठहरने की अवधि नहीं बढ़ाई जाती तो उसका परिणाम यह होता है कि वीज़ा की अवधि समाप्त होने पर वीजा प्राप्त लोगों को श्रीलंका को छोड़ना होगा। श्रीलंका सरकार का अचानक ही वीज़ाओ की अवधि को बढ़ाना बंद कर देना स्पष्टतः भारत-लंका करार की भावना के प्रतिकूल होगा जो 30 अक्तूबर, 1964 को सम्पन्न हुआ था।

श्री रंगा : अब जब कि वहां अन्तरिम सरकार है तो वहां कि स्थिति क्या है और इस स्थिति में वीज़ा वाले लोगों के हितों के संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : हमारे उच्चायुक्त अभी हाल ही में यहां पधारे थे। उनसे हमनें इस मामले की चर्चा की थी और आगे भी इस पर विचार करते रहेंगे।

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor) : After the fall of her Government the Former Prime Minister of Ceylon Shrimati Bhandernayaka in her message to the people on the Ceylon Radio referred to this Indo-Ceylon Agreement and said that its implementation will have certain practical difficulties. Indian in Ceylon has not accepted this agreement, whether the Government are going to consider the agreement again.

Shri Dinesh Singh : No, as long as the Ceylon Government honours the agreement, we will also honour it.

Shri Parkash Vir Shastri : I mean to say that Indians in Ceylon say that we are citizens of Ceylon and the Indian Government have no right to interfere in their affairs. What is the reaction of the Government in this matter ?

Shri Dinesh Singh : This is a Policy matter, what can I say about it.

श्री हेम बरुआ : यह 16,000 भारतीय मूल के लोग जिनके वीजा को नवीकरण करने के लिए लंका सरकार तैयार नहीं क्या यह उन्हीं 5.25 लाख लोगों में से है जिनके बारे में समझौता हुआ। इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान इस और आकृष्ट करवाता जो कुछ कि लंका की प्रधान मंत्री ने अभी हाल ही कहा है, "हमारी सरकार की हार से भारत-लंका करार को काफी खतरा हो गया है।" यदि यह स्थिति है, तो इस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड-उत्तर) : भारत और लंका का जो करार हुआ, उस करार के समय भी अभी 1,15,000 भारत मूल के लंका निवासी लोगों की समस्या हल नहीं की गयी थी। फिर अस्थायी बीजा के नवीकरण का भी प्रश्न है। तो क्या इनके बारे में कोई निर्णय हुआ ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैंने इससे पूर्व कहा था कि इस दिशा में कोई विशेष स्थिति नहीं थी। वे लोग हमारे देश के नागरिक है और वीजा पर वहां रह रहे है। हमें इस बात की आशा है कि लंका सरकार उनका वीजा रद्द नहीं करेगी। वे हमारे नागरिक हैं और हमें उनका उत्तरदायित्व लेना ही होगा।

Shri Yashpal Singh (Kairana) **:** What is the opinion of the special officer sent to Ceylon under the recent agreement ?

Shri Dinesh Singh : No talk has taken place regarding this. They are our citizens, that is all.

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : क्या श्रीलंका में रहने वाले भारतियों के भारत आने पर उन के पुनर्वास की कोई योजना बनाई गयी है ?

श्री दिनेश सिंह : हम इस दिशा में सारे हालात के मुताबिक योजना बनाने पर विचार करेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन भारतियों की संख्या क्या है, जिन्होंने वीज़े के लिए आवेदन पत्र दिया और इसमें स्वीकृत और अस्वीकृत होने वालों की अलग अलग संख्या क्या है ?

श्री दिनेश सिंह : इस संख्या के बारे में एकदम कोई आकड़े नहीं दिये जा सकते।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक समिति के ग्यारहवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष

श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : श्रीमानजी, मैं 30 और 31 अक्तूबर, 1964 को नयी दिल्ली में आयोजित बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के ग्यारहवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3553/64।**]

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संमेलन की गोष्ठी तथा सिफारिशें

श्री र० कि० मालवीय : मैं जून 1963 में जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के सैंतालिसवें अधिवशन में स्वीकृत अभिसमय तथा सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी अथवा की जानेवाली कायवाही बतानेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3554/64।**]

श्री हरि विष्णू कामत (होशंगाबाद) : यह जेनेवा सम्मेलन जून 1963 में हुआ था। इतनी देरी कर दी गयी है। 18 महीने व्यतीत हो गये हैं।

श्री र० कि० मालवीय : जैसे ही हमें प्रतिवेदन प्राप्त होता है हम उसे सभा पटल पर रख देते हैं।

सदस्य की रिहाई

(श्री प्रिय गुप्त)

RELEASE OF MEMBER

(Shri Priya Gupta)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को निम्न लिखित पत्र के बारे में सूचना देनी है जो कि 29 नवम्बर, 1964 को कटिहार सब जेल के सुपरिटेंडेन्ट ने लिखा है :—

"श्री प्रिय गुप्त लोक सभा सदस्य को 26 नवम्बर, 1964 को 4.30 म.प. तक के लिए कारावास का दंड दिया गया था और उन्हें 26 नवम्बर को 4.30 पर रिहा कर दिया गया है।"

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरे विचार में सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें क्यों जेल में रखा गया। छोटे छोटे अधिकारियों को इस तरह अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : जी हां, मैं मामले की जांच करूंगा।

भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक---जारी

INDIAN TRADE UNIONS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 3 दिसम्बर, 1964 को श्री संजीवय्या द्वारा प्रस्तुत किया प्रस्ताव पर विचार करेगी :

"कि भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 1926 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाय।"

अब श्री रंगा अपना भाषण जारी रखें।

श्री रंगा (चित्तूर) : मेरे विचार में केवल एक ही कार्मिक संघ को मान्यता देने के स्थान पर यदि हम सभी संघों को मान्यता दे दे तो इसमें श्रमिको का ही हित होगा। इसमें श्रमिकों और नियोजकों के सम्बन्ध भी काफी सुधर जायेंगे। और आज यह स्थिति है कि राजनीतिक दल इन संघों के संगठन में दिलचस्पी ले रहे हैं, अत: इस स्थिती में यह और भी जरूरी है कि यदि कोई विवाद हो जाता है, तो नियोजकों तथा सरकार को ऐसे सभी तरह के कार्मिक संघों से सलाह लेनी पड़ेगी। भोपाल में यदि सरकार यह नीती न अपनाती तो जो गड़बड़ वहां हुई वह कभी भी न होती।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह है प्रत्येक उद्योग के बारे में अलग अलग निर्णय होने चाहिए। कई वर्षो से यह सुझाव दिया जाता रहा है कि त्रिपक्षीय आधार पर प्रत्येक उद्योग में स्थायी श्रमिक समितियां होनी चाहिये जिनमें सभी मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के प्रतिनिधि शामील हो। ऐसा करने से नियोजकों और कर्मचारियों के परस्पर सम्बन्धों में काफी सुधार हो जायेगा। और यह हड़तालें तथा धीरे काम करने वाली सभी बातें प्राय: समाप्त हो जायेंगी।

मेरा यह भी सुझाव है कि किसी अनैतिक कृत्य के लिये किसी श्रमिक को अधिक देर तक प्रतीक्षा में नहीं रहना चाहिये। सब से पहले यह निश्चय किया जाना चाहिये कि अनैतिक मामले के दोषी

श्रमिक नेताओं की भर्त्सना करने में कोई औचित्य नहीं है। आरोप लगाने से पूर्व उस पर विचार कर लिया जाना चाहिये। यह देखने में आया है कि कई मामलों में मालिकोंने तथाकथित नतिक अपराध सिद्ध करवा कर वास्तविक .कार्यकर्ताओं को भी दोषी सिद्ध करवाया है और उन्हें दंड दिलवाया है। जिस समय विधेयक में रखा गया है वह भी अधिक है। मेरा निवेदन यह है कि यह समय कम से कम आधा होना चाहिये।

इन शब्दों से मैं हर्ष के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्र० प्रि० शर्मा (बक्सर) : मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं। मुझे तो इस बात पर ही आश्चर्य है कि सरकार ने इस मामले पर देर क्यों की है। यह विधेयक तो बहुत पहले आ जाना चाहिये था। मैं श्री रंगा के इस सुझाव को स्वीकार नहीं करता कि सभी संघो को मान्यता दी जाय। मेरा निवेदन यह है कि कार्मिक संघवाद एक विशेष विषय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। कठिनाई यह है कि कुछ लोग देश के प्रत्येक क्षेत्र में अपना कार्मिक संघ जमाना चाहते हैं। कई राजनीतिक तो इसे आंशिक कार्य समझा कर करते रहते हैं। इस प्रकार के संघों को मान्यता देने से कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है।

बहुत से लोग जो इस विधेयक का विरोध करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य यही है कि कार्मिक संघ कार्य का लाभ उठाया जाय। मेरा निवेदन यह है कि बहुमत के आधार पर कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली जारी रहनी चाहिये। यदि अनेक संघों को मान्यता प्रदान की जाती है, तो कई गलत लोग कार्मिक संघों का प्रयोग अपने राजनीतिक अथवा आर्थिक लाभ के लिए करने का प्रयत्न करेंगे। इसे रोका जाना चाहिये।

Shri Sarju Pandey (Rasra) : I oppose this provision of the Bill that person who suffered a punishment for the offence of moral terpitude, should not be included in the Working Committee of the Trade Union. It is really regrettable that a few Congressmen are misleading the labour with the support of the Capitalists. The Congress is exploiting the labour in India for its own benefit and for the benef.t of the mill-owners. Contrary to the statement of the hon. Minister that a particular party increased the danger to the nation by instigating labour strike during the Emergency, the mill-owners used the Emergency as an instrument to harm the labour. I know a mill in Kanpur owned by an hon. Member of this House, where healthy trade unionism is not allowed to develop with the help of goondas. Labour is the back-bone of the country. If the labour movement is not allowed to foster without any interference and labour is not allowed to seek redress of grievances, the democracy cannot function properly. Some cases of giving temptation to the workers at Kanpur, Bombay, etc. to act in the interests of the mill-owners have come to my knowledge.

It has been laid down in this Bill that any member of the executive of a trade union convicted of moral turpitude by a court will be disqualified for membership. This will enable the mill-owners to eliminate of honest trade union workers by involving them in minor offences. I request to withdraw this Bill and to leave it to the discretion of the labour to elect their representatives.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I welcome this Bill but suggest two minor changes.

I feel that either the year should not be changed or if at all it is considered necessary it should be changed to *Saka* Calendar.

[Shri Yashpal Singh]

'Moral Turpitude' is a very vague term and its interpretation will differ from person to person. The views of Lord Rama regarding morality hold good no more. Unless it is properly defined it is likely to effect the labour class adversely. I therefore, request that to make this bill effective it is essential to specify the cases covered under the term 'Moral Turpitude'.

श्री ओझा (सुरेंद्रनगर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करने के साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। योजनाबद्ध उद्योगीकरण के कार्यक्रम के अनुसार जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में अधिक स्थानान्तर नहीं हुआ है। इसका कारण है कि वर्तमान कारखानों में वैज्ञानिक संगठन के साथ 2 नई मशीनों में भी तकनीकी सुधार किये जा रहे हैं। कभी वज्ञानिक व्यवस्था विवेकपूर्ण होती है और कभी नहीं।

यहां से मजदूर संगठनों का कार्य आरम्भ होता है। हमारे देश में मजदर संगठनों का विकास सही तरीके से नहीं हुआ है और इनको केवल मजदूरों के लाभ का साधन नहीं बल्कि राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना लिया गया है। इसको दूर करने के लिये श्रम मंत्रालय द्वारा खोलि गये मजदूर प्रशिक्षण केन्द्रों में सुधार किये जाने चाहिये और इनकी संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिये।

यद्यपि पंजीकृत मजदूर संघठनों की संख्या 1951-52 में 4623 से बढ़कर 1963 में 11,175 हो गई लेकिन इसमें से 40 प्रतिशत ने अपनी आय-व्यय का विवरण रजिस्ट्रार को नहीं भेजा। एक-ओर मालिक लोग मज़दूरों का गला काटते हैं तो दूसरी ओर अविश्वसनीय कार्यकर्ता नये 2 संगठन बनाकर उनका पैसा खा जाते हैं। मज़दूर संगठनों की आय 1951-52 म 50-84 लाख से बढ़कर 1960-61 में 1.46 करोड़ रुपये हो गई है इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि इनके खाते ठीक प्रकार से बनाये जायें।

यदि हम मुकदमा चलायें गये मजदूर संगठनों के अपराधी व अन्त में दंडित कर्मचारियों की ओर ध्यान दे तो स्पष्ट हो जायेगा कि किसी न्यायालय में मुकदमा चलाकर एसे बोगस कर्मचारियों को दंड देना बहुत कठिन है। इसीलिये मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिससे कि ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर ध्यान रखा जा सके व उचित दंड दिया जा सके जो राजनैतिक या किसी अन्य स्वार्थवश मज़दूर संगठनों के कार्यों में भाग लेते हैं। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। अपने संशोधन पर मैं नम्बर आने पर बोलूंगा।

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सरामपुर) : मज़दूरों के कार्यों में दोष निकालना श्रम मंत्रालय का स्वभाव बन गया है। अंग्रेजी सरकार मज़दूर संगठन बनाना एक षड्यंत्र समझती थी। राष्ट्रीय आन्दोलन में मज़दूर संगठनों का बहुत हाथ था। मज़दूर संगठनों की कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले को उस कम्पनी का शत्रु समझा जाता है भले ही वह सरकारी संस्थान क्यों न हो। यहां तक कि मैं दावे से कह सकता हुँ कि दुर्गापुर स्पात कारखाने में भी मामूली मज़दूर संगठन को भी पनपने नहीं दिया जा रहा है। गैरसरकारी क्षेत्र में भी यही स्थिति है।

इस विधेयक द्वारा किसी भी मज़दूर को कोई भी मामूली अपराध लगाकर मज़दूर संगठन से हटाया जा सकेगा। यही कारण है कि प्रत्येक मजदूर कार्मिक संघ में प्रमुख भाग लेने से डरता है। यदि पटसन मिल में काम करने वाला कर्मचारी ईंधन के लिये कारखाने से थोड़ा बेकार पटसन ले जाये तो उसे इसके लिये कुछ दिन के कारावास का दंड दिया जा सकता है। वह ऐसा कोई सम्पत्ती खड़ी करने के इरादे से नहीं बल्कि इसलिए करता है कि उसे उचित मज़दूरी नहीं दी जाती।

यह कहना उचित नहीं है कि स्थायी श्रम समिति की सिफारिश पर यह विधान रखा गया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस समिति के समक्ष नैतिक दुराचार के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्थायी श्रम समिति की अन्य सिफारिशों को क्रियान्वित करने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं। इस समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम मज़दूरी इतनी होनी चाहिये कि जिससे जीवन निर्वाह हो सके तथा उचित मूल्य की दुकानें खोली जायें। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि यदि कोई विधान बनाया जाये तो वह मज़दूरों को लाभ पहुँचाने के लिये बनाया जाय न कि इन मामूली बातों के लिये।

हमारे मज़दूर नैतिक दृष्टि से इतने गिरे हुए नहीं हैं कि वे एक नैतिक दुराचरण करने वाले व्यक्ति को अपनी भलाई के लिये स्थापित संगठन के कार्यकर्ता के रूप में चुनेंगे।

कार्य-समिति के सदस्य बनने के लिये न्यूनतम आयु सम्बन्धी उपबन्ध अनुचित है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि बीड़ी-उद्योग, रस्सी आदि उद्योगों के मज़दूर जो सब ही 17 वर्ष से कम आयु के हैं, मज़दूर संगठन बनाने के अधिकार से वंचित रहेंगे। यह फक्टरी अधिनियम के उपबन्ध से मेल नहीं खाती क्योंकि इसके अनुसार मज़दूरों के लिये न्यनतम आयु 14 या 15 वर्ष निश्चित है।

मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार को मज़दूर सगठन अधिनियम में स्थायी श्रम समिति में विचार की गई कमियों को ध्यान में रखकर संशोधन करना चाहिये। मज़दूरों को अपने संगठनों का स्वतन्त्र रूप से विकास करने देना चाहिये न कि उन पर कानूनी रोक लगाकर मज़दूर आन्दोलन की राह में रोड़ा अटकाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Speaker, I welcome and support this bill. I also prefer the word 'office-bearer' to officer among the labour class. I also support the calendar but I would suggest that it should be according to Indian Calendars. I admire the provisions regarding the standard of the labourers: but they will be exploited by the millowners to further their own ends by instituting false cases against the union workers. For example, recently in a labour agitation in the Gopal Paper Mill, Yamuna Nagar, the majority was in favour of strike, but the leader being a Congress man from Punjab was not in its favour. So false cases were instituted against the labourers but all of them were acquitted by the law courts. No cases were filed against those labourers who gave evidence in favour of I.N.T.U.C. Such methods are adopted to spoil the career of the labour class. Many trade unions do not want to bring the labourers in the political field, but they are always pushed into the political field by the Congress Party. For example, during the General Elections the trade union workers are utilised for canvassing purposes and are got paid by putting pressure on the mill-owners. I oppose the deduction of subscription by the mill-owners from the labourers' wages. Last time our Labour Minister gave an assurance that it will not be done but it is yet to be seen how far it will be complied with. The government must give an assurance that nothing will be done to spoil the future of trade union workers, otherwise it will be considered that the government is not sincere and want to support its own workers and the workers of I.N.T.U.C.

श्री काशीनाथ पाण्डे (हाता) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुये सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस विधेयक का मुख्य संशोधन यह है कि यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को नैतिक अपराध (माँरल टरपीट्यूड़) के लिये सज़ा कर दे तो वह किसी ट्रेड यूनियन

[श्री काशीनाथ पाण्डे]

का पदाधिकारी नहीं बन सकता । लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय में अपनी रक्षा करने के लिये सब कुछ कहने का अधिकार है । और यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाय कि वह अपराधी है तो उसको सजा दे देती है । कुछ सदस्यों के अनुसार सजा छल द्वारा भी दिलाई जा सकती है । यह कहना उचित नहीं है क्योंकि दंडित व्यक्ति उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकता है ।

श्री नम्बियार : यह एक महंगा काम है ।

श्री काशीनाथ पाण्डे : यह ठीक है । परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को देश में प्रवृत्त नैतिक अथवा कानूनी दबाव में काम करना है । अतः कोई भी व्यक्ति यदि अपराधी घोषित हो जाय और सज़ा पा जाय, तो उसको ट्रेड यूनियन में किसी भी पद का अधिकारी नहीं रहना चाहिये । क्योंकि ट्रेड यूनियनों में ऐसे मामले भी आते हैं जिनमें लाखों रुपयों पर विचार होता है, यदि ऐसे संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति उसका पदाधिकारी हो तो उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता । इसलिये ऐसे व्यक्ति को ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी बनने का अधिकार नही होना चाहिये । अतः मेरे माननीय मित्रों को इस विधेयक का विरोध नही करना चाहिये ।

मैं अपने माननीय मित्र श्री ओझा द्वारा प्रस्तुत संशोधन से सहमत हूं । कई व्यक्ति ट्रेड यूनियन के सचिव या अध्यक्ष बनने के उपरान्त भी रुपये का गबन कर सकते हैं, और कर्मचारियों को डरा धमका कर पदासीन रह सकते है । कई लोगों के मन में यह शंका है कि यदि यह निर्णय कि कोई व्यक्ति ट्रेड यूनियन में रहे या नहीं रहे कार्य कारिणी समिति पर छोड दिया जाय तो वह छल द्वारा किसी को भी पदच्युत कर सकती है । परन्तु ट्रेड यूनियन के संविधान में यह उपबन्धित है कि कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक इसको आरोप पत्र न दिया जाय और अपनी बचाव करने का अवसर न दिया जाय । जब ऐसी व्यवस्था है तो जो व्यक्ति ट्रेड यूनियन के धन का उपयोग करे उसको तत्काल निकाल देना चाहिये । ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है कि कार्यकारिणी समिति के निश्चय की रजिस्ट्रार जाच करे । यदि वह भी उसका अनुमोदन करे तो उस व्यक्ति को ट्रेड यूनियन से निकाल देना चाहिये । ट्रेड यूनियन के कृत्यों के महत्व को देखते हुये मैं इस हित में नहीं कि बेईमान व्यक्ति उसमें रहें । इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री मोहसिन (धारवाड-दक्षिण) : मै इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं । मेरा विचार था कि यह विधेयक विवादास्पद नहीं रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : विवाद खड़ा करना कोई कठिन कार्य नही है ।

श्री मोहसिन : इस विधेयक का विरोध देखकर मुझे आश्चर्य हुआ है । यह उपबन्ध नया नहीं है कि कुछ व्यक्तियों को कार्यकारिणी समिती का सदस्य बनने के अयोग्य कर दे । यह उपबन्ध कई और अधिनियमों में भी है जैसे कि पंचायत विधेयक, यह उपबन्ध कई नगरपालिका अधिनियमों में भी है । जैसे कि मैंने राज्य मैसूर में भी यह उपबन्ध है कि जिस व्यक्ति को "मारल टरपीट्यूड" के लिये दण्ड मिला हो वह नगरपालिका अथवा नगरपालिका निगम का सदस्य नहीं बन सकता । अतः यह उपबन्ध इस विधेयक में नया नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : क्या संसद्-सदस्यों के बारे में ऐसा उपबन्ध है ?

श्री नम्बियार : महोदय यह सुसंगत प्रश्न है । क्या ऐसे व्यक्ति संसद-सदस्य बन सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब लोक प्रतिनिधित्व विधेयक प्रस्तुत होगा, तब इसकी चर्चा की जा सकती है ।

श्री मोहसिन : मेरे विचार में प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तरदायी पद पर है इस आवश्यकता की पूर्ति करे। और ट्रेड युनियन की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के लिये यह उपबन्ध बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ऐसे कई उदाहरण है जिनमें इन सदस्यों ने युनियन के धन का दुरुपयोग किया है। अतः ऐसे व्यक्तियों का पद पर रहना उचित नहीं है। इस विधेयक में इन व्यक्तियों को केवल पांच वर्ष के लिये वंचित किया जाता है जिससे कि वह सुधर सकें और अपने को पद के योग्य बना सके। यह एक बहुत ही उत्तम उपबन्ध है और मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साम्यवादी मित्र इसका विरोध क्यों कर रहे है। यह उपबन्ध सभी दलों पर समान रुप से लागू है, अतः मेरे साम्यवादी मित्रों को विशेष रुप से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और यह ऐसा युग है जिसने संदिग्ध चरित्र के व्यक्तियों के हाथ में शक्ति नहीं आनी चाहिये। यह मंत्रियों पर भी लागू होना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र श्री भट्टाचार्य ने आयु-सीमा के बारे में कुछ कहा था। 18 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति वयस्कता प्राप्त कर लेता है और इससे कम आयु के व्यक्ति से यह आशा नहीं की जाती कि वह ट्रेड युनियन के कार्य को समझा सकेगा। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साम्यवादी मित्रों ने 18 वर्ष की आयु की सीमा का क्यो विरोध किया है जबकि यह सब के हित में है। क्योंकि यह अविवादास्पद विधेयक है, मुझे आशा है कि यह एकमत से पारित हो जायगा।

श्री नो० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि स्थायी श्रम समिति ने इस विधेयक का अनुमोदन किया है, जिसका मैं सदस्य हूं फिर भी मैं इसका समर्थन नहीं करता। मंत्री महोदय का कथन सही नहीं है क्योंकि स्थायी श्रम समिति न भी इस शर्थ के साथ स्वीकार किया था। जब कभी श्री नन्दा स्थायी श्रम समिति की बैठकों में भाग लिया करते थे तो वह श्रम और पूंजी सम्बन्धी विषयों पर सदस्यों के विरोध पर ध्यान नहीं देते थे। हमें यह विश्वास था कि जब तक वह श्रम मंत्री हैं वह श्रम के अहित में कोई कार्य नहीं करेंगे, अतः हमने भी अधिक जोर नहीं दिया।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

'मारल टरपीट्यूड' की स्पष्ट रूप से परिभाषा की जानी चाहिए। और जब मिल मालिकों के लिये कोई ऐसा उपबन्ध नहीं बनाया जाता, तब तक ट्रड यूनियन के पदाधिकारीयों के लिये भी नहीं होना चाहिये। पहली लोक सभा के सदस्य बनने के कुछ सप्ताह पूर्व एक ट्रेड यूनियन के मामले में मैं जेल में जाते जाते बचा। मुझ पर 110 नारियल और 2 दूध की बोतलों की चोरी का आरोप लगाया गया था। परन्तु मेरे सौभाग्य से मजिस्ट्रट ने उस आरोप पर विश्वास नहीं किया और मैं छोड़ दिया गया। जैसा कि अन्य सदस्योंद्वारा भी बताया गया है, कोई भी प्रभावशाली मिल-मालिक ट्रेड यूनियन के कार्य कर्ताओं को 'मारल टरपीट्यूड के लिए दण्डित करवा सकता है। मेरे माननीय मित्रों को इस विधान को समर्थन देने से पहले इन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसे पुनः कहता हूं कि स्थायी श्रम समिति की बैठक में इस उपबन्ध के बारे में समर्थन किसी शर्त के अनुसार था।

मैं कार्यवाही का सम्बन्धित भाग जो सरकार ने भेजा है पढूंगा।

"प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, तथापि 'नैतिक अपराध' शब्द की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने का सुझाव दिया गया।"

श्री नन्दा जी एक मज़दूर संघवादी हैं और मज़दूर संघ सम्बन्धि हर पहलू से अवगत हैं। वह श्रमिकों की कठिनाईयां तथा उनकी समस्यायों को भी भली भांति जानते हैं। अतः वह कोई ऐसा कदम नहीं उठायेंगे जिससे कि मज़दूरों के हित का हनन होता हो। वर्तमान श्रम मंत्री एक निष्ठावान व्यक्ति हैं किन्तु

[श्री नी० श्रीकान्तन नायर]

ऐसा आभास होता है कि वह इस विधान के प्रभाव को नहीं समझ पाये हैं, अतः मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार के विधान को लाने में जल्दबाजी न करें क्यों कि श्रमिकों का उन से विश्वास उठ जायेगा साथ ही उनके मंत्रालय को भी कठिनाईयां उठानी पड़ेंगी।

स्थायी समिति के इक्कीसवें अधिवेशन में यह निश्चय किया गया था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधिकरणों को किसी व्यक्ति की पदच्युति सम्बन्धी मामलों पर विचार करने का अधिकार दे दिया जाय। किन्तु स्थायी समिति के बाइसवें अधिवेशन के लिये भेजी गयी टिप्पणियों में यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही न करने का विचार किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम सभी लोगों ने, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस (आई० एन० टी० यू० सी०) अखिल भारतीय कार्मिक संघ (ए० आई० टी० यू० सी०) हिन्द मजदूर संघ (एच० एम० एस०) तभा यू० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, बहुत महसूस किया है, बावजूत इसके, भेजी गई टिप्पणी में कहा गया है कि इसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

जहां तक धारा 33 संशोधन करने का सम्बन्ध है, सहकारी स्टोर तथा उचित मूल्यवाली दूकानों को खोलने के बारेमें कोई विधान नहीं बनाया गया है। वास्तव में यह बड़े दुख का विषय है कि स्थायी समिति ने जिन मामलों पर निर्णय किया है उन्हें विधान के रूप में लागू करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। मुझे यह बात कहने के लिये वाध्य किया जा रहा है कि इससे ऐसा ज्ञात होता है कि नियोजकों के हित को ध्यान में रखकर मज़दूर संघों के हितों का हनन किया गया है। मंत्री महोदय अथवा देश को श्रमिकों के वास्तविक हितों की अवहेलना करके कोई लाभ नहीं होगा।

श्री श्यामलाल सराफ़ (जम्मू तथा काश्मीर) : कार्मिक संघों में जो दूशित प्रथायें फैली हुई हैं उन्हें रोकना आवश्यक है। वास्तव में जो व्यक्ति, दल अथवा प्रभाव कार्मिक संघ अथवा उसके आन्दोलन में अंशदान नहीं करते हैं और उनके उचित मार्ग में बाधायें डालते हैं, उन्हें रोक देना चाहिये।

जो मजदूर संघ के सच्चे व ईमानदार कार्यकर्ता हैं उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मै मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में दोनों तर्कों को ध्यान में रखकर उत्तर देते समय हमें स्पष्ट रूपसे समझायें अन्यथा इस विधेयक को रोककर बाद में कोई उपयुक्त विधेयक लायें।

इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इस विधेयक में कई त्रुटियां हैं। इससे समस्यायें हल होने के बजाय और भी अधिक बढ़ती जायेंगी। स्थायी समिति की बैठक में क्या हुआ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है किन्तु इस में 'नैतिक अपराध' का जो तर्क है वह बिलकुल निरर्थक है।

मज़दूर संघ हमारे देश में श्रमिक वर्ग का बना हुआ एक संघठन है, संध के किसी भी उत्तरदायी पदाधिकारी के नैतिक अथवा अनैतिक व्यवहार के विषय में निर्णय लेना सम्बन्धित वर्ग का काम है जिसके हितों की रक्षा के लिये वह नियुक्त है। क्या यह विषय कानूनी तौर पर हल हो सकता है?

मज़दूर संघों मे कई लोग व संघटन ऐसे हैं जिनकी गतविधियां विभिन्न प्रकार की हैं। किन्तु उनके विरूद्ध न तो किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही की जा सकती है और न उन्हें किसी विशिष्ट अपराध के लिये कानूनन दोषी ही ठहराया जा सकता है। 'नतिक अपराध' शब्द की कोई यथार्थतम व्याख्या नहीं है, प्रश्न यह है कि कुछ कार्य अवश्य ही अनैतिक होते हैं तथापि उनके सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में विचार नहीं किया जा सकता है।

कुछ समय पूर्व रांची हैवी इंजिनिअरिंग कारपोरेशन में आग लगने के परिणाम स्वरूप बहुत हानि हुई, उसके बाद फिर अगस्त में आग लग गयी। इस घटना का कारण टोड़फोड़ का कार्य (सेबोटेज)

बताया जाता है यह एक सरकारी परियोजना है जिसके सफल होने पर देश के औद्योगिक विकास में क्रान्तिकारी प्रगति होगी। दलबन्दी के कारण हुई इस घटना में राष्ट्रीय सम्पत्ति की बहुत हानि हुई परन्तु जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध कौन कार्यवाही करेगा ? आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।

मान लीजिये किसी संघ का अध्यक्ष अथवा सचिव जो कि श्रमिकों का प्रतिनिधि समझा जाता है, नियोजक से वेतन लेता है तथा उसके किये दिये कार और मकान का उपयोग करता है, तो उसे 'नैतिक भ्रष्टाचार' का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उसने कोई दण्डनीय अपराध नहीं किया है। कभी-कभी दल सम्बन्धी झगड़े इस सीमा तक बढ़ जाते हैं कि खानों में उत्पादन कार्य को हानि पहुंचती है फिर भी किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

ये संघ कोयला तथा अन्य खान-क्षेत्रों में प्राय: नियोजकों के विरूद्ध हड़ताल सम्बन्धी कार्यों में उलझे हुए रहते हैं जिसके कारण इनका अस्तित्व भी बना हुआ है। कभी-कभी पदाधिकारी भी स्थानीय प्रबन्धकों से मिले हुये रहते हैं। माननीय मंत्री उन शिकायतों के विषय में जानते हैं जो कि उन्हें आसन-सोल तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों के सम्बन्ध में मिलती रहती हैं। वहां पर नियोजक लोग गुन्डों को धन देकर संघ नेताओं पर प्रहार करवाते हैं और बाद में उनके विरूद्ध विभिन्न अभियोग लगाते हैं। छोटे-छोटे मामलों पर लगाये गये अपराधों के लिए न्यायालय में किसी को दोषी भी ठहराया जा सकता है और इस कानून के अधीन नैतिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाकार उन्हें संघ से हटाया जायेगा।

हाल ही में 'जय इंजिनिअरिंग वर्क्स' के जनरल मैनेजर श्री बी० एस० अग्रवाल पर जापान से अवैध आयात करने के अपराध में कस्टम कलेक्टर ने 50,000 रुपये अर्थदण्ड किया और इसी व्यक्ति ने मेरे साथ एक हड़ताल समझौते पर 27 मई को हस्ताक्षर किये हैं किन्तु श्री अग्रवाल जिन्होने देश की विदेशी मुद्रा का इस प्रकार दुरुपयोग किया उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। किन्तु श्रमिकों पर छोटी छोटी बातों के लिए भी नैतिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है।

मैं श्री ओझा जी के संशोधन से सहमत हूँ जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति कुप्रवन्ध अथवा धन का दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में दोषी पाया गया हो-वह संघ से हटाया जायेगा। मेरी समझ से इस विषय में विधेयक को लाने का यह उपयुक्त समय नहीं है। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री हेडा (निजामाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह प्रयत्न रहा है कि मजदूरों को श्रम के लिये उचित मजूरी व उचित सम्मान तथा आवश्यक सुविधायें दी जायें। किन्तु इसके विपरित हम देखते हैं कि संघ के नेता अप्रजातंत्रिक एवं अवैधानिक रुप से हिंसात्मक कार्यों में लगे रहते हैं, भय तथा धमकी का वातावरण बनाये रहते हैं, इससे उत्पादन कार्य में हानि होती है और राष्ट्रको क्षति होती है। अत: इस विधेयक का पारित किया जाना आवश्यक है।

इस विधेयक के पारित किये जाने के परिणाम स्वरूप दोनों पार्टियां अर्थात् न्यायालय और मजदूर संघ के नेता, संयम से काम लेंगे अब ऐसी स्थिति हो गई है कि न्यायालयों को भी यह मालूम होगा कि इस विधेयक के पारित किये जाने के बाद यदि मजदूर संघ के किसी नेता अथवा श्रमिक को दोषी ठहराया जायगा तो इससे इनके साथ बढ़ी कठोरता का व्यवहार होगा।

इसलिये जब मामले न्यायालयों के सामने आयेंगे तो वह उन पर अधिक ध्यान देंगे। अन्यथा जैसा आम तौर पर होता है और जिसका सदस्यों ने भी उल्लेख किया है कि कुछ मामलों में जब हिंसा की कार्यवाही होती है और इन को रोकने के लिये कुछ कड़े पग उठाये जाने पर कुछ लोगों पर दोषारोपण करके उन्हें दण्डाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाता है और दण्डाधिकारी भी स्थिति को काबू में रखने और अधिक अच्छा वातावरण लाने के लिये कुछ लोगों को दण्ड देना आवश्यक समझता है पर यह

[श्री हेडा]

कहना कि वह सभी व्यक्ति वास्तव में भी दोषी थे जिन को दण्ड दिया गया है आसान नहीं है। और यह कार्यवाही कुछ अधिक कड़ी लगती है। पर मेरे विचार से यह विधेयक न्याय प्रशासन को आगे विचार करने का अवसर देगा और वह देख सकेंगे कि दण्ड अधिक कड़े तो नहीं हैं।

साथ ही साथ मजदूर संघ के नेतागण पर भी इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा करने से वह पहले यह जान लेंगे कि दण्ड दिये जाने पर उनका नैतिक पतन सिद्ध होगा और वह मज़दूर संघ के कार्यों से भी वंचित कर दिये जायेंगे इसलिये वह यह कार्य करने से पहले भली भांति सोचेंगे।

यह बात तो मेरी समझ में आती है कि वह धीरे धीरे काम करें अथवा बैठ जाये या काम करते समय शोर मचायें परन्तु जब वह घरों पर या छोटे बच्चों पर पत्थर आदि फेंकते हैं तो इनका कड़ा विरोध होना ही चाहिये।

मैं ऐसा किसी विशेष मज़दूर संघ के बारे में नहीं कह रहा हूं। मुझे पता है कि समान विरोधी तत्व भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस और अखिल भारतीय मज़दूर कांग्रेस तथा दूसरे संघों में होते है परन्तु ऐसे तत्वों का संबंध तो उन नेताओं और लोगों के चरित्र से है जो उस संघ में होते है। एकाधिकार कि वृत्ति इतनी अधिक हो गई है कि श्रम मंत्रालय को मेरे विचार में यह देखना होगा कि एक संघ का नेत्रित्व कैसे लोगों के हाथ में है और मेरा विश्वास है कि यह जान लेने पर भी ऐसे नेताओं को उन संघों से अलग करना कठिन होगा। वह तो अपना स्थान सुदृढ़ करने के लिये सभी अवांछनीय तरीके अपनाते है और इसी लिये ऐसी व्यवस्था बहुत आवश्यक हो गई है।

परन्तु जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है "नैतिक अपराध" का शब्द अस्पष्ट सा है और इसकी परिभाषा ठीक ठीक नहीं की गयी।

श्री नम्बियार : इसकी परिभाषा है ही नहीं।

श्री हेडा : परिभाषाये भी अस्पष्ट ही है...

श्री नम्बियार : विधेयक में तो अस्पष्ट नहीं है।

श्री हेडा : विधेयक में तो परिभाषा नही दी जा सकती। इसलिये म इस सम्बन्ध में दो सुझाव रखना चाहता हूं, एक तो यह कि न्यूनतम दण्ड देने के बाद ही बहिष्कार का उपबन्ध लागू होना चाहिये जैसे छः महीने या उससे अधिक दण्ड मिलने पर ही यह उपबन्ध लागू हो इससे कम दण्ड मिलने पर नहीं। विधेयक में कुछ इस प्रकार का उपबन्ध होना चाहिये मैं आयु-सीमा के बारे में भी एक सुझाव रखना चाहूंगा जो कि विधेयक में 18 वर्ष रखी गयी है। मेरे विचार में यह सीमा बहुत कम है क्योंकि किसी प्रक्रिया द्वारा ही एक व्यक्ति अध्यक्ष, सचिव व कार्यपालक सदस्य बनेगा और इसके लिये अनुभवी और सयाने लोग जो श्रमिको का निर्देशन कर सकते हों को ही चुना जाता है। इसलिये या तो आयु की सीमा होनी ही नहीं चाहिये या न्यूनतम आयु की सीमा 21 वर्ष होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मुथिया (तिरुनेलवली) : उपाध्यक्ष महोदय, में विधेयक का समर्थन करता हूं भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम पहिले 1926 में पारित हुआ और फिर इसका संशोधन 1960 में किया गया। यह विधेयक महत्वपूर्ण संशोधन करने के लिये है।

मूल अधिनियम के अनुसार यदि एक व्यक्ति को अनैतिक व्यवहार सहित किसी अभियोग में दण्ड दिया जाये तो वह पंजीकृत कार्मिक संघ का कार्यकर्ता नहीं बन सकेगा। यह संशोधन ऐसे व्यक्ति

को जिसे अनैतिक व्यवहार सहित किसी घोर अपराध में दण्ड दिया गया हो कार्यकर्ता नहीं बन सकता। मेरे विचार से यह संशोधन महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे कार्यकर्ता का चाहे वह उस संघ का कोषाध्यक्ष अथवा सचिव हो, का पूर्ण रूप से इनामदार और अभियोग मुक्त होना अनिवार्य है। इन संघो में चंदे एकत्र करना, चल और अचल सम्पत्तियां अर्जित करना और ऐसे दूसरे जिमेदारी वाले कामों को करने के लिये बहुत इनामदार व्यक्तियों की बहुत अवश्यकता है।

फिर भी कई बार ग़बन के मामले सुनने में आते है, इसलिये वह व्यक्ति जो धोखा, गबन, चोरी या हिंसात्मक कार्यों के लिये दण्डित किये जाते है उन्हे मज़दूर संघों में कार्यकर्ता बनने की आज्ञा नहीं होनी चाहिये। केवल वही व्यक्ति कार्यकर्ता बनाये जायें जो मलिकों के दबाव में न आयें, जो बुद्धिमान हों, जो श्रमिकों को अनावश्यक हड़ताल के लिये न उकसाये और जो जागरुक हों और कई बार यह हड़तालें निजी हितों की पूर्ति के लिये भी करायी जाती हैं जिन से उद्योग की क्षति के साथ साथ उत्पादन पर भी प्रभाव डालती है और श्रमिक तथा जनता भी प्रभावित हुये बिना नही रहती इसलिये अपना कर्तव्य समझने वाले, पवित्र रहनेवाले और श्रमिकों के हित और देश की रक्षा के लिये कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का होना और भी आवश्यकता है।

गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौट कर 1920 के आसपास अहमदाबाद में कपड़ा मज़दूरों का कार्मीक संघ चलाया था। यह एक आदर्श संघ था और इसका आधार अहिंसा पर था उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि श्रमिकों को देश, समाज और उद्योग के हितों के लिये उतना ही कर्तव्य परायण होना है जितना अपने अधिकारों के प्रति।

मैं इस संशोधन को व्यापार, उद्योग, देश और श्रमिकों के हित के लिये आवश्यक मानता हूं और इसलिये इसकी सिफारिश करता हूं।

श्री नम्बियार : मैं माननीय मंत्री जी से इस बात पर ध्यान देने की प्रार्थना करुंगा कि त्रिदलीय स्थाई मज़दूर समिति ने इसको नहीं माना है और श्री श्रीकांतन नायर ने पहले ही इस बात को विस्तार से समझा दिया है कि विधेयक में शब्द "नैतिक पतन" की कोई परिभाषा नहीं दी गई। न्यायालय को इनका अर्थ परिभाषा में बांधना होगा।

विधि शब्दकोष में इन शब्दों की परिभाषा इस प्रकार है :

"वैयक्तिक अवचार का वह अंश जिसे एक व्यक्ति अपने निजी और सामाजिक कर्तव्यों को सामान्य रूप से पूरा करता है और जो उसके इन कर्मों को नीचतपूर्ण, पतित और मान्य रीति नियमों के विपरीत बनाते है"।

कोई भी इनका अर्थ अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है। न्यायालय उस समय इन शब्दों का अर्थ निकाल कर दण्ड देता है जब दोषी उसके समक्ष लाया जाता है न कि उस समय जब वह कार्मिक संघ का कार्यकर्ता चुना जाता है। इसलिये यह कहना है कि उस समय जब न्यायाधीश उस व्यक्ति को अनैतिक पतन के लिये दण्ड देता है और इस के बाद वह कार्मिक संघ के किसी पद के लिये नहीं चुना जा सकता, यह तर्क युक्तिसंगत नहीं लगता।

उदाहरण के लिये बागान मजदूरों के कार्मिक संघ ही लीजिये। वह मज़दूर 10,000 फीट की उंचाई पर काम करते हैं वहां केवल जंगल का कानून ही चलता है और वहां काम करने वालों से सरकार या अधिकारी कैसा व्यवहार करते है यह जानना भी कठिन है। वहां किसी भी कर्मचारी पर अभियोग लगा कर उसके विरुद्ध मामला घड़ा जा सकता है और दण्डित किया जा सकता है इसलिये कहने का कोई अर्थ न होगा कि वह श्रमिक संघ का सदस्य नहीं बन सकता। यह तो इस देश के मज़दूर संघ कार्य

[श्री नम्बियार]

के विचार के विरुद्ध होगा। इससे तो यही लगता है कि सरकार मालिकों के लिये नैतिक अपराध जैसे अस्पष्ट शब्दों का सहारा ले कर सक्रिय कार्यकर्ताओं को श्रमिक संघ के कार्य करने से रोक देगी। मालिक ऐसे ही कई तरीके अपनाते है जिन के द्वारा वह जिन व्यक्तियों के न चाहें मजदूर संघों में न आने दे और इन तरीकों में यह भी शामिल है।

इस सभा के लिये "नैतिक अपराध" के प्रश्न पर कानून बनाना अनैतिक होगा जिस से बाद में बिचारे श्रमिकों को हानि पहुंचे। इसलिये मैं इस कानून को बनाये जाने का कड़ा विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने तर्क रखा है कि श्रमिकों की स्थाई समिति के विचारों पर भी विवाद है इसलिये इस विधेयक का लाना ही गलत है। मेरे विचार से इस मामले पर उन्हें फिर से विचार करना चाहिये।

राज्य सभा में भी श्री सप्रू जी ने, जो एक विख्यात वकील हैं, इस संशोधन का लाना उचित या ठीक न समझ कर इसका विरोध किया था। इसलिये यह एक नैतिक प्रश्न है।

मेरे कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने हम साम्यवादियों पर यह आरोप लगाया है कि चूंकि हम इस प्रकार के जुर्मों को प्रोत्साहित करते है इस लिये हम इस संशोधन का विरोध करते है। जब कि स्थिति यह है कि एक मालिक जी हजूरी श्रमिकों या उनकी इच्छा अनुसार चलने वाले श्रमिकों के अतिरिक्त दूसरे सभी प्रकार के श्रमिकों को यही दोष लगा कर श्रमिक दलों में नहीं आने देते। हम ऐसा नहीं चाहते। हम तो यह चाहते है कि इन संघों में व्यवहार का स्तर ऊंचा हो और यह पिस्तौल की नोक से या दूसरे दण्ड देनेवाले तरीकों से न सिखाया जाये।

कांग्रेस दल सदस्य ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय तक जा सकते है जैसे यह काम बच्चों का खेल हो। कौन नही जानता कि इसके लिये हजारो रुपये चाहिये और छोटे छोटे संघ जैसे भंगियों. निर्माण और बागान मजदूर संघ कैसे इतना रुपया खर्च करके न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

इस लिये सरकार को एसा कानून लाने की न तो कोई युक्ति न कोई कारण और न ही यह नैतिक ही है। यह कानून जल्दी में लाया गया लगता है जब और बहुत से आवश्यक मामले छोड़ दिये गये हैं। इसका निर्णय तो त्रिदलीय स्थाई समिति में ही हो जाना चाहिये था। मैं तो खुले तौर से सरकार पर धूर्त मालिकों का पक्ष लेने का अभियोग लगाता हूं जो देश में श्रमिकों के हितों को हानि पहुंचाना चाहते हैं फिर भी यह सरकार समाजवाद लाने की बात कहती है। इसलिये ऐसे विधेयक श्रमिक वर्ग का कभी समर्थन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिये अच्छा यही है कि सरकार इस विधेयक को वापिस ले ले और देश के लाखों श्रमिकों के रोष से बचे।

श्री सुब्बरामन (मदुरै) : सरकार ने यह संशोधन विधेयक श्रम संस्थाओं को सुधारने के विचार से रखा गया है। बहुत सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है जब कि कुछ ने जो अधिकतर साम्यवादी है इसका विरोध किया है। जनता के प्रतिनिधियों को इन सब बातों से ऊपर रहना चाहिये और उन्हें अनैतिक पतन के दोष से मुक्त होना चाहिये। स्थानीय निकायों में भी चुनाव के लिये सदस्यों का इस दोष से मुक्त होना आवश्यक है और मेरे विचार से संसद और विधान सभाओं के चुनाव नियमों में भी ऐसे उपबन्ध हैं और यदि नहीं तो इनका लाया जाना उचित ही है। श्रमिक संघों में बड़ी शक्ति है और जैसे जैसे देश उन्नति करेगा और बड़े बड़े उद्योग बनेंगे श्रमिक संघ भी उन्नत होंगे इसलिये श्रम का नेत्रित्व ठीक होना चाहिये और जैसा पहिले के वक्ताओं ने कहा इन संघों के कार्यकर्ताओं के आधीन बड़ी बड़ी धन राशियां होती हैं इस लिये यह व्यक्ति अपने संघ के प्रति निष्ठावान और ईमानदार हों।

सामने वाले सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह श्रम सस्थाओं और उसके नेताओं को दबाना चाहती है। एक सदस्य ने तो यहां तक कहा है कि यह तो बाध्य करने जैसा है। फिर भी यदि सरकार यह कहे कि चोरी करना या गलत राशियां भरना नहीं होना चाहिये तो इसे बाध्य करना नहीं

कहना चाहिये। एक दूसरे सदस्य ने कहा है कि यह संशोधन मालिको द्वारा रखवाये गये हैं। सरकार तो सारे देश के लिये है श्रमिकों के लिये मालिकों की अपेक्षा कुछ अधिक ही है इस लिये सरकार के मजदूर संघो के विकास के प्रति सद्भाव पर संदेह नहीं करना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति दोषी होता है तो न्यायालय बिना किसी के प्रभाव के इस पर निर्णय देते हैं और यदि इन पर हमारी आस्था ही उठ चुकी हो तो इस मामले पर बात करना ही निरर्थक है। जब तक सरकार ने श्रम के हितों की रक्षा करनी है उन्हें यह भी देखना होगा कि ठीक व्यक्ति ही इन को चलायें।

यदि कार्यकारिणी के सदस्यों और दूसरे कार्यकर्ताओं की आयु की सीमा 18 वर्ष से बढ़ा कर 21 वर्ष कर दी जाती तो अधिक अच्छा था। परन्तु श्रमिकों के मामले में यह घटायी गयी है इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कई स्थानों पर केवल कम आयु के लोग ही काम करते हैं ऐसा बहुत कम होता है। बहुत से कारखानों में केवल वयस्क श्रमिक ही काम करते है जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं। फिर भी जहां 18 वर्ष से कम आयु के लोग काम करते है वहां छोटी समितियां बनाई जा सकती है जिन में 18 वर्ष से अधिक के लोग काम करें। मैं यह भी बतादूं कि 18 वर्ष से कमवाले श्रमिक बच्चें कहलाते हैं और उन से पूरे समय का काम नहीं लिया जा सकता।

"नैतिक भ्रष्टाचार या अपराध" ये शब्द अस्पष्ट है जैसा कहा गया है और मैं मानता हूं कि इन को परिभाषा में बांधना होगा।

और भी छोटे छोटे संशोधन हैं जैसे "अधिकारी" के स्थान पर "कार्यकर्ता" और लेखा वर्ष "मार्च" से "दिसम्बर"। यह बहुत आवश्यक हैं इसलिये मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री व० ब० गांधी (बम्बई-मध्य दक्षिण) : देश में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तुत विधेयक एक सराहनीय कदम है अतः इसका सभी वर्गों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए।

विधेयक में किसी व्यक्ति को नैतिक अपराध के लिये किसी कार्मिक संघ के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने से वंचित करने की व्यवस्था की जा रही है। विधेयक में यह उपबन्ध स्थायी श्रम समिति की अनुमति से किया जा रहा है। स्थायी समिति तो यहां तक उचित समझती है कि इस अर्हता संबंधी उपबन्ध के द्वारा नैतिक अपराध के दोषियों को न केवल कार्यकारिणी के सदस्य बनने अपितु किसी कार्मिक संघ के साधारण सदस्य बनने से भी वंचित कर दिया जाये। सरकार ने इस संबंध में अधिक सख्ती से काम नहीं लिया है। यह केवल 5 वर्ष की सीमित अवधि तक ही लागू रहेगा।

कुछ माननीय सदस्यों नैतिक अपराध की परिभाषा के बारे में आपत्ति की है। हो सकता है कि विभिन्न समयों में इसकी परिभाषा भी भिन्न भिन्न हो किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी अवधि में जनता नैतिक अपराध का प्रचलित अर्थ अवश्य समझती है जो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार लगाया जाता है। हमें न्यायाधीशों की क्षमता पर अविश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सही निर्णय देने में असमर्थ हैं।

कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि इस प्रकार के उपबन्ध से कार्मिक संघ अपनी कार्यकारिणी समिति में अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार व्यक्ति नहीं रख सकेंगे। मैं अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि कार्मिक संघ के चुनावों में कर्मचारियों पर दबाव डालकर और उन्हें प्रलोभन देकर कार्यकारिणी की सदस्यता प्राप्त की जाती है। इस प्रकार के अनुचित तरीके न केवल भारत में अपितु अमरीका आदि विकसित देशों में अपनाये जाते हैं। अतः इस प्रकार की आपत्ति करना निराधार है। इस प्रकार के उपबन्ध से संदेहास्पद आचरण वाले व्यक्ति कार्मिक संघों की कार्यकारिणी के कार्यकर्ता न हो सकेंगे जो कार्मिक संघ अन्दोलन के लिये लाभदायक होगा।

Shri Sinhasan Singh (Gorakpur) : Mr. Deputy-Speaker, I fully agree with the spirit of the Bill. But I am surprised to see that the protagonists of trade unions are divided on this issue. Some hon. Members are supporting the Bill while others are opposing it.

I do not see any objection to the provision of the Bill to keep out from the trade union movement persons who have been convicted of moral turpitude and who are likely to mislead the workers. But some time-limit, say five years, should be prescribed for debarring them from becoming the office bearers of trade unions.

There is no justification for making this provision that worker who has attained the age of 18 years can only become the office bearer of a trade union where as a person has the right of franchise only when he is 21 years of age under the People's Representation Act. I, therefore, request the Government that the age limit of 21 years should also be prescribed for the purpose of this Bill.

The food situation is very grave. Therefore the workers such as dock workers, who aggravate the situation further by going on strike should be debarred from becoming the office bearers of trade unions.

The term "moral turpitude" has not been defined in the Bill. The term should not be left vague so that there may not be any room for doubt in the minds of the public.

श्र० शं० आल्वा (मंगलोर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत विधेयक का कड़ा विरोध किया है, किन्तु मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो कार्मिक संघों का हित चाहता है उसे अवश्य इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए क्यों कि कोई भी नैतिक अपराध का दोषी व्यक्ति कार्मिक संघ की कार्यकारिणी समिति का कार्यकर्ता नहीं बनना चाहिए ।

कुछ माननीय सदस्यों की यह आशंका करना गलत है कि नियोजकों द्वारा कार्मिक संघों की कार्यकारिणी के कार्यकर्त्ताओं को आसानी से दोषी ठहराया जा सकता है । आज हमारे देश कार्मिक संघ काफी सुसंगठित हो चुके हैं और वे सदैव इस बात का भरसक प्रयत्न करेंगे कि किसी व्यक्ति को झूठे साक्ष्यों के आधार पर दोषी न ठहराया जाये । न्यायालय भी मुकदमे का फैसला करने से पहले मामले पर पूरी तरह विचार करेंगे जिससे गलत निर्णय कि गुंजाइश न रहे। कुछ माननीय सदस्यों का यह आरोप भी निराधार है कि सरकार इस विधेयक के द्वारा नियोजकों को प्रोत्साहन दे रही है । कर्मचारियों और नियोजकों के बीच कोई विवाद पैदा हो जाने पर सरकार प्रायः कर्मचारियों का ही पक्ष लेती है क्योंकि वह न्याय के पक्ष में है ।

विधेयक में नैतिक अपराध की परिभाषा स्पष्ट दी गई और यह विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न हो सकती है । कार्मिक संघ का कोई कार्यकर्ता यदि अच्छे आचरण वाला नहीं है तो निश्चय ही उसे संघ के नेतृत्व करने का अधिकार नहीं होना चाहिए । बुरे आचरण वाले नेता कर्मचारियों को गुमराह करते हैं क्योंकि अभी तक भारत में श्रमिक बहुत पिछड़े हुए हैं । वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बिलकुल अनभिज्ञ हैं और नेता के कहने पर ही बिना बुरा भला सोचे कार्य करते हैं जिससे उन्हें कभी कभी भारी हानियां उठानी पड़ती हैं ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि कार्मिक संघों के कुछ कार्यकर्ताओं को वास्तविक रूप में श्रमिकों के हित में कोई रूचि नहीं होती है । वे केवल महत्वाकांक्षी होने के कारण अपना उल्लू सीधा करने के लिये कार्मिक संघों में शामिल होते हैं । इस प्रकार के लोगों को कार्मिक संघों में आने से वंचित करने के लिये यह विधेयक उपयुक्त समय पर लाया गया है ।

जहां तक कार्यकर्ताओं की आयु का संबंध है, 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को किसी कार्मिक संघका कार्यकर्ता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का आभारी हूं ।

माननीय सदस्य श्री श्रीकांतन नायर का यह कहना निराधार है कि विधेयक में जो उपबन्ध किया गया है उसको अंतिम रूप देने से पहले उस पर स्थायी श्रम समिति में विचार नहीं किया गया था । इस पर स्थायी समिति में विस्तार पूर्वक विचार किया गया था और समिति द्वारा सहमत हो जाने पर ही यह विधेयक सभा के सामने लाया गया है । सरकार ने "नैतिक अपराध" शद्धों की स्पष्ट परिभाषा करने का प्रयत्न किया है । इस मामले में हमने विधि मंत्रालय से भी सलाह ली है । मंत्रालय ने कहा है कि इन शद्धों की परिभाषा करना बहुत कठीन है । वास्तव में यद्यपि बहुत से अधिनियमों में "नैतिक अपराध" शद्धों का प्रयोग किया गया है । किन्तु किसी में इनकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है । तथापि धीरे धीरे ये शद्ध अच्छी तरह समझ में आने लगे हैं । जो लोग चोरी, डकैती, गबन, गोलमाल आदि के दोषी पाये जाते हैं वे नैतिक अपराध के दोषी माने जाते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस समय सभा में गणपूर्ति नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है । अब गणपूर्ति हैं । माननीय मंत्री भाषण जारी रखें ।

श्री संजीवय्या : श्री रंगा ने प्रश्न उठाया कि किन्ही एक या दो मज़दूर संघों को मान्यता क्यों नहीं दी जानी चाहिए । भारतीय मज़दूर सम्मेलन द्वारा 1958 में पास की गई अनुशासन संहिता के अनुसार केवल एक ही मज़दूर संघ को मान्यता दी जानी चाहिये और वह भी सदस्यता की पड़ताल के बाद तथा इस घोषणा के पश्चात् कि वह संघ प्रतिनिधि संघ है । वास्तव में कुछ स्थानों पर कठिनाईयां पैदा हुई । भूपाल हैवी इलैक्ट्रीकल्स में कठिनाईयां उठीं । परन्तु इसका कारण यह नहीं है कि अनुशासन संहिता में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं की गई है परन्तु यह कि मध्यप्रदेश में विभिन्न मज़दूर संपर्क अधिनियम विद्यमान हैं । मैं ने स्वयं देखा है कि इन अधिनियमों के कुछ उपबन्ध अनुशासन संहिता के अनुकूल नहीं हैं । इसलिये हमने मध्य प्रदेश सरकार से उसके अधिनियम में संशोधन करने के लिये कहा है जिससे कि वह समुचे भारत में लागू अनुशासन संहिता के अनुकूल हो जाये ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपूर) : आजकल क्या स्थिति है ।

श्री संजीवय्या : हमने उनको लिखा है परन्तु अभी उत्तर नहीं आया हैं । मुझे आशा है कि वहां कि सरकार इन बातों पर विचार करेगी और अपने अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेगी ।

फिर उन्होंने इंटक के भीतरी भेदभाव का जिक्र किया । मैं इससे इन्कार नहीं करता । हमारा कर्तव्य हैं कि इन भेदभावों को दूर करें और इनके कारण मजदूर संघ आंदोलन को हानि न होने दें ।

श्री अ० प्र० शर्मा ने कहा कि अवांछनीय का मज़दूर संघ आन्दोलनों से कोई संबंध नहीं होना चाहिये । वास्तव में जैसा कि मैं ने पहले बताया कि स्थायी श्रम समिति यह चाहती थी कि ऐसे व्यक्ति यों के मज़दूर संघ में साधारण सदस्य बनने पर भी रोक लगा देनी चाहिये, परन्तु सरकार ने इस पर कुछ विचार करने के बाद इतना ही कर देना काफी समझा कि उनके पदधारक तथा कार्यकारी समिति के सदस्य बनने पर रोक लगा देनी चाहिये ।

श्री० साजू पाण्डेय ने विधेयक का सामान्य रूप से समर्थन किया ।

[डा० मा० श्री० अणे]

श्री० यशपाल सिंह ने कहा कि परी वर्ष जातीय पद्धति के अनुसार होना चाहिये। मुझे इसमें संदेह नहीं कि श्रम विभाग माननीय सदस्य के इस सुझाव पर विचार करेगा। फिर श्री० यशपाल ने नैतिक पतन की स्पष्ट परिभाषा मांगी जिसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ। श्री ओझा ने एक संशोधन रखा हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि किसी मज़दूर संघ संघगठन के सदस्य को संगठन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है इस आरोप पर कि उसने कुछ गबन किया है तो उसे आगे के लिये सदस्य नहीं रहने देना चाहिए। यदि किसी संघ अथवा संगठन को उसके ऐसे सदस्य की कार्य वाहियों का पता चल जाता है तो वह निश्चय ही इस बात का ख्याल रखेगी कि वह सदस्य फिर से निर्वाचित नहो।

डा० मा० श्री० अणे : क्या आप भी श्री० ओझा के संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री संजीवय्या : जी, नहीं। अब मैं श्री दीनेन भट्टाचार्य की बात को लेता हूँ। मज़दूरों के प्रति ऐसा कोई द्वेष नहीं हैं। श्रम मंत्रालय को मज़दूरों और नियोजकों के बीच एक प्रकार का संतुलन बनाये रखना पड़ता है। जो भी गलती पर हो हम उसे उसकी गलती बताते हैं। औद्योगिक शांति के बिना देश का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। उन्होंने श्री श्रीकांतन नायर का फिर समर्थन किया कि इस पर चर्चा नहीं की गई थी। इस पर चर्चा की गई थी और स्थायी श्रम समिति द्वारा निर्णय किया गया था। श्री मछवाय ने भी परी वर्ष में परिवर्तन का उल्लेख किया जिसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। उन्हों ने यमुनानगर की घटना का जिक्र किया। यह प्रश्न राज्य सरकार के क्षेत्र में हैं। ऐसे मामले में हम राज्य सरकार को केवल सलाह दे सकते हैं, यदि उसकी आवश्यकता हो तो।

श्री हेडा ने कहा कि कुछ मज़दूर संघों के नेता हिंसात्मक कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ। उन्हों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को केवल दोषी सिद्ध ठहराना ही काफी नहीं हैं अपितु 6 मास या 1 वर्ष की जेल ठरने पर विचार किया जाना चाहिये। हम ने इस प्रश्न पर गहरा विचार किया और इस परिणाम पर पहूँचे कि नैतिक पतन के मामले में दण्ड चाहे 1 दिन का है चाहे 6 मास का इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। नैतिक पतन तो नैतिक पतन है और इस लिये उसपर रोक लगा देनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : और मंत्रियों के बारे में ?

श्री संजीवय्या : माननीय गृह-कार्य मंत्री ने एक नई आचार संहिता का प्रस्ताव रखा है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : वह तो संहिता है; विधि नहीं है।

श्री संजीवय्या : श्री सर्राफ ने यह दिखाने के लिये उदाहरण दिया कि मज़दूरों को किस प्रकार बेकार में उत्पीड़ित किया जाता है। उनके विरुद्ध चोरी के आरोप लगाये जाते थे। केवल आरोप लगाने से मामले का फैसला नहीं हो जायेगा। मामला न्यायालय में ले जाया जाना होता है और गवाहिया पेश करनी पड़ती हैं। कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती जब तक कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। यदि कोई संदेह भी होगा तो इसका लाभ आभियात को मिलेगा। न्यायालय निश्चय ही इंसाफ करेंगे और हमें न्यायिक निष्पन्न पर बड़ा भरोसा है।

श्री नम्बियार ने कहा कि इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये। उनके विचार में सरकार मज़दूर श्रेणि के विरुद्ध है और पूंजिपतियों के बड़े पक्ष में है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यदि सरकार बीमे का राष्ट्रीयकरण कर सकती है, सम्पत्ती कर लगा सकती है, व्यय कर लगा सकती है, मृत्यु शुल्क लगा सकती है, जमीदारी समाप्त कर सकती है तो कोई यह कैसे कह सकता है कि यह सरकार समाज वाद स्थापित करने के योग्य नही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि 18 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ा देना चाहिये। वास्तव में हम ने इस खण्ड को मूल अधिनियम से ज्यों का त्यों उठा कर रख दिया है। अन्य अधिनियम भी है जिनमें 18 वर्ष को आयु व्यस्कता के लिये रखी गई है। इसको ध्यान में रख कर हमने इसमें परिवर्तन नहीं किया है।

मैं नही समझता कि अब किन्ही और बातों का उत्तर देना बाकी रह गया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य विधेयक के विभिन्न खण्डों का समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 1926 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

प्रश्न यह है कि :

"खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

खंड 5

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओझा (सुरेंद्रनगर) : मै संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बीयार (तिरुचिरापल्लि) : मंत्री जी ने स्थायी श्रम समिति की कार्यकारी का जानबूझ गलत उद्धरण दिया है। श्रम मंत्रालय के 2 जनवरी 1964 के परिपत्र में यह दिया गया है कि "नतिक भ्रष्टाचार" की स्पष्ट परिभाषा देने का सुझाव समिति ने दिया था।

श्री संजीवय्या : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। माननीय सदस्य उस समय यहां नहीं थे।

श्री नम्बियार : इसके उत्तर देने का प्रश्न नहीं है। त्रिपक्षीय निकाय ने यह निर्णय किया था कि यदि नैतिक भ्रष्टाचार की स्पष्ट परिभाषा दी जाये तब वह उसपर सहमत होगा। यह कहना वह समिति स्पष्ट परिभाषा के दिये बिना सहमत हो गई थी उस समिति के इच्छाओं के विरुद्ध होगा। मंत्री कहते हैं कि उनको परिभाषा नहीं मिल सकी इसलिये वह उसे विधेयक में नहीं ला सके। उन्होंने तर्क दिया है कि नैतिक भ्रष्टाचार अन्य अधिनियमों में भी ढीले रूप से माना गया है। इस में अन्तर है। वहां पर निदेशकों के बोर्ड की अर्हताओं के लिये नैतिक भ्रष्टाचार रखा गया है जब कि यहां पर यदि उसके विरुद्ध नैतिक भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाता है तो वह कम से कम 5 वर्ष तक मजदूर संघ का अधिकारी नहीं बन सकता। 5 वर्ष के पश्चात् उसके विरुद्ध अन्य मामला लाया जा सकता है और जेल में बन्द किया जा सकता है। इसलिये इस विधेयक में नैतिक भ्रष्टाचार शब्दों का बड़ा महत्व है। कुछ ही रोज़ हुए खाद्य नियम विधेयक के "केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में नैतिक भ्रष्टाचार" पर

[श्री नम्बियार]

आपत्ति उठाई गई थी और सुझाव दिया गया था कि केवल "नैतिक भ्रष्टाचार" शब्द ही काफी होंगे। इस पर तर्क दिया गया था कि हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के दिनों में हम से बहुतसों को नैतिक भ्रष्टाचार के आरोप पर दण्ड दिया गया होगा। इसलिये उन सभी व्यक्तियों के निगम के निदेशक बनने पर पूरी रोक लगाना गलत है। ऐसे महत्वपूर्ण मामले में जहां कि करोड़ों रुपयों का व्यापार किया जायेगा वह "केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में" शब्दों को लाना चाहते हैं। परन्तु मज़दूर संघों के मामले में उस अर्हता को भी नहीं रखा गया है। यह उचित नहीं है। सरकार का कोई एक सिद्धांत अथवा नीति नहीं है। जब मज़दूरों का प्रश्न होता है तो सरकार अपनी नीति अथवा सिद्धांत बदल लेती है। ऐसी नीति के साथ हम समाजवाद प्राप्त नहीं कर सकते। आखिर यह समाजवाद किसके लिये है? क्या टाटा और बिड़ला के लिये? यह आम आदमी मज़दूर और किसान के लिये है। यदि उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार को ही समाजवाद कहते हों तो यह समाजवाद नहीं है।

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर): क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि नैतिक भ्रष्टाचार के अपराध जिन व्यक्तियों के विरुद्ध सिद्ध हो गये हों उन्हें पदधारक के रूप में पदोन्नत कर दिया जाये?

श्री नम्बियार : मैं ऐसा नहीं कहता। मैं केवल इतना कहता हूं कि मन्त्रियों और निदेशकों तथा मज़दूर संघों के लिये अलग अलग नियम नहीं होने चाहिये।

श्री संजीवय्या : यह सच नहीं है।

श्री ओझा : मैं ने जो संशोधन रखा है उसके विरुद्ध चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है मैं उसकी सराहना नहीं कर सकता। हमारे देश में मज़दूर संघ उचित ढंग से प्रशिक्षित नहीं हैं; वे अपने अधिकारियों के प्रति सतर्क नहीं हैं। हमें उनकी रक्षा करनी है और नियोजकों द्वारा शोषण से उनको बचाना है। कुछ अवांछनीय नेताओं की कार्यवाहियों से हमें मज़दूरों की रक्षा करनी है। नैतिक भ्रष्टाचार का आरोप गढ़ना कोई सरल काम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : नैतिक भ्रष्टाचार क्या है?

श्री ओझा : आप किसी भी न्यायालय में चले जाये नैतिक भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है इसपर सब न्यायालयों का एक ही निर्णय होगा। जिन सदस्यों को इसपर कोई शंका है वह गलत धारणा में रहते हैं।

हां, तो मैं कह रहा था कि इस संशोधन को बेईमान मज़दूर संघियों से कर्मचारियों की रक्षा करने के लिये रखा गया है। जैसा कि मैं ने बताया 50 प्रतिशत मज़दूर संघें अपने मामलों का विवरण मज़दूर संघ रजिस्ट्रार को नही देती हैं। मज़दूर संघों द्वारा 1 करोड़ 46 लाख रुपया इकट्ठा किया जाता है। हमें इस धन की रक्षा करनी है।

मेरे विचार में यदि मज़दूर संघ में रजिस्ट्रार को ही यह शक्ति दे दी जाय की मज़दूर संघ के जिस अधिकारी ने रुपये पैसे की हेरा फेरी की है वह उसे हटा दे तो अधिक अच्छा होगा। परन्तु चूंकि मेरे संशोधन की भाषा ठीक नहीं है, इसलिये मैं इसपर अधिक ज़ोर नहीं दे सकता।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभानी) : मुझे श्री नम्बियार द्वारा उठाये गये प्रश्न पर कुछ कहना है। नैतिक भ्रष्टाचार का प्रश्न विभिन्न अन्य अधिनियमों में भी उठाया जा चुका है। मैं श्री ओझा की बात से सहमत हूं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि प्रत्येक दांडिक दोषसिद्धि को जिसमें कि दण्ड की घोषणा की गई है, नैतिक भ्रष्टाचार माना जायेगा। परंतु जहां पर नैतिक भ्रष्टाचार का जाल इतना बड़ा हो वहांपर उचित ही है कि इसकी परिभाषा दी जानी चाहिये। मैं मानता हूं कि यह कार्य कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। यदि हम कर्मचारियों और नियोजन के साथ न्याय करना चाहते हैं तो हमें इसकी परिभाषा देनी ही चाहिये।

श्री संजीवय्या : मुझे श्री नम्बियार द्वारा मुझपर लगाये गये आरोप को खंडन करना है। स्थायीश्रम समिति का निर्णय वहीं है जो मैंनें बताया है। अलबत्ता यह सुझाव दिया गया है की "नैतिक भ्रष्टाचार" की परिभाषा दी जानी चाहिये। हमने नैतिक भ्रष्टाचार की परिभाषा देने का भरसक प्रयत्न किया है। हमने विधीविभाग से परामर्श किया था, परन्तु वह इसकी परिभाषा नहीं दे सका। अनेक अधिनियम हैं जिनमें नैतिक भ्रष्टाचार शब्दों को इनकी परिभाषा के बिना ही प्रयोग किया गया है। फिर न्यायिक क्षेत्रमें लोग भली भांती जानते है कि इसका क्या अर्थ है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 1 and 2 were put and negatived.

संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 3 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 5 विधेयक का भाग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill.

खंड 1, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, enacting formula and title were added to the Bill.

श्री संजीवय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दीनेंन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : यह बड़े खेद की बात है कि श्रम मंत्री मज़दूरों के कानून को पेश कर रहेहैं और कहते हैं कि सरकार को पता नहीं कि नैतिक भ्रष्टाचार क्या है। मैं इस नतीजे पर पहूंचा हूं कि मंत्री मज़दूर संघियों को कुछ अधिकारियों के रहमोकरम पर रखना चाहते हैं। मान लीजिये किसी मज़दूर संघी को एक गढे हुए मामले में एक दिन का दण्ड मिलता है। मेरे माननीय मित्र श्री प्रिय गुप्त को हीं ले लीजिये। कोई भी रेलवे अधिकारी यह कह सकते है कि आपको उक्त अपराध में दण्ड मिला था इसलिये आप मज़दूर संघी के रूप में काम नहीं कर सकते। फिर श्री प्रिय गुप्त की मज़दूर संघ संबंधी कार्यवाहियों का क्या बनेगा ? उन्हें स्थायी श्रम समिति के निर्णय की सच्ची भावना पर विधान बनाना चाहिये।

कारखाना अधिनियम में आयु सीमा 15 वर्ष रखी गई है। बीड़ी उद्योग आदि में 15-17 वर्ष की आयु के व्यक्ति काम करते हैं। इस लिये क्या सरकार प्रस्तावित विधान में आयु सीमा बढ़ाकर उन्हें

[श्री दिनेन भट्टाचार्य]

मजदूर संघ संबंधी कार्यों से दूर रखना चाहती है ? मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है । इस लिये मेरा निवेदन है कि उन्हें अपने निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिये और एक ऐसा विधान लाना चाहिये जो सभी उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों पर लागू हो सके ।

श्री संजीवय्या : संशोधन अस्वीकार कर दिया गया है और खण्ड को स्वीकार किया जा चुका है ।

श्री काशीनाथ पांडे : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मजदूर संघ तभी पनप सकते हैं जब ईमानदार व्यक्ति उनके पदाधिकारी चुने जाये क्योंकि उनके पास मजदूर संघों की लाखों रुपये की राशि का लेखा जोखा रहता है । मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वह इन खण्ड का दुरुपयोग न होने दें और इस संबंध में कुछ रोकथाम की जानी चाहिये ।

श्री श्रीकान्तन नायर : भविष्य में त्रिपक्षीय निकाय कोई निर्णय नही कर सकेंगे । मंत्री महोदय के रवैये से यही परिणाम निकलता है ।

श्री संजीवय्या : मैं क्या कर सकता हूं ? मैने उसे शब्दशः उद्धृत कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल) १९६४–६५

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA) 1964-65

वर्ष 1964-65 के लिये केरल राज्य के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
10	जिला प्रशासन तथा विविध . . .	100
13	पुलिस . .	100
16	विश्वविद्यालय शिक्षा . . .	100
17	सामान्य शिक्षा . . .	2,00,000
19	चिकित्सा . . .	100
20	लोकस्वास्थ्य	5,00,100

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
27	उद्योग .	5,00,000
29	श्रम और रोजगार	100
31	आंकड़े तथा विविध	74,000
45	सहकारी समितियों तथा औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	12,50,100
47	लोक-निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	5,000
55	सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन .	100
16	विश्वविद्यालय शिक्षा . .	100
17	सामान्य शिक्षा .	200
25	पशु पालन .	6,88,000
33	लोकनिर्माण कार्य . . .	100
47	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	200
48	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	100
55	सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन . . .	2,50,000

केरल राज्य की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय	राशि
				रुपये
16	1	श्री यशपाल सिंह .	प्रस्तावित कालेज के अध्यापकों के वेतनक्रम	1
47	7	श्री यशपाल सिंह	जापानी कृषि प्रदर्शन फार्म के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता ।	100
47	8	श्री कोया	परप्पानानगडी तथा क्वीलाण्डी में समुद्र कटाव विरोधी कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता ।	100
55	9	श्री यशपाल सिंह .	बर्मा से निष्कासित व्यक्तियों को अधिक ऋण देने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय	राशि
				रुपये
55	10	श्री कोया .	बर्मा से निष्कासित व्यक्तियों को 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति ऋण देने की आवश्यकता।	100
55	11	श्री कोया .	बर्मा से निष्कासित व्यक्तियों के लिये अलग विभाग खोलने की आवश्यकता।	100
55	12	श्री कोया .	बर्मा से निष्कासित व्यक्तियों को बिना विलम्ब राहत पहुँचाने की आवश्यकता।	100
55	13	श्री कोया .	बर्मा से निष्कासित व्यक्तियों को सस्ते मूल्य वाली दुकानें देने की आवश्यकता।	100
16	14	श्री नम्बियार	कला तथा विज्ञान कालेज, कालीकट में मेरीन तथा फिशरीस टेक्नोलोजी पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता।	1
17	15	श्री नम्बियार	केरल के स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण अध्यापन स्तर में गिरावट।	100
25	16	श्री नम्बियार	ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मुर्गी पालन फार्मों को सहायता देने की आवश्यकता।	100
47	18	श्री नम्बियार	केरल तट पर समुद्र कटाव विरोधी उपायों की कमी।	100

उपाध्यक्ष महोदय : उक्त मांग तथा कटौती प्रस्ताव सभा के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

श्री अच्युतन (मावे लिक्करा) : केरल के किसानों ने अधिक उत्पादन करने में कभी कोई कसर नहीं उठा रखी है। भारत में प्रति एकड़ उपज सब से अधिक केरल में ही होती है। सघन खेती में बाधा इस कारण आई है कि रासायनिक खाद समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं की जा सकी।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए]

[Shri Khadilkar in the Chair]

जापानी कृषि प्रदर्शन फार्मों संबंधी वर्तमान उपबन्ध सराहनीय है। यदि यह प्रदर्शन सफल सिद्ध हुआ तो निश्चय ही केरल के किसान जापानी तरीकों को प्रयोग में लाने के लिये प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार उत्पादन बढ़ेगा।

यह सर्व विदित तथ्य है की उत्तर कोचिन पत्तन से क्विलोन के निकट निन्दाकेरा तक समुद्र तट सर्दी के मौसम में समुद्र के पानी से कट जाता है। गत कुछ वर्षों में समुद्री दीवार के रूप में समुद्री कटाव विरोधी कुछ कार्य शुरू किया गया था। इस वर्ष भी एर्नाकुलम् जिले में नरक्कल तथा एल्लप्पी जिले में

थोट्टापल्ली में समुद्री जल से भूमि का कटाव हुआ। चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिये अनुमानतः 5 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जायेगी। अनुपूरक मांग केवल 100 रुपये के लिये है और शेष राशि अनुदान से बची राशि से पूरी की जायेगी। मेरा निवेदन है कि इस काम को बीच में नहीं छोड़ा जाना चाहिये और आगामी वर्षा ऋतु से पहले इसे पूरा कर दिया जाना चाहिये।

श्री प० कुन्दन (पालघाट) : राष्ट्रपति का शासन लागू होने के पश्चात् केरल के लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। मुझे आशा है कि सरकार मेरे कटौती प्रस्तावों में उठाए गये विषयों पर उचित ध्यान देगी। हाल के कुछ वर्षों में राज्य का प्रशासनिक व्यय काफी बढ़ गया है परन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन अब भी बहुत कम है। महंगाई के कारण जीवन स्तर काफी महंगा हो गया है। 27 नवम्बर को केरल के 11/2 लाख नॉनगॅजेटेट कर्मचारियों ने एक दिन की भूख हड़ताल की थी। उनकी मांग है कि महंगाई भत्ते में 25 रुपये की वृद्धि की जाये और उचित आधार पर उनके वेतन निर्धारित करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की जाये। वे चाहते हैं कि आन्तरिक उपाय के रूप में उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाये। यह खेद की बात है कि इस समय निम्नतम वेतन पाने वाला कर्मचारी केवल 79 रु० प्रति मास वेतन पाता है। सरकार को इस मामले में और अधिक देर नहीं करनी चाहिये, अन्यथा वे लोग हड़ताल करने के लिये मजबूर हो जायेंगे।

हालांकि केरल में साक्षरता अन्य भागों से अधिक है, परन्तु वहां पर खतरनाक प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं जो शिक्षा के उद्देश्य को ही खतरा बनी हुई है। वहां पर शिक्षा प्रणाली व्यापारिक ढंग से चलाई जा रही है। कोई भी अध्यापक स्कूल प्रबन्धक को घूस दिये बिना नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके अतिरिक्त कई स्थानों पर अध्यापकों की कमी है। हाल में समाचार पत्रों में यह निकला था कि कालीकट मैडिकल कालेज में अध्यापकों की कमी है। होस्टलों की हालत भी खराब है। सरकारी स्कूलों की इमारतें भी शोचनीय दशा में हैं। ओट्टापलम तालुक में वालापुर्झा अप्पर प्राइमरी स्कूल को इसी कारण से बन्द कर दिया गया है। फिर भी, सरकार इन सब शिकायतों की उपेक्षा करती रही है।

अध्यापकों के वेतन बहुत ही कम है। अभी हाल में केरल के अध्यापकों ने अपनी मांग को मनवाने के लिये हड़ताल की थी। सरकार को उनके वेतन में वृद्धि करनी चाहिये तथा उनकी अन्य शिकायतों को भी तुरन्त दूर करना चाहिये।

केरल में मत्स्यपालन उद्योग का विकास बहुत आसानी से किया जा सकता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि यह हमारे लिये काफी विदेशी मुद्रा उपलब्ध कर सकता है। कालीकट के कला तथा विज्ञान कालेज में समुद्री ज्ञान तथा मत्स्यपालन टेक्नोलोजी पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जानी चाहिये। थावानूर ग्रामीण संस्था को भी ऐसा पाठ्यक्रम चालू करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री नटराज पिल्ले (त्रिवेन्द्रम) : केरल राज्य में शिक्षा के लिये निर्धारित राशि का 90 प्रतिशत भाग सामान्य शिक्षा पर व्यय किया जाता है और केवल 10 प्रतिशत तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा पर खर्च किया जाता है। यही कारण है कि वहां पर सामान्य शिक्षा का बाहुल्य है और तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से वह काफी पिछड़ा हुआ है। देश में औद्योगिकरण का कार्य प्रगति पर है। इसलिये सरकार को वहां पर तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिये। कालीकट में एक कला तथा विज्ञान कालेज खोलने की बजाय यदि सरकार एक व्यावसायिक कालेज खोलने का निश्चय करती तो अच्छा होता।

मांग संख्या 14 के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा के लिये 100, 100 रुपये के दो सांकेतिक अनुदानों की मांग की गई है। उनमें से एक सेकेन्डरी स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के स्तर में सुधार करने के बारे में है। केरल में तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961–62 में हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों तथा हाई

[श्री नटराज पिल्ले]

स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में बदलने के लिये धनराशि निर्धारित की गई थी। तीसरी योजना में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिये 140 लाख रुपये रखे गये थे। योजना के प्रथम वर्ष में 70 स्कूलों में से केवल 10 स्कूलों को परिवर्तित किया गया। इस पर राज्य सरकार को लगभग 10 लाख रुपये खर्च करने पड़े। परन्तु 1963—64 में विज्ञान शिक्षा के स्तर में सुधार संबंधी यह नई योजना शुरू की जा रही है। शिक्षा प्रणाली में बार बार परिवर्तन करना बुद्धिमत्ता नहीं है। किसी योजना को एक विशेष अवधि तक लागू करके ही उसके परिणामों का सही अन्दाजा लगाया जा सकता है। यह खेद की बात है कि केरल में प्रशासन में परिवर्तन होने के कारण प्रत्येक वर्ष नई योजनाएं बनाई गईं।

बहु प्रयोजनीय स्कूलों की स्थापना के लिये काफी राशि के उपकरण खरीदे गये और उन्हें प्रयोग में नहीं लाया गया। नई योजना के अन्तर्गत जो धन रखा गया है वह केवल 112 स्कूलों के लिये उपकरण खरीदने के लिये पर्याप्त होगा। इसका अर्थ है कि केरल के 966 माध्यमिक स्कूलों के लिये उपकरण खरीदने में आठ वर्ष और लगेंगे। इससे यह उलझन उत्पन्न हो जायेगी कि कुछ स्कूलों के बच्चों को लाभ होगा जबकि अन्य स्कूलों के बच्चे पीछे रह जायेंगे। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति के शासन के दौरान यह योजना हाथ में न ली जाये और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन का काम राज्य विधान मण्डल पर छोड़ दिया जाये।

'पशुपालन' शीर्ष के अन्तर्गत जिन योजनाओं के लिये अनुपूरक राशि मांगी जा रही है वे आय व्ययक के बाद की घटनाएं नहीं हैं अपितु उन्हें पहले ही तीसरी योजना में सम्मिलित किया जा चुका था। ऐसी त्रुटियां राष्ट्रपति के शासनकाल में नहीं होनी चाहियें।

फिर भी यह प्रसन्नता का विषय है कि केरल में कृषि उपज बढ़ाने के लिये जापानी कृषी प्रदर्शन फर्म स्थापित किया जा रहा है। केरल में गत तीन महीनों से खाद्यान्न की बहुत अधिक कमी रही है। वहां पर जो राशन दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है और वर्तमान स्टाक से यह राशन भी पूरा नहीं किया जा सकता। आगामी दो महीने कमी के महीने हैं और हम वहां के लोगोंको मालगाड़ियों के रहम पर नहीं छोड़ सकते। इसका एकमात्र हल पर्याप्त मात्रा में अनाज का स्टाक जमा करना है। केरल की बन्दरगाहों पर आयातित अनाज के कुछ जहाज भेज कर यह स्टाक आसानी से जमा किया जा सकता है।

पिछले 8 अक्तूबर को दक्षिण क्षेत्र में अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य को लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। राज्यों की सीमाओं से लगते हुए क्षेत्रों में एक राज्य के लोगों की दूसरे राज्य की सीमा में भूमि होती है और वे इस प्रतिबन्ध के कारण अपनी उपज नहीं ला सकते हैं। ऐसे मामलों में उन्हें अपनी उपज को लाने की छूट होनी चाहिये।

राज्य की उपज को राज्य से बाहर ले जाने पर लगाया जा रहा है। उदाहरणार्थ, मुझे अपनी भूमि की उपज का पूरा उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मैं उस उपज को अपने प्रयोग के लिये राज्य से बाहर नहीं ले जा सकता हूं। यद्यपि भारत सरकार द्वारा 8 अक्टूबर को जारी किये गये आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अपने घरेलू प्रयोग के लिये राज्य से बाहर धान ले जाने के लिये अनुमति दी जानी चाहिए किन्तु जिला अधिकारी, जिन्हें अनुमति देने का अधिकार दिया गया है; अनुमति नहीं देते हैं। सरकार को इस मामले की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : केरल राज्य में स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। सरकार द्वारा अनेक आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी राज्य में खाद्य स्थिति पहले की भांति गंभीर बनी हुई है। मैं सभा की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि वहां पर जो खाद्यान्न भेजे जा रहे हैं वह राज्य की

आवश्यकता से 10--15 प्रतिशत कम पड़ जाते है जबकि आवश्यकता का आकलन शहरों के लिये 6 औंस प्रति व्यक्ति प्रति दिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 3 औंस प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगाया गया है। राज्य में लगभग कुल 500 राशन की दुकानों में से 84 दुकानों पर राशन उपलब्ध नहीं है। सरकार जनता को भुलावा देकर धोखा दे रही है। जनता के सामने स्थिति का गलत चित्र प्रस्तुत किया जाता है। किन्तु वास्तविकता कुछ और ही होती है। सरकार यदि वास्तव में राज्य में खाद्य संकट को दूर करना चाहती है तो उसे वहां कम से कम 1,20,000 टन चावल का अतिरिक्त भंडार बनाना चाहिए। यह चावल निर्धारित राशन की मात्रा के हिसाब से एक महीने के लिये काफी होगा।

यह दुर्भाग्य की बात है कि केरल में प्रशासन प्रभावहीन हो गया है। राज्य में किसी प्रकार की प्रगति अथवा विकास नहीं हो रहा है और नागरिक जीवन में एक प्रकार का आवरोध सा पैदा हो गया है। कुछ लोग जो कभी राष्ट्रपति का शासन लागू होने के स्वप्न देखते थे, वे आज इस शासन से तंग आ गये है और इसके शीघ्र समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ समाचारों के अनुसार सरकारी प्रवक्ताओं ने कहा है कि सरकार केरल में आगामी चुनाव स्थगित करने का विचार कर रही है। यदि राज्य में राष्ट्रपति का शासन और अधिक समय तक लागू रहा और चुनाव स्थगित कर दिये गये तो वहां पर अनेक संकट पैदा हो जायेंगे जिन्हें दूर करना असंभव हो जायेगा। राज्य के सभी प्रमुख तथा उत्तरदायी व्यक्ति राज्य में वर्तमान व्यवस्था से तंग आ गये है और शीघ्र चुनाव कराने के पक्ष में हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे यथाशीघ्र जनता के दुःखों को दूर करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिएं।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : प्रस्तुत मांगे जिन मदों के लिये मांगी जा रही हैं वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि इन मांगों पर व्यापक रुप में चर्चा की जानी चाहिए थी किन्तु समय की कमी होने के कारण हमें संक्षेप में ही अपने विचार व्यक्त करने पड़ रहे हैं। इस समय जब कि केरल राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू है, संसद् को जो कि राज्य विधान सभा का कार्य कर रही है, बजट संबंधी उपबंधों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसा तभी किया जा सकता है जब विधान संबंधी विशेष सलाहकार समिति के क्षेत्र तथा कार्यों का विस्तार करके इसी प्रकार की एक या एक से अधिक समितियां बनाई जायें। ये समितियां मांगों पर विस्तार पूर्वक विचार कर सकती हैं। जिससे किसी प्रकार त्रुटि की गुंजाइश नहीं रहेगी।

यह सराहनीय बात है कि कोचीन में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया है। आशा है इस कारखाने में 1965 तक उत्पादन कार्य आरंभ हो जायेगा। सरकार को यह बताना चाहिए कि यह सुनिश्चित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है कि कारखाना चालू होने के बाद बिजली की कमी के कारण कारखाने के उत्पादन कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। यह सर्वविदित है कि यद्यपि केरल में काफी पैमाने में जलविद्युत पैदा की जा सकती है किन्तु वहां सदैव ही बिजली का अभाव रहा है। यदि सरकार पहले ही पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से बिजली के संभरण की व्यवस्था करने के लिये उचित कदम नहीं उठायेंगी तो कारखाने को सदा बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि राज्य के औद्योगिक विकास पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कारखाने की बिजली संबंधी आवश्यकता लगभग 8 मेगावाट तक होगी। सरकार सभा को बताये कि क्या कारखाने के साथ साथ कोई बिजली पैदा करने का कारखाना भी स्थापित करने का विचार किया जा रहा है ताकि कारखाने को अपेक्षित मात्रा में बिजली नियमितरूप से मिलती रहे।

अब मैं औद्योगिक वस्तियों के लिये मांगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस समय केरल में बहुत सी औद्योगिक वस्तियां हैं जिनमें आशा के अनुकूल उत्पादन कार्य नहीं हो रहा है और उनकी

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

दशा अत्यन्त शोचनीय है। वहां पर कीमती मशीने बेकार पड़ी हुई है। उनको किसी भी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। इन बस्तियों के लिये जिस प्रकार की योजना बनाई गई थी उसके अनुसार वहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नहीं चल रहे हैं। सरकार को इन बस्तियों की ओर ध्यान देना चाहिए और उनके कार्य संचालन का पुनरीक्षण करना चाहिए ताकि केरल में अपेक्षित औद्योगिक विकास हो सके।

राज्य की खाद्य संबंधी आवश्यकता को पूरी करने कृषि उत्पादन में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है। सरकार को प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये यथाशीघ्र उचित कार्यवाही करनी चाहिए। जब तक राज्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक खाद्यान्नों के कमी को अन्य राज्यों से अथवा अन्य देशों से आयात करके पूरा किया जाना चाहिए। राज्य में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों के रक्षित भंडार होने चाहिए। खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिए और समाज विरोधी तत्वों का दमन किया जाना चाहिए जिससे व्यापारी खाद्यान्नों का बनावटी कमी करके अनुचित लाभ न कमा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कोया (कोजीकोड) : यह खेद की बात है कि बर्मा में अपनी सम्पत्ति छोड़ कर आने वाले भारतीय शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या बहुत मन्द गति से हल की जा रही है जब कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की समस्या बड़ी तेजी से हल की जा रही है। प्रशासन की लालफीताशाही के कारण इन लोगों को, जो दरिद्रता की दशा में भारत पहुंचे हैं, कुछ नहीं दिया गया है। कुछ लोग जो बर्मा में व्यापारी थे उन्हें व्यापार चलाने के लिये केवल ढाई सौ रुपये दिये जा रहे हैं। इतनी छोटी राशि से व्यापार आरंभ करना कठिन ही नहीं असंभव है।

सरकार को चाहिए कि वह बर्मा से आने वाले लोगों को उनकी सम्पत्ति के अनुसार जो वे बर्मा में छोड़ आये हैं, प्रति कर देने के प्रश्न पर बर्मा सरकार से दृढ़तापूर्वक बात चीत करे। इस मामले में बर्मा में भारतीय राजदूतावास को प्रभावीरूप से कार्य करना चाहिए ताकि इन शरणार्थियों की कई समस्या हल हो सकें। इस समय बर्मा सरकार उनकी सम्पत्तियों का कौड़ियों के भाव प्रतिकर दे रही है।

बर्मा से आने वाले अधिकतर लोग छोटे व्यापारी हैं। यदि सरकार इन लोगोंको सहकारी समितियों में काम पर लगाये या उचित मूल्य वाली दुकानों के लाइसेंस दे तो उनमें से सैकड़ों लोगों को काम दिया जा सकता है और काफी सीमा तक उनके पुनर्वास की समस्या हल हो सकती है।

बर्मा से आने वाले सभी शरणार्थियों का पंजीकरण किया जाना चाहिए जिससे उनकी संख्या के बारे में सही जानकारी हो सके। यदि सरकार चाहती है कि शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य तेजी के साथ हो तो उसे इस प्रयोजन के लिए एक पृथक भाग स्थापित करना चाहिए।

यह सराहनीय बात है सरकार ने शरणार्थियों के बच्चे की शिक्षा के लिये राशि मंजूर की है। सरकार बताये कि क्या उन्हें हाई स्कूल तक की शिक्षा के लिये सहायता दी जायेगी अथवा कालेज की शिक्षा के लिये भी यह सहायता दी जायेगी।

जापानी ढंग से खेती करने के लिये अनुदान की मांग की गई हैं। मैं समझता हूं कि खेती के वर्तमान तरीकों को उचित रूप से अपनाया जाये और खेती में अधिक परिश्रम किया जाये तो उपज काफी बढ़ सकती है।

केरल में नारियल, काजू आदि बहुत सी नकदी वाली फसलें पैदा होती है जिनसे पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जो देश की वर्तमान प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकता को देखते हुए अत्यन्त आवश्यक है। अतः भारत सरकार का यह प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि केरल की जनता के लिये पर्याप्त मात्रा में अनाज की व्यवस्था करे। राज्य में इस प्रकार की गंभीर स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार को पर्याप्त मात्रा में अनाज का आयात करके राज्य की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए।

यह खेद की बात है कि सरकार केरल की जनता को आम की गुठली आदि भोजन के रूप में प्रयोग करने के लिये कहती है। आज केरल में बढ़िया किस्म का चावल कहीं भी नहीं मिलता है तथा चावल के भाव बहुत अधिक है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल की जनता के लिये कमसे कम 12 औंस चावल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उचित मूल्य पर उपलब्ध किया जाना चाहिए। लोगों को जो चावल दिया वह बढ़िया किस्म का होना चाहिए। राज्य में चावलों का आयात करके एक रक्षित भंडार बनाया जाना चाहिए।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : प्राप्त समाचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार केरल में मध्यवर्ती चुनावों को स्थगित करना चाहती है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह केरल में राष्ट्रपति का शासन और दो वर्षों के लिये लागू रखना चाहती है या आगामी फरवरी-मार्च में चुनाव करा रही है। सरकार ने सभा के सामने वचन दिया था कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव स्थगित नहीं किये जायेंगे। सरकार का अपने द्वारा दिये गये वचन से विमुख होना अत्यन्त अनुचित बात होगी।

कोई भी दल का व्यक्ति केरल में जाकर वहां की स्थिति को अपनी आखों से देख सकता है कि वहां के लोगों के लिए $3\frac{1}{2}$ आऊंस राशन काफी नहीं है। लोगों को चावल नहीं मिल रहा। कई कई दिन तो चावल का एक दाना भी उपलब्ध नही होता। इस प्रकार की स्थिति को अनिश्चित काल के लिये सहन करना बड़ा ही कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि देश में बहुत चावल है और कुछ का कथन है कि चावल बिलकुल है ही नहीं। श्री पाटिल ने कुछ दिन हुए केरल में कहा कि वर्तमान विकट स्थिति के लिए उपभोक्ताओं की संग्रह करने की आदत जिम्मेदार है। फिर उन्होंने यह भी फरमाया कि परिवहन की कठिनाइयां है। मेरा इतना ही निवेदन है कि क्या इसके लिये केरल के उपभोक्ताही जिम्मेवार है या केरल के बाहर के भी और क्या परिवहन की कठिनाई केरल तक ही सीमित है अथवा उसके बाहर भी यह है? क्या परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां रेलवे सम्बन्धी है। इस प्रकार की सारहीन काल्पनिक बातें करने का क्या लाभ है। चुनावों को स्थगित करने से भी कोई लाभ नहीं। आवश्यकता तो इसी बात की है कि लोगों को रोटी दी जाय। क्या सरकार इस दीशा में प्रसन्नशील है?

यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि देश में चावल काफ़ी है। जहां पर भी इस विचार से चावल संग्रह कर लिया गया हो कि किसी समय उसका अच्छा दाम मिलेगा, वहां से चावल सरकार को ले लेना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि इस खाद्य के प्रश्न को तो हल करना ही है। इसकी उपेक्षा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। स्थिति गम्भीर है और राज्य में जिन लोगों को केवल $3\frac{1}{2}$ औंस प्रतिदिन चावल उपलब्ध होता है, उनके दुःखों की कल्पना करना कठिन है। यह केरल के लोगों की शराफत है कि वे इस परि-स्थीती में भी शान्त रहे हैं। यह बात सचमुच लज्जाजनक है कि घुड़ सवार पुलिस ने लोगों को पीटा। अच्छी खाद्य वस्तु मांगने पर विद्यार्थियों पर हिंसा की गयी। मेरा निवेदन यह है कि इस तरह आतंक से समस्या हल नहीं होगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पिठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

एक बात सब को समझ लनी चाहिए कि केवल आतंक पैदा करके कांग्रेस वाले केरल के लोगों से मत प्राप्त नहीं कर सकते। अनन्त काल तक कांग्रेस केरल पर राज नहीं कर सकती। मैं अराजपत्रित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते सम्बन्धी तथा अन्य मागों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार

[श्री नम्बियार]

को उस के बारे में सहानुभुति पूर्वक ढंग से विचार करना चाहिए। कीमतों के बढ़ जाने के कारण वे लोग बेहद दु:खी हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह केरल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ करे। उन्होंने स्वयं अभी हाल कहा था कि स्थिति बड़ी शोचनीय है, अत: उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह केरल के अनुमोदित अध्यापकों की कठिनाइयों की जांच की जाये। सरकार को इस तरह की व्यवस्था की जाए कि अध्यापकों को उचित ढंग से नियुक्त किया जाय। उनके वेतन ठीक ढंग से मिलने चाहिए और उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए।

फाइटो रसायनिक परियोजना को भी केरल में छोड़ दिया गया है। इस पर सरकार 12 लाख से अधिक रुपया खर्च कर चुकी है और अब इसे छोड़ा जा रहा है। यह सरकारी धन को नष्ट करने वाली बात है। केरल में इस दिशा में स्थिति खराब है और भूमि कटाव बढ़ता जा रहा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि समुद्र द्वारा होने वाले भूमि कटाव के लिए कुछ प्रभावशाली कदम उठाये जाए। मेरी यह इच्छा है कि वित्त मंत्री अपने उत्तर में मेरी बातों का उत्तर दे। इस तरह के हालात नहीं बनाये जाने चाहिए कि दिल्ली का राज केरल पर स्थायी रूप से हो जाय।

श्री रंगा (चित्तुर) : केरल में राज किसी भी दल का हो अथवा राष्ट्रपति का हो, केरल की कुछ समस्यायें है जिनका हल वह अकेला नहीं कर सकता। मेरा विचार है कि आज जो विपत्ति केरल में है, यदि यह उत्तर प्रदेश अथवा बिहार में होती तो तमाम उत्तर भारत के हिन्दी और अंग्रेजी अखबार तूफान खड़ा कर देते और संसद को भी उनकी समस्याओं को हल करने के लिए समय देना पड़ता। खेद है कि हमारी सरकार को केरल के दुर्भिक्ष को उस दृष्टि से नहीं देख रही है जिससे कि लार्ड लिनलिथगों की सरकार ने बंगाल के दुर्भिक्ष को देखा था। वहां बहुत भयंकर बातों की सूचनायें आ रही हैं।

लोगों को देहातों में चार औंस चावल मिल रहे हैं। मजदूर लोग इतने से क्या ले सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि स्थिति को बड़ी गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। केरल के संकट को युद्ध स्तर पर हल किया जाना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि वह केरल को चावल भेजने का तत्काल प्रबन्ध करे और इस कार्य को सबसे अधिक प्राथमिकता दे। मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह आंध्र से केरल को चावल भेजने के लिए आपत्कालीन आधार पर जहाज प्राप्त करने के लिये उन विभिन्न देशों में बातचीत करे जो इस प्रकार हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। यह तो सबसे प्रथम बात है।

इसके अतिरिक्त मेरा यह निवेदन है कि केरल में इसके अतिरिक्त भी कई बहुत ही महत्वपूर्ण समस्यायें हैं जिन्हें कि हल किया जाना चाहिए। वैसे यह मेरा विश्वास था जो दलीय सरकार वहां काम कर रही है, उससे वे प्रश्न हल नहीं होंगे। जनसंख्या का प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, बर्मा और लंका तथा अन्य देशों से आनेवाले शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या है। केरल में इस तरह के शरणार्थी काफी संख्या में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक झगड़े हैं और इन झगड़ों का महत्व वहां कुछ अधिक ही है। इसके अतिरिक्त इन सब प्रश्नों में शिक्षा का प्रश्न है। वहां कई सम्प्रदायों की शिक्षा संस्थायें हैं, उनके झगड़े है उनको सुलझाना सरल नहीं। साम्यवादियों में अपने राज में इन समस्याओं को और अधिक उलझा दिया। यह संसद भी केरल के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकी।

इस परिस्थिति में क्या किया जाय। कांग्रेस के प्रधान भी वहां हो आये हैं और यह कह आये है कि कांग्रेस अब केरल में सम्मिलित मंत्रिमंडल नहीं बनायेगी। शायद इस लिए कि अब कांग्रेस का कोई दल विश्वास करने को तैयार नहीं। मुझे यह भी आशा है कि दोनों साम्यवादी दल मिल कर भी वहां बहुमत नहीं प्राप्त कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

विधेयक पर राय

OPINIONS ON BILL

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 136, 226 आदि का संशोधन)

श्री श्री नारायण दास (दरभंगा): मैं भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक के पत्रक संख्या 3 को सभा पटल पर रखाता हूँ जिसे सदन के आदेशानुसार 22 नवम्बर 1963 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा करेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(2) हट्टी सोना खान मैसूरके श्रमिकों द्वारा "अन्दर रहकर काम रोको" (स्टे-इन) हड़ताल

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल): मैं श्रम तथा रोजगार मंत्री का ध्यान निम्न लिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की और दिलाता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वह इस बारे में वक्तव्य दे :—

"मैसूर की हट्टी सोना खानों के श्रमिको की भूमी के निचे रहने की हड़ताल।"

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि मैसूर में हाट्टी सोना खानों के 340 श्रमिकों ने 30 नवम्बर, 1964 से भूमि के नीचे रह कर काम न करने की हड़ताल कर दी है। हम समझते हैं कि यह हड़ताल कुछ मांगों सम्बन्धी औद्योगिक विवाद के कारण उत्पन्न हुई है जिनमें पर्याप्त मात्रा में चावल का संभरण किये जाने की एक मांग भी है। वे श्रमिक किसी दुर्घटना अथवा मशीनरी के खराब हो जाने के कारण भूमि के नीचे नहीं हैं।

समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) हैदराबाद द्वारा बीच बचाव किये जाने के परिणाम स्वरूप श्रमिकों तथा नियोजकों में आपसी समझौता हो गया है, और श्रमिक 4 दिसम्बर 1964 को ग्यारह बजे म०पू० खान से बाहर आ गये है।

प्रादेशिक खान निरीक्षक ने भी इस मामले की अग्रेतर जांच के लिए कार्यवाही की है। प्रादेशिक श्रमिक आयुक्त से इस घटना के बारे में पूरा प्रतिवेदन मांगा गया है। उनसे पूछा गया है कि श्रमिकों की मांगे क्या है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या इस बारे में सरकार मामलें की जांच करने के लिए किसी आयोग की स्थापना करेगी क्योंकि यहां तो श्रमिक कानूनों का भी निरन्तर निरादर किया गया है।

श्री संजीवय्या : मालिकों और मजदूरों में समझौता हो गया है, अतः किसी आयोग का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री अ० श० आल्वा (मंगलोर): क्या किसी सम्बद्ध श्रम अधिकारी का प्रतिवेदन इस बारे में प्राप्त हुआ है।

श्रीसंजीवय्या : नहीं जी, वैसे जैसे मैंने कहा है, हमने इस बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है।

Shri Y. S. Chaudhary (Mahendragarh) : Whether it is a fact that this Company is foreign one and Government are thinking for its nationalisation ?

Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya) : There has no incident in this connection, the labourers had some demands. As far as company is concerned, we have not yet received any report whether the company is foreign or not. We shall consider it after the report comes. But at present, the question of nationalisation does not arise.

श्री नम्बियार : क्या सरकार को यह आश्वासन मिल गया है कि मजदूरों की शिकायतों को दूर कर दिया गया है ?

श्री संजीवय्या : रिपोर्ट आने तक मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या सरकार का विचार इसके राष्ट्रीयीकरण करने का है ?

श्री संजीवय्या : यह तो मंत्रालय का प्रश्न नहीं है, इसे तो सरकार ने सामूहिक नीति के रूप में ही तय करना है।

इसके पश्चात लोकसभा मंगलवार 8 दिसम्बर 1964 अग्रहायण 17, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday December 8, 1964/Agrahayana 17, 1886 (Saka)

भा० स० मु० ना—वि० ५—4 लोक सभा ६५—१३–७–६५---६००.